खण्ड-333, अंक-6
बुधवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1900
(17 मई, 1978 ई0)

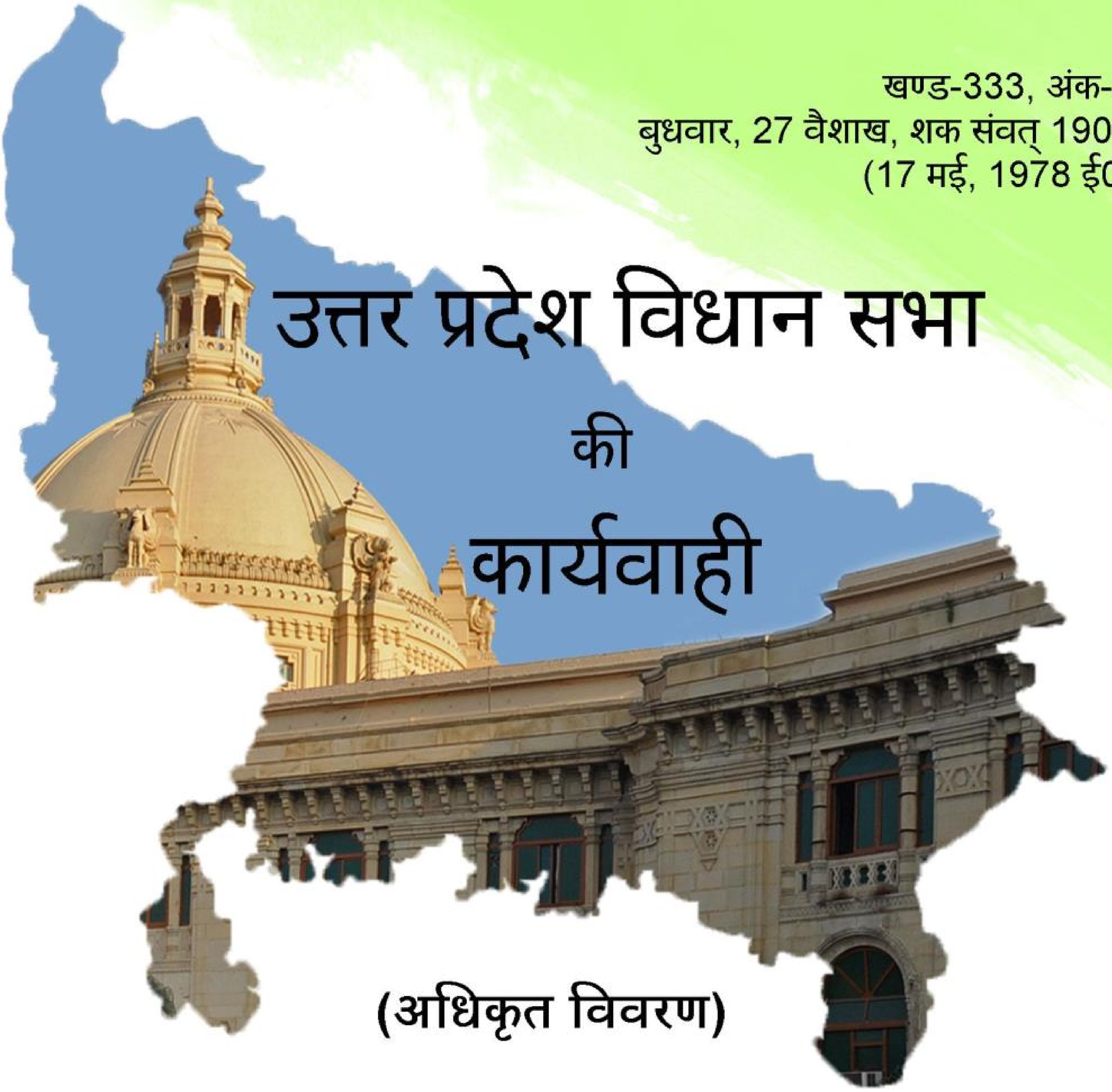

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला इलाहाबाद व मिर्जापुर में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य	742
कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा दुकाने लूटे जाने के कारण शहर के बाजारों में हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	742
दिनांक 9 मई, 1978 को श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	743
दिनांक 20 मार्च, 1978 को श्री मन्ना लाल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3-4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	743
मन्त्रि-परिषद् से हटाए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मालवीय का वक्तव्य	743–746
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक 1978 (पुरःस्थापित किया गया) ..	747
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	747
उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया) ..	747–749
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुज्ञा माँगने का प्रस्ताव वापस) ..	750–751
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	751–753
उत्तर प्रदेश आमोद तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, 1978 (विचारोपरान्त पारित)	753–759
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 (विचारोपरान्त पारित) ..	759–774
दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त अस्वीकृत)	774–788
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी) ..	788
प्रदेश के पाँच नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य	788–792
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	792
स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में हुए गोलीकान्ड में मजदूरों के मारे जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	792–793
कलेक्टरगंज, कानपुर में छोटेलाल योगेश चन्द्र फर्म में डकैती तथा मालिक को घायल किए जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	793–795
मैनपुरी-भोगांव मार्ग रेलवे क्रासिंग की गुमटी पर यात्रियों को लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	795–800
ललितपुर में पुलिस अधिकारियों की कथित साजिश से श्रीमती पारवती कौशिक की हत्या एवं डाकुओं के आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	800–802

विषय	पृष्ठ संख्या
स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में 6 दिसम्बर, 1977 को हुए गोली कांड में श्रमिकों के मारे जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	802
एल्गिन मिल, कानपुर में आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	803–805
सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा की समाप्ति ..	805
सदन के अननिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	805
नत्थियाँ	806–821

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 17 मई, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 341

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां. श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल. गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री

चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
मंगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथ राम शिशक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री

बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्ध राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेच राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिवे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मित्र सेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री

राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्य म सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हु सैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब असमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

विधान सभा प्रदेश उत्तर

प्रश्नोत्तर]

बुधवार, 17 मई, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की दुग्ध सहकारी समितियों का पुनर्गठन एवं चुनाव

**1—श्री कल्पनाथ सिंह (ज़िला गोरखपुर) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सभी मिल्क यूनियनें प्रशासकों के अधीन कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो इनका चुनाव अन्य सहकारी समितियों के साथ न कराने का कारण क्या है तथा इन मिल्क यूनियनों का चुनाव कब तक हो जाएगा?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी नहीं। प्रदेश की दुग्ध सहकारिताओं का पुनर्गठन किया जा रहा है और उनकी उपविधियों में मौलिक संशोधन किए जा रहे हैं। अतः उनमें चुनाव अभी सम्भव नहीं है। पुनर्गठन का कार्य समाप्त होने के बाद मिल्क यूनियनों में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराए जायेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये दुग्ध संघों का चुनाव इसके पूर्व कितने दिन पहले हुआ था और कितने संघों में चुने हुये प्रतिनिधि काम कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता है। एक बार में चुनाव नहीं हुए, कहीं कब हुए, कहीं कब हुए, एक साथ चुनाव नहीं हुए इसलिए निश्चित इसके बारे में नहीं कहा जा सकता और अभी चुने हुए बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा प्रश्न यह था कि क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सभी मिल्क यूनियनें प्रशासकों के अधीन कार्यरत हैं। तो उत्तर दिया है "जी नहीं" और अब मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि कोई चुनी हुई समिति काम नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं विवाद में नहीं जाना चाहता केवल एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये मिल्क यूनियनें जो काम कर रही हैं प्रदेश में इनके चुनाव के सन्दर्भ में अनेकों बार यह माँग उठाई गई थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जायं, अगर हाँ, तो जो पिछले सहकारिता के चुनाव हुए हैं उनके साथ-साथ तुरन्त चुनाव कराने में क्या कठिनाई थी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव में देरी हुई है? जैसे ही संशोधन हो जायेंगे तुरन्त चुनाव करा दिए जायेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मिल्क यूनियन्स के चुनाव के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चुनाव तुरन्त हो जायेंगे, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चुनाव कब पूरे हो जायेंगे? एक प्राविधान और है जिस मिल्क यूनियन में सरकार के 50 फीसदी शेयर हैं उसमें आप अपने डाइरेक्टर, चेयरमैन नामिनेट कर देते हैं। तो इस पर विचार करेंगे कि जो लोग निर्वाचित हों उन्हीं में से चेयरमैन डाइरेक्टर बनाए जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, पहले सवाल के उत्तर में यह कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव करा दिए जायेंगे। दूसरे के बारे में जहाँ तक उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार का शेयर ज्यादा है, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, दो बातें इसमें कही गयी हैं। एक तो मौलिक संशोधन के संबंध में उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। तो पुनर्गठन किस प्रकार का किया जा रहा है ? यह संशोधन है या उस के अतिरिक्त है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अभी तक जो समितियाँ थी उनमें ऐसी व्यवस्था थी कि जिनमें तीस दुधारू जानवर हों उन समितियों को मान्यता दी जाती थी। अब जो पुनर्गठन किया जा रहा है उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि कम से कम अस्सी दुधारू जानवर जिन समितियों में हों उन्हीं को मान्यता दी जायगी। इस तरीके से समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

थाना खीरी, जिला इलाहाबाद में श्री केशव लोनिया, लाल मोहर लोनिया तथा दलपत लोनिया की हत्या तथा उस पर मैजिस्टीरियल जांच

**2—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद), श्री गुरु प्रसाद, (जिला इलाहाबाद), श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री रामसजीवन (जिला बाँदा), श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा), श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिलाइलाहाबाद) तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के तहसील मेजा के अन्तर्गत थाना खीरी, ग्राम उसरी नीबी के निवासी केशव लोनिया व ग्राम देइबाँध निवासी लाल मोहर लोनिया एवं ग्राम मंझगाँवा निवासी दलपति लोनिया को दिनाँक 11/12 अप्रैल, सन 1978 ई0 की रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या मृतक केशव के पिता मोती लाल आदि ने 10 अप्रैल, 1978 ई0 को एस0 एस0 पी0, इलाहाबाद को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

जी हाँ 11/12 अप्रैल, 1978 को केशव लाल, मोहर तथा दलपति की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ के स्वरूप हुयी।

मृतक केशव के पिता अथवा अन्य किसी का प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होना ज्ञात नहीं हुआ। अत: इस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। घटना की मजिस्टीरियल जाँच हो रही है।

डाक्टर जवाहर लाल—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि पुलिस व्यवस्था से क्या कागजात भी गायब हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुरु प्रसाद—

यह जो तीन हरिजनों के साथ पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है क्या उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट थी या उनको मार कर मुठभेड़ दिखा दी गयी ?

श्री राम सिंह—

दिनांक 11 अप्रैल, 1978 की रात्रि 8 बज कर 45 मिनट पर थाना करछना में एक रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद जब पुलिस को इत्तिला मिली कि इस प्रकार की घटना होने वाली है तो पुलिस के दो थानेदार वहाँ गए और घेरने के बाद एक काउन्टर हुआ जिसमें ये मारे गए ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि आम चर्चा यह है कि यह मुठभेड़ नहीं है बल्कि तीनों व्यक्तियों को मारा गया है जिससे जन असंतोष बढ़ रहा है तो इस घटना की मैजिस्टेरियल जाँच न करा कर जुडीशियल जाँच कराई जायगी अथवा सी0 आई0 डी0 के जरिए जांच कराई जायगी ताकि सही तथ्य ज्ञात हो सकें ?

श्री राम सिंह—

मैजिस्टीरियल जाँच हो रही है और उस जाँच का परिणाम आने के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे उनको देखते हुए अगर किसी अन्य प्रकार की जाँच की आवश्यकता होगी तब जरूर इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री नाथू राम शिक्षक—

मुठभेड़ में ये मारे गये, वास्तविकता यह नहीं थी बल्कि अदालत से अपने मामले की पैरवी करके वे वापस आ रहे थे और पुलिस को विपक्ष ने पैसा दे कर मुठभेड़ दिखा दी तो मैं यह जानना चाहता हूं अगर यह मुठभेड़ थी तो उनसे कौन-कौन से असलाह बरामद हुए ?

श्री राम सिंह—

मुठभेड़ के पश्चात् एक बन्दूक उनसे बरामद हुई और उस बन्दूक की एफ0 आई0 आर0 है और बालादीन ने उसे पहचाना कि वह मेरी बन्दूक है।

श्री श्याम धर मिश्र—

मुठभेड़ में कितनी पुलिस लगी थी और कितने थानेदार थे और इस मुठभेड़ में क्या पुलिस के कोई चोट आई ?

श्री राम सिंह—

दो थानेदार थे। एक करछना से और दूसरा मेजा थाने से मेजा था। इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है कि पुलिस में किन-किन के चोट आई।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी किन-किन मुद्दों पर हुई है और उसकी रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री राम सिंह—

मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी इस बात की है कि जो एनकाउन्टर हुआ है उसमें जो डकैत मारे गए हैं इसमें इस बात की जांच होगी कि क्या तथ्य हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

टर्म्स आफ रिफरेंस इन्क्वायरी के पढ़वा दिए जायं ?

श्री राम सिंह—

टर्म्स आफ रिफरेंस में यही है कि एनकाउन्टर हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास टर्म्स आफ रिफरेंस की प्रतिलिपि है या नहीं ?

श्री राम सिंह—

एनकाउन्टर के बाद मैजिस्टीरियल जांच होती है। उसमें मुख्य मुद्दा यह होता है कि एनकाउन्टर जो हुआ है वह किन हालात में हुआ और जो व्यक्ति मारे गए वे अभियुक्त

थे। इस सबकी जांच हो कर आएगी। किस-किस तरह की स्थिति थी। यही जांच होकर आएगी। यही टर्म्स आफ रिफरेंस था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनके पास बन्दूक बरामद हुई थी तो जाहिर है कि उसी से गोली चलाई गई होगी। मैं जानना चाहता हूं कि उस बन्दूक को आपने किसी एक्सपर्ट के पास भेजा जिसमें यह पता चल सके कि उसी बन्दूक से गोली चलाई गई या नहीं?

श्री राम सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं उनके विरुद्ध करछना तथा मेजा थानों में 1976-77 से आज तक इसके पूर्व किन-किन अपराधों में मुकदमें कायम किए गए थे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो तीन व्यक्ति मारे गए हैं उनका पूरा जीवन आपराधिक जीवन था और उत्तर प्रदेश के अन्दर केशव के 5 मुकदमें चल रहे थे। दलपत के 4 मुकदमें चल रहे थे और लाल मोहर के 6 मुकदमें चल रहे थे। बिहार से जो रिपोर्ट आयी है उसकी स्थिति यह है कि केशव के 7 मुकदमें, दलपत के 8 मुकदमें थे। इससे पता चलता है कि इन व्यक्तियों का आपराधिक जीवन था और उनके ऊपर मुकदमें चल रहे थे जिससे वहां लोगों में बड़ा आतंक था।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के गुर्मा खदान की मैगजीन से बारूद की चोरी

**3—श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह जनवरी, 1978 में दि उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 की इकाई चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के खदान गुर्मा की मैगजीन से लगभग 34 पेटी बारूद चोरी हो गयी? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 की इकाई चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के गुर्मा खदान की मैगजीन में जनवरी, 1976 में बारूद की कोई चोरी नहीं हुई थी। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री राजनाथ सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के गुर्मा खदान की मैगजीन में जनवरी, 1976 में बारूद की कोई चोरी नहीं हुई थी और मैंने जो प्रश्न दिया था उसमें यह है कि सन् 1977 में गुर्मा की मैगजीन से लगभग 34 पेटी बारूद चोरी हो गई थी, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, ऐसी चोरी जनवरी, 1977 में हुई थी और उसमें 34 पेटी विस्फोटक की चोरी की सूचना थाने में दर्ज करायी गई थी। उसके बाद इस सारे कांड की जाँच भी हुई थी। वह जांच वहां के प्रभारी अधिकारी (क्रय विभाग) श्री ए0 पी0 पाण्डेय ने की थी? उनकी जांच फरवरी, 1978 को पूर्ण हो गयी थी और उसी के आधार पर जो लोग पहले निलम्बित किए गए थे उनका निलम्बन समाप्त किया गया था।

श्री राजनाथ सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस चोरी के मामले में किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और क्या यह सही है कि इसमें निर्दोष

कर्मचारियों को फंसाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई जब कि इसका सारा उत्तरदायित्व खदान के व्यवस्थापक श्री महेश चन्द पर था ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, जांच के पूर्व जिन लोगों को निलम्बित किया गया था उनके नाम हैं—श्री सन्तलाल, श्री नीरज सिंह, श्री कपिलदेव पांडे—एक्सप्लोसिव कैरियर, श्री राम खिलावन तथा श्री राम प्रसाद सिंह। लेकिन जब जांच हुई तो उसके बाद कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुए। कुछ चीजें ऐसी थीं जो उनके खिलाफ थीं लेकिन उनका निलम्बन समाप्त किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि जांच रिपोर्ट जब मैंने देखी है तो उसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि वहां के जो खदान व्यवस्थापक और उनके सहायक थे जैसा रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरी हुई है—ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि यह अधिकारियों की जानबूझ कर शरारत हो और जो माल गायब कर दिया उसे चोरी में दिखा दिया। लेकिन जांच करने वाले अधिकारी कोई स्पष्ट आरोप नहीं सिद्ध कर पाए। लेकिन इन्होंने खदान व्यवस्थापक, महेशचन्द्र, मैनेजिंग क्लर्क श्री राम प्रसाद सिंह, श्री देश मुख, स्टाक वेरीफायर, रमन लाल भाटिया और वाच एन्ड वार्ड श्री मनीराज सिंह के विरुद्ध अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप लगाए थे। उनको चार्जशीट दी जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जैसा मन्त्री जी ने बताया कि सन्देह पैदा हो रहा है और उसे वह स्वीकार करते हैं अधिकारियों ने कहीं माल गायब कर दिया है और झूठी रिपोर्ट लिखा दी। तो क्या वह आश्वासन देंगे कि इसकी सतर्कता विभाग से जांच कराई जाएगी ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, ऐसा भी समाचार मिला था लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। इसे सम्भवत : सतर्कता विभाग के सुपुर्द करने के आदेश दिए गए हैं मैंने इसकी जानकारी करवाई। मुझे लगता है कि जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा होनी चाहिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच हुई वह किस अधिकारी ने की और जांच के दौरान जो 34 पेटियां चोरी गई थीं, उनमें से क्या कुछ माल बरामद हुआ ? यदि हुआ, तो किस के पास से बरामद हुआ ?

श्री राम प्रकाश—

जैसा मैंने कहा जांच रिपोर्ट में तथ्य नही पाए गए कि चोरी हुई है और सामान पाया गया होता तो पता लग जाता। धीरे-धीरे सामान गायब किया गया हो और अन्त में इसे चोरी की घटना लिखा कर रफा-दफा करने की कोशिश की हो। लेकिन जिस प्रकार से चोरी हुई और जिस प्रकार उन लोगों ने असावधानी की उससे लगता है कि रफा-दफा करने के लिए चोरी लिखा दी। लेकिन स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिले हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

कौन जांच अधिकारी थे और माल बरामद हुआ या नहीं ? इसका जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

वह बतला दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकर्ता ने जो पूछा था वह इस प्रकार है कि क्या माह जनवरी, 1978 में दि उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 की इकाई चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के खदान गुर्मा की मैगजीन से लगभग 34 पेटी बारूद चोरी हो गई। उसके उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि 1978 में चोरी नहीं की गई, अत : प्रश्न नहीं उठता। फिर कहा कि

1978 में नहीं हुआ, 1976 में नहीं हुआ, लेकिन 1977 में हुआ। यदि 1977 की बात थी तो सारी जानकारी उनके पास माननीय मन्त्रियों के पास होती है। माननीय सदस्य तो अंधेरे में होते हैं। तो क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं था कि पहले ही कह देते कि 1977 में ऐसा हुआ था। तो क्या मूल प्रश्न के उत्तर में ही वह यह नहीं कह सकते थे?

श्री अध्यक्ष—

अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिस प्रकार का प्रश्न किया गया था प्राविधिक दृष्टि से वह ठीक है लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि यदि मन्त्री जी अपने उत्तर में ही बतला देते कि 1977 में ऐसा हुआ। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रदेश के सभी जिलों में शान्ति व्यवस्था तथा अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधायकों की बैठकें

**4—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलास्तर पर शान्ति व्यवस्था तथा अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधायकों तथा संसद सदस्यों और जन प्रतिनिधियों की कोई नियमित बैठक जिला पुलिस अधीक्षक बुलाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने हेतु ऐसी बैठकें बुलाने हेतु अविलम्ब आदेश प्रसारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

प्रदेश के सभी जिलों में शान्ति-व्यवस्था तथा अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधायकों की नियमित बैठकें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में बुलाए जाने के आदेश हैं? प्राप्त सूचना के अनुसार यह बैठकें बुलाई जाती हैं?

श्री मित्रसेन—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि अभी गृह मन्त्री जी ने बताया कि जिलों में शान्ति व्यवस्था और अपराध नियन्त्रण के बारे में पुलिस अधीक्षक तीसरे महीने में मीटिंग बुलाते हैं और उसमें विधायकों और संसद सदस्यों को भी बुलाते हैं, तो क्या उस मीटिंग के सुझाव और कार्यवाही लिखी जाती है और क्या वह शासन स्तर पर भी कार्यवाही के लिए आती है और उस पर शासन कोई कार्यवाही करता है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक जिलों में हर तीसरे महीने में बैठक बुलाते हैं और उसमें विधायकों को बुलाते हैं और जिले की शान्ति-व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं और जहां समझते हैं कि इस पर ऐक्शन होना चाहिये, उस पर कार्यवाही होती है?

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जिला स्तर पर कार्यवाही होती है उसकी सूचना प्रशासन को मिलती है और शासन उस पर कार्यवाही करता है और क्या वहां जो बैठक होती है, उसको रिकार्ड किया जाता है?

श्री राम सिंह—

अगर वहां की किसी बात का यहां प्रशासन से सम्बन्ध रहता है, तो मान्यवर, यहां पर भी उस पर विचार होता है और कार्यवाही होती है।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बैठक को कितने दिनों में बुलाने का प्राविधान है और क्या इस नियम के उल्लंघन होने की कोई शिकायत जिलों से आयी है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसकी तीन महीनों में बैठक होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जिले से शिकायत आएगी कि मीटिंग नहीं हुयी, तो उसके कारणों की जानकारी की जायगी कि क्यों बैठक नहीं हुयी? वैसे इस बैठक के लिए आदेश हैं। अगर शिकायत है तो इन आदेशों को पुन: प्रसारित कर देंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि शान्ति व्यवस्था की अन्तिम जिम्मेदारी डी0 एम0 की है तो क्या यह मीटिंग डी0 एम0 की प्रेसीडेंसी में होनी चाहिये न कि एस0 पी0 की?

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि कलेक्टर भी इसमें शामिल होते हैं कि नहीं और नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जिलाधीश या जिले के अन्दर एस0 डी0 एम0 इसमें शामिल नहीं होते। अभी शामिल होने की व्यवस्था नहीं। लेकिन सुझाव है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतान की कृपा करेंगे कि अगर विधायकों की शिकायत पर वहां के जिलाधिकारी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें, तो क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मुनासिब शिकायत होगी तो अवश्य करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। पुलिस अधीक्षकों के द्वारा जिलों में यह जो मीटिंग बुलायी जा रही है, उसके आदेश कब प्रसारित हुए और जैसे कि इसमें लिखा है—विधायक, तो क्या संसद सदस्यों को भी बुलाने का प्राविधान है कि नहीं?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह परिपत्र संख्या 14, सन् 1954, दिनांक 8 अप्रैल, 1954 से प्रसारित है। जो संसद सदस्यों के बारे में जानना चाहा है, तो, मान्यवर, अभी तक आदेशों के अन्तर्गत संसद सदस्यों को नहीं बुलाया जाता।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी इसमें ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस मीटिंग में जो विधायक भाग लेते हैं, उनमें से कोई इसका अध्यक्ष बनाया जाय जो इस मीटिंग का संचालन करे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो सुझाव है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले गये राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालय

*1—श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी) तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में प्रदेश में कुल कितने राजकीय बालक एवं बालिका हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेज विभिन्न जिलों में खोले गए? क्या फर्रुखाबाद जनपद के सर्वाधिक पिछड़े विकास खन्ड, राजेपुर में जहां कोई राजकीय बालक एवं बालिका विद्यालय नहीं है, में विद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे?

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—
सूची संलग्न है।

राजेपुर (फर्रुखाबाद) में सम्प्रति कोई राजकीय विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है?

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 806–808)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—
माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन-जिन जनपदों में कोई हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज खोले जाते हैं तो उसका आधार क्या है?

श्री कालीचरण—
पहला यह कि वह क्षेत्र असैवित हो, शिक्षा की सुविधा उस क्षेत्र में न हो। दूसरा यह है कि वहां भूमि और भवन विद्यालय खोलने के लिए उपलब्ध हो सके। वहां की जनता ऐसा स्कूल खोलने की मांग करे। इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रखकर नए विद्यालय खोले जाते हैं?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—
मैंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया था कि फर्रुखाबाद जनपद के सर्वाधिक पिछड़े विकास खंड, राजेपुर में कोई विद्यालय नहीं है, वहां भूमि भी मिल सकती है, वहां पर 20–25 किलोमीटर दूर लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में क्या शिक्षा मन्त्री इस पिछड़े हुए स्थान पर विद्यालय स्थापित करने के लिए पुनर्विचार करेंगे?

श्री कालीचरण—
श्रीमन्, जिस क्षेत्र की बात इस प्रश्न में पूछी गयी है जो हमने आधार बताए स्कूल खोलने के, जिनके सम्बन्ध में पहली बात यह है कि इस क्षेत्र के नागरिकों की ओर से शासन के पास कोई मांग नहीं आयी कि ऐसा स्कूल खोला जाना है। दूसरी चीज यह है कि एक हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज, महात्मा गांधी उत्तर माध्यमिक विद्यालय और दयानन्द इन्टर कालेज, अमृतपुर जो राजेपुर से चार किलोमीटर की दूरी पर है, दो कालेज हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत से जूनियर हाई स्कूल हैं? इन सब दृष्टियों से ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र भले ही फर्रुखाबाद का सर्वाधिक पिछड़ा जनपद हो, लेकिन जिस स्थान की बात कही गयी है वहां इसको दृष्टि में रखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह असैवित क्षेत्र है, वहां पर पढ़ने की सुविधा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—
मैं जानना चाहूंगा कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि सम्प्रति कोई विद्यालय खोले जाने की योजना नहीं है, क्या आगामी सत्र में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ विद्यालय खोले जायं?

श्री कालीचरण—
श्रीमन्, मैंने बताया किसी क्षेत्र की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार प्रदेश की वित्तीय स्थिति, इन दोनों को ध्यान में रखकर जहां पर सबसे अधिक आवश्यकता होगी वहां पर खोलनें पर विचार किया जायगा। इसके अतिरिक्त जैसी-जैसी स्थिति आती रहेगी विद्यालय खोलने पर विचार होता रहेगा।

*2—श्री शंकर सिंह—

[10-5-78 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित।]

विधायकों के पास श्रेणीवार राजकीय आवास तथा उनका किराया

*3—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा), श्री हुक्म सिंह परिहार तथा श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने विधायक हैं जिनके पास एक से ज्यादा राजकीय आवास या कक्ष हैं और वह किन-किन श्रेणी के हैं ? इनसे कितना किराया राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

कुल 5 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 2-2 कक्ष है। इनमें से एक विधायक के पास "क" श्रेणी का तथा शेष के पास "ख' श्रेणी के अतिरिक्त कक्ष हैं। एक सदस्य से नियमित रूप से सात रुपया प्रतिदिन के हिसाब के "ख" श्रेणी के अतिरिक्त कक्ष का किराया प्राप्त हो रहा है तथा एक विधायक ने दिनांक 14 मई, 1978 को ही अतिरिक्त कक्ष का कब्जा लिया है। शेष 3 विधायकों के अतिरिक्त कक्ष का किराया नहीं प्राप्त हुआ है। इन कक्षों को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यासन की अवधि के लिए किराए की वसूली पर भी विचार किया जावेगा।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

अध्यक्ष जी, वे कौन-कौन सदस्य हैं जिनके पास एक से ज्यादा कक्ष हैं, वे किस पार्टी के हैं और कौन विधायक हैं जिनके पास "क" श्रेणी का अतिरिक्त कक्ष है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

एक, श्री ब्रह्मदत्त जो सदस्य, विधान परिषद् और नेता विरोधी दल हैं। वह गालिबन कांग्रेस (आई) के हैं। वैसे मेरे पास नोट नहीं है।

श्री ईशदत्त, सदस्य, विधान सभा, श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा; श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा और श्रीमती इन्दिरा हृदयेश , सदस्या, विधान परिषद्।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। किस के पास 'क' श्रेणी का कक्ष है और उनसे किराया वसूल हुआ है, अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आपके उत्तर में किराए का विवरण मौजूद है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

इनसे कितना किराया राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा लिया गया और "क" श्रेणी का कक्ष कब आवंटित किया गया।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

"क" श्रेणी का कक्ष जो है वह श्री शतरूद्ध प्रकाश को मिला है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त कक्ष मिला है उसका किराया किस रेट से वसूल किया जाता है।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

9 रुपया और 7 रुपए का रेट है।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन मन्त्रियों के पास एक से अधिक आवास है तो उन पर कितना किराया बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

उसमें यह प्रश्न लगा हुआ है, उसमें यह प्रश्न सन्निहित है,

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया उसका आशय है कि मन्त्रियों के पास कितना किराया बकाया है।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

विधायकों के बारे में प्रश्न पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री भी विधायक हैं। इसलिए इसका उत्तर आप कृपया दीजिए।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसके बारे में सूचना की जरूरत है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एडीशनल रूम्स एलाट किए गए हैं, वह किस ग्राउन्ड पर किए गए और किस ग्राउन्ड पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था या अनधिकृत कब्जे में हैं?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें मुखतलिफ लोगों ने कहा कि इन-इन कारणों से जरूरत है। जैसे किसी ने कहा कि वह बीमार हैं इसलिए उनके पास एक अतिरिक्त कमरा हो जाए तो अच्छा है और कुछ माननीय सदस्यों ने जो अपने कमरे एलाट करवाए हैं वह पहले से उनके पास थे, कुछ ऐसा कनफ्यूजन मालूम हुआ। इसी से है।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईशदत यादव के पास भी 2 कमरे हैं और उस में एक कमरा श्री राम बचन यादव के पास है, जो आजमगढ़ के प्रत्याशी थे तो किस आधार पर उनको ये दो कमरे एलाट हैं?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

एक तो 64 नम्बर है और दूसरा 107-ख है। यह दो कमरे हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

किस आधार पर दो कमरे दिए गए?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर बतलायें कि 2 कमरे किस आधार पर दिए गए।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जैसा मैंने बताया कि 107-ख का एलाटमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या ये अनधिकृत हैं?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह कागज पर एलाटमेंट नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 5 माननीय विधायकों पर दो-दो कमरे हैं। ऐसे कितने विधायक हैं जिनको अभी तक कमरा नहीं मिला?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी कितने मन्त्री और उपमन्त्री शरणार्थी के रूप में घूम रहे हैं और उनको आवास नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—

शरणार्थी कोई मन्त्री नहीं हैं ?

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

कितनें ऐसे भूतपूर्व मन्त्री हैं जो अब विधायक हैं लेकिन अभी तक मन्त्री वाला आवास खाली नहीं किया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पूरी तादाद देना इस वक्त सम्भव नहीं है। लेकिन दो ऐसे हैं जो अभी तक तक खाली नहीं किए हैं ।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है या जबानी हिदायत पर हैं तो उनको कितने दिन हो गए और उनसे किराया वसूल करने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैंने यह अपने मूल जवाब में ही कह दिया कि इस पर विचार कर रहा हूं और चाहे पुराने मन्त्री हों या कोई हो, उनसे खाली करवाऊंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अभी सदन में कई माननीय सदस्यों के आवास की व्यवस्था नहीं हो पायी है। दूसरे सदनों में हाउस की ऐलाटमेंट कमेटी देखती है तो क्या मन्त्री जी आपके परामर्श से इस मसले को तय करेंगे ताकि सबको आवास मिल सके और उनके लिए उचित व्यवस्था हो सके ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैं माननीय तिवारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि इनके पुराने साथी जिन्होंने मकान खाली नहीं किए हैं उनसे कहें कि मकान खाली कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो सूची है इसमें केवल हमारे एक सदस्य का नाम है। यदि हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं ? मैं केवल यह कह रहा हूं कि क्या मन्त्री जी आपके परामर्श से शीघ्र ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सभी को मकान उपलब्ध हो जायं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैं इस पर पूरी तरह से गौर कर रहा हूं। मैंने आपका सहयोग चाहा है। अगर आप पूरा सहयोग देंगे तो बहुत जल्दी मसला तय हो जायगा।

बस्ती जिले के लेवड़ताल और धैवर ताल के नाले के पानी की निकासी

*4—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत लेवड़ताल से परासी नाले द्वारा लेवड़ताल में और धैवरताल से फजिहतवा नाला द्वारा पानी राप्ती नदी में जाता है । कई वर्षों से उक्त दोनों तालों में पानी निकलने का रास्ता बन्द हो गया है जिसके कारण तालों से पानी नहीं निकल पाता है ? फलस्वरूप आस-पास के खेतों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो फजिहतवा नाले की खुदाई के लिए बिना लेवड़ताल से पानी को निकालने के लिए लेवड़ताल ड्रेन की खुदाई न कराने के आदेश सरकार तुरन्त देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

लेवड़ताल का पानी चंवरताल में लेवड़ताल ड्रेन तथा परासी नाले द्वारा आता है। चंवरताल के पानी की निकासी फजिहतवा नाले द्वारा राप्ती नदी में होती है। फजिहतवा नाला में सिल्ट जमा हो गया है। इस नाले को साफ कराने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि बाढ़ से बूढ़ी राप्ती का पानी फजिहतवा नाले को तथा उसके दोनों तरफ की भूमि को डुबो देता है तथा नाले को काफी पाट देता है।

लेवड़ताल ड्रेन एक पुरानी ड्रेन है। इस ड्रेन की सफाई एवं मरम्मत के कुछ कार्य फरवरी, 1978 में कराये गए थे। इस समय इस ड्रेन से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। अत: कार्य रोकने के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, उत्तर में साफ जाहिर है कि चंवरताल के पानी की निकासी फजिहतवा नाले द्वारा राप्ती नदी में होती है। फजिहतवा नाले की यदि खुदाई नहीं करवायेंगे तो पानी की निकासी किस प्रकार होगी। इसकी वजह से किसानों की जमीन डूबी रहती है। यह विभाग की लापरवाही और जनविरोधी नीति का द्योतक है। क्या मन्त्री जी इसकी छानबीन करायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

लेवड़ताल का पानी परासी नाले में गिराया जाता है। लेवड़ताल मात्र एक किलोमीटर है। यह सिंचाई विभाग की बहुत पुरानी ड्रेन है। इसकी सफाई की गयी है जिसमें लगभग 12,400 रुपया खर्च किया गया है। परासी नाले का पानी जो चंवरताल में आता है और फिर उसके जरिए 44 किलोमीटर चंवर ताल में पड़ता है राप्ती में चंवरताल से लगभग 20 किलोमीटर फजिहतवा नाला है। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि बूढ़ी राप्ती का पानी हर साल फजिहतवा नाले में गिरता है जिससे वहां सिल्ट जमा हो जाती है। यह आवश्यक है कि फजिहतवा नाले की खुदाई की जाय लेकिन जब भी बाढ़ आएगी, वह नाला फिर भर जायगा। लेकिन इस पर विचार हो रहा है कि इस नाले में पानी न आवे। इस पर विचार हो रहा है कि फजिहतवा नाले का रिमोडलिंग किया जाय।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

चंवरताल और फजिहतवा नाले में बूढ़ी राप्ती नदी का पानी न आवे इस पर अनुसगवा नगवा, ककरही, गुन्हामारुफर पर बांध बनाने की दो योजनायें सरकार की ओर से मंजूर की गयी थीं और वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। उधर से पानी आने का सवाल नहीं उठता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी कोई योजना तैयार करन की कृपा करेंगे कि इन तालों का पानी न मिले और उस क्षेत्र की जनता को राहत हो सके ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

अगर बूढ़ी राप्ती का पानी जो बाढ़ का आता है सिल्ट से फजिहतवा नाले का पटना समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फजिहतवा नाले को रिमोडल कराकर पानी निकासी की व्यवस्था अवश्य कराई जायगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी फजिहतवा नाले को गहरा करने की कोई योजना बनाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैंने अभी निवेदन किया कि फजिहतवा नाला इसलिए नहीं गहरा कर रहे हैं क्योंकि वह एक नेचुरल ड्रेन है और उसमें जब पूरा पानी आता है तो सिल्ट आकर वहां जमा हो जाती है।

अब बूढ़ी राप्ती का पानी फजिहतवा नाले में आना सम्भवत: समाप्त हो गया है। यदि यह स्थिति है तो अवश्य चंवरताल के पानी की निकासी के लिए फजिहतवा नाले की खुदाई की व्यवस्था करेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चंवरताल की लेविल लेवड़ताल से 5-6 फुट ऊंची है और अगर लेवड़ताल ड्रेन की सफाई हो तो भी इसका पानी पूरे क्षेत्र में चंवरताल में जाता है। अगर लेवड़ताल का पानी वह बन्धे रास्ते से ही निकल जाएगा तो कृषि योग्य भूमि जो है वह डूबने से बच जाएगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जैसा मैंने निवेदन किया लेवड़ताल ड्रेन पुरानी सिंचाई विभाग की एक किलोमीटर की है जिसकी सफाई फरवरी, 1978 में करायी गयी थी। तो काम न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शारदा सहायक परियोजना के पोषक नहर में पटाव का कार्य

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह मालूम है कि शारदा सहायक परियोजना के पोषक नहर के कि0 मी0 104 से कि0 मी0 120 तक जिसकी गहराई औसत 10 फिट थी और अब घटकर केवल 3 या 4 फिट रह गयी है, इस कटाव को निकालने में 10 लाख रुपए से अधिक अतिरिक्त व्यय होगा ? यदि हाँ, तो इस कटाव के कारण क्या हैं तथा इसे निकलवाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि आगे का पानी सुचारु रूप से चलाया जा सके ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 104.15 से दरियाबाद शाखा निकलती है। वहाँ पोषक नहर पर एक रेग्यूलेटर है। पोषक नहर के कि0मी0 119.70 से बाराबंकी शाखा निकलती ह। वहाँ एक अन्य रेग्यूलेटर है। कि0मी0 104.15 से कि0 मी0 119.70 तक पोषक नहर की परिकल्पित गहराई 5.15 मीटर (16.9 फिट) थी। उपरोक्त दोनों रेग्यूलेटरों के बीच इस समय औसत सिल्ट की गहराई 1.54 मीटर (5-1 फिट) ह। उपरोक्त सिल्ट की खुदाई और उस पर कोई व्यय प्रस्तावित नहीं है।

पोषक नहर कि0 मी0 119.70 तक बाराबंकी शाखा को जल देने हेतु जुलाई 1975 से चलाई गई थी। बाराबंकी शाखा की वर्तमान जल क्षमता लगभग 1,000 क्यूसेक है जबकि पोषक नहर की जल क्षमता कि0मी0 119.70 के नीचे 13,130 क्यूसेक है। बाराबंकी शाखा को पानी देने के लिए पोषक नहर अपनी क्षमता की लगभग 7.5 प्रतिशत से चलाई गयी जिसके परिणाम स्वरूप पोषक नहर में सिल्ट एकत्रित हो जाना स्वाभाविक था।

अगली फसलों में पोषक नहर में अतिरिक्त जल चलाकर उपरोक्त सिल्ट अधिकांशत: इस प्रणाली पर निर्मित स्केपों में निकाल दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जैसा माननीय मन्त्री जी ने 5 फिट सिल्ट खुद माना है, 13 तारीख को मैंने स्वयं दोनों रेग्यूलेटरों के बीच का हिस्सा देखा है। तो वहाँ 11 से लेकर 119 तक तो ऐवरेज 5 फिट का सही है, लेकिन 104 से 112 तक 11 फिट तो नहर में है और नहर और बालू का एक हो गया है, पता नहीं चलता। तो मैं इस सन्दर्भ में यह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 के पृष्ठ 116-117 की ओर ध्यान दिलाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि दो तो आपके सिल्ट निरोधक बनाए गए 135 लाख की कीमत लगाकर और ऐडीशनल चीफ (शारदा) ने खुद माना है कि 15 किलोमीटर से आगे आवश्यक लेविल तक नहर की खुदाई न होने के कारण ऊपरी भागों में सिल्ट इसी वजह से है। उन्होंने स्वयं माना है 117 पेज पर इस रिपोर्ट में कि उस नहर की गहराई और चौड़ाई इतनी नहीं खोदी गयी कि जिसमें 13,060 क्यूजेक पानी का पैसेज हो जाय, इसलिए यह सिल्ट वहाँ अवश्य है। तो

इन तीन बातों को सामने रखकर 13 तारीख को मैंने अपनी स्वयं विजिट की रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी के पास भेजी है। उसको सामने रख कर और एक ही चीज कह रहे हैं कि 1,300 क्यूजेक पानी जब बहेगा तो अपने आप साफ हो जायगा, लेकिन यहाँ तो पानी के बहने की गुन्जायश ही नहीं है तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई हाई पावर कमेटी अप्वाइंट करेंगे जो इस काम का निरीक्षण करके, जाँच करके रिपोर्ट दे सके जिससे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

यह दरियाबाद और बाराबकी दोनों ड्रेनेज पुरानी शाखाएं हैं, शारदा की। दरियाबाद ड्रेनेज 1974 में चलाई गई, उसके बाद बाराबंकी शाखा चलाई गयी। मैंने यह निवेदन किया था कि जो पोषक नहर बनाई जा चुकी थी तो शारदा कैनाल में पानी बहुत कम था इसलिए पोषक नहर से पानी पहुंचाया गया। अब मैंने जैसा निवेदन किया 7.5 प्रतिशत पानी केवल लिया गया। ऐसी स्थिति में जब नहर की क्षमता इतनी अधिक है तो पानी का बहाव कम होगा ही। 4 फिट उसका रेगूलेटर होता है। जो गिरता है तो धीरे-धीरे पानी आएगा और उसके जरिए से सिल्ट का आना स्वाभाविक है। जब भी तेज रफ्तार से नहर चलेगी तो एस्केप के जरिए से बालू निकल जायगी। कुछ हिस्से में बालू आती रहती है, निकलती रहती है। यह सिल्ट का निकलना कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है। यह निर्भर करता है कि पानी कितने वेग से चल रहा है, नहर की क्षमता कितनी ह और हम कितना पानी डाल रहे हैं, रेगुलेटर कितना बनाया गया है। तो तकनीकी बातों के आधार पर सारी चीजें आती हैं।

जैसे आपने एक आडिट आब्जेक्शन की बात कही, सम्भवतः यह उस वक्त का होगा, चूंकि मैंने अध्ययन नहीं किया है, जबकि नहर के नीचे की मिट्टी ही नहीं खोदी गयी थी। मिट्टी का न खोदना या सिल्ट का भीतर आ जाना यह दोनों अलग चीजें हैं। मिट्टी नहीं खोदी गयी है तो खुदाई आवश्यक होगी और नहर की गहराई आवश्यक होगी। जब सिल्ट आ गई है तो तकनीकी तरीके से जैसे बहाव से एस्केप के जरिए से बालू हटाई जाये।

आपने जो कहा कि लिख कर दिया है तो अभी मुझे इस वक्त तक अपनी जानकारी में मुझे कोई चीज नहीं मिली है। अगर लिखकर भेजा है तो उसकी जाँच हम करायेंगे और माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो कुछ उनकी नालज में बात हो वह हमें देने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जून, 1975 में यह डिक्लेयर किया गया था कि पोषक नहर पूरी कर दी गयी है, उसके बाद आडिट आब्जेक्शन आए हैं, क्या यह मालूम है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत --

श्रीमन्, वैसे पोषक नहर तो हमारे 250 किलोमीटर के लगभग है। जो डिक्लेयर की गयी थी, उसका तो उत्तर दिया कि दरियाबाद और बाराबंकी ड्रेनेज में जहाँ शारदा कैनाल का पानी कम जाता था, जनहित को देखते हुए यह कोशिश की गयी कि पोषक नहर का पानी 119 किलोमीटर तक पहुंचा दिया जाय। जून, 1977 तक यह नहर पूरी की गयी और 1977 से अप्रैल, 1978 तक 258 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं कि यह जगह ज्यादा दूर नहीं है। क्या मन्त्री जी स्वयं 104 से लेकर 120 तक दोनों रेगूलेटर्स के बीच में जो स्थिति है उसका मुआयना करेंगे ? वहाँ रेत नहीं है, बल्कि मिट्टी का खुदान है उसका नमूना मेरे पास रखे हैं जो 10 फुट से नीचे खुद रही है। उसका स्वयं निरीक्षण करने की कृपा करेंगे कि वह तथ्य अपनी निगाह से देख सकें ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया कि माननीय सदस्य. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री, वह यह कहते हैं कि आप स्वयं उसको देख लेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जो भी तथ्य आपने दिए हैं मैं उसको देखूंगा और आवश्यकता महसूस की तो जाकर भी देखूंगा ।

प्रदेश में कोआपरेटिव फेडरेशन, आर०एफ०सी० तथा एफ०सी०आई० द्वारा खरीदे गए गेहूं का जिलेवार विवरण

*6—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आज दिनाँक 1 मई, 1978 तक कितना-कितना गेहूं कोआपरेटिव फेडरेशन,आर0एफ0सी0 तथा एफ0सी0आई0 द्वारा हर जिले में खरीदा गया है और किस-किस जिले में इन एजेंसियों के कहाँ-कहाँ एवं कितने-कितने क्रय सेन्टर कार्य कर रहे हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

वाँछित सूचना† संलग्नक 'क' 'ख' व 'ग' में दी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसमें जो 'ग' में दिया है, उस पर जो लिखा है कि लोकल तरीके से जिला अधिकारियों को और खाद्य विभाग के अधिकारियों को यह आपने छूट दी है कि वह जहाँ जरूरी समझें वहाँ केन्द्र स्थापित कर दें, तो इस सन्दर्भ में जो केन्द्र स्थापित करने वालों का तरीका है उसको ध्यान में रखकर के 2 तारीख को, 3 तारीख को आपने पूरे जिले और खासतौर से मुरादाबाद जिले के वायरलेस से सूचना भेजी कि इन-इन जगहों पर केन्द्र स्थापित कर दिए जायें और वहाँ से रिपोर्ट भेज दी गयी कि इन-इन जगहों पर हम कर रहे हैं, परन्तु आज तक, आज 17 तारीख हो गयी, 15 दिन गुजर गए कोई केन्द्र स्थापित नहीं हुआ और बरेली के आर0एफ0सी0 कह कर आते हैं जिले के अधिकारियों से कि दूसरे, तीसरे दिन अपने क्षेत्रों में घूम-घूम करके आश्वासन दे आओ कि कल, परसों से सेन्टर चला रहे हैं। लेकिन सेन्टर्स काफी नहीं चल रहे हैं। इसको देखते हुए क्या आप वायरलेस द्वारा सब जगह के लिए ऐसे आदेश देंगे कि 2–3 दिन के अन्दर सभी केन्द्र चालू कर दिए जायं ?

श्री हरिश्चन्द्र—

2017 क्रय-केन्द्र पहले से 1 मई तक खुल चुके थे। उसके बाद 2355 खुल गए हैं। ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि 10 किलोमीटर से अधिक दूर कोई गाँव नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ जितने केन्द्रों की आवश्यकता हो, खोले जायें। ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि इस सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये।

श्री रियासत हुसैन—

आपने जो आदेश दिए हैं उनका प्रैक्टीकली पालन नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसे आदेश देंगे कि 20 मई तक हर केन्द्र चालू अवश्य कर दिया जाय क्योंकि यही माह ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं किसान लाकर बेचता है और क्या यदि कोई अधिकारी आदेश के बाद भी नहीं खोलता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

कोई ऐसी जगह है जहाँ माननीय सदस्य यह समझते हैं कि क्रय केन्द्र खुलना चाहिए, वे बताएं, मैं खोलने के लिए तैयार हूं। अभी तक मेरे पास कोई इसकी शिकायत नहीं आई है।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री रियासत हुसैन---

जिला मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद में 4 स्थानों पर क्रय-केन्द्र खुलना बहुत आवश्यक था, जहाँ अभी तक नहीं खुले हैं। यह जगह है---गोविन्दपुर खुन्द, बरवारा मजरा, भगतपुर टाँडा और बूकनपुर---इन चारों स्थानों के लिए जिले से सिफारिश आपके पास पहुंच चुकी हैं, पर केन्द्र अभी तक नहीं खुले हैं। क्या 20 तारीख से पहले यहाँ पर केन्द्र खुल जायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र---

म आज ही इसे देख लूंगा कि इनके बारे में क्या स्थिति है और प्रयास यह करूंगा कि माननीय सदस्य को कोई शिकायत न रह जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है कि प्रदेश में कुछ अवांछनीय तत्व किसानों को गेहूं खराब बताकर उनसे सस्ते मूल्य पर खरीद कर फिर उसी गेहूं को आपके क्रय-केन्द्रों पर बेचते हैं, जिसके कारण किसान को सही कीमत नहीं मिल रही है ? किसान को ठीक कीमत मिल सके, ऐसी व्यवस्था मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र---

इस साल अब तक करीब 2,94,168 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 1,45,586 टन की ही खरीद हुई थी। किसानों को राहत देने के लिए दो ग्रेड का गेहूं कर दिया है और दूसरे अन्न भी जो पहले 4 परसेंट तक थी उसे 6 परसेंट कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैंने प्रश्न यह पूछा था कि क्या इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कुछ अवांछनीय तत्व किसानों से उनका गेहूं खराब बताकर सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और वही गेहूं आपके क्रय केन्द्रों पर बेच देते हैं जिसके कारण किसान को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं ? तो किसानों को सही दाम मिले इसकी क्या कोई व्यवस्था सरकार करायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई शिकायत हो तो वह दे दें, निश्चित रूप से उसे देख लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ताराँकित प्रश्न।]

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज महराजगंज, गोरखपुर के बन्द होने के कारण छात्रों द्वारा आमरण अनशन तथा प्रदर्शन

*1---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) -

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज (गोरखपुर) के विगत दो माह से बन्द होने के कारण छात्रों, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है एवं 10 दिन के अन्दर पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में कालेज के छात्र नता श्री ध्यानेश्वर मणि ने आमरण अनशन तथा छात्रों ने प्रदर्शन एवं घेराव का निर्णय लिया है ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण---

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट---नियम 29(4) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

काल्विन इन्टर कालेज, महमूदाबाद तथा किसान इन्टर कालेज, सरेंया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध शिकायत

*2—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद तथा किसान इण्टर कालेज, सरेंया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्यों के खिलाफ वहाँ की क्षत्रीय जनता तथा विधायक ने अभियोग पत्र जुलाई, 1977 से नवम्बर, 1977 तक दिए थे ? यदि हाँ, तो उनकी जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

केवल प्रधानाचार्य काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक डा0 राम नरायन वर्मा ने दिनाँक 21 नवम्बर, 1977 को एक शिकायती-पत्र प्रेषित किया, जिसकी जाँच विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी। जाँच आख्या की एक प्रति सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रधानाचार्य किसान इण्टर कालेज सरेंया,सीतापुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जाँच का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 809–811 पर)

राजकीय बाल भवन संस्थान, लखनऊ का विस्तार तथा उसमें शिक्षा का स्तर और कार्यरत कर्मचारी

*3—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बाल भवन संस्थान, शाह मीना रोड, लखनऊ में किस स्तर तक की शिक्षा दी जाती है ? इसमें इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस किस स्तर के हैं और भविष्य में इसके विस्तार की क्या कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री कालीचरण—

बाल भवन, लखनऊ एक अभिरुचि केन्द्र है। इसका उद्देश्य पाँच से पन्द्रह वर्ष तक के बालक/बालिकाओं की प्रतिभा तथा क्रियात्मक क्षमता का विकास करना है। इस केन्द्र में सामान्य रूप की शिक्षा नहीं दी जाती है।

इस समय बाल भवन में अवैतनिक अधीक्षिका सहित कुल दस अधिकारी/कर्मचारी हैं। इस केन्द्र की अधीक्षिका को केवल तीन सौ रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। शेष नौ पदों में एक पद राजपत्रित एवं पाँच पद अराजपत्रित तथा तीन पद चतुर्थ श्रेणी के हैं।

भविष्य में विस्तार का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

राजेन्द्र भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़नी में साधारण सभा की बैठक तथा प्रबन्ध समिति का चुनाव

*4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि राजेन्द्र भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़नी, चाफा, बस्ती के साधारण सभा की पिछली बैठक तथा प्रबन्ध समिति का चुनाव कब हुआ और उसके प्रबन्ध समिति के कौन-कौन व्यक्ति पदाधिकारी तथा सदस्य हैं ?

श्री कालीचरण—

साधारण सभा की बैठक तथा प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनाँक 15 अगस्त, 1974 को हुआ।

प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी तथा सदस्य हैं :—

1—अध्यक्ष .. श्री काजी जलील अब्बासी

2—प्रबन्धक .. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

3—उप प्रबन्धक .. श्री शारदा प्रसाद
4—मन्त्री .. श्री देवी बख्श लाल
5—कोषाध्यक्ष .. श्री लालता प्रसाद
6—अंककक्षक .. श्री राजकुमार यादव
7—सदस्य .. श्री राम किशुन
8—सदस्य .. श्री सीता राम
9—प्रधानाचार्य .. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
10—अध्यापक सदस्य .. श्री राम फेर गुप्त
11—अध्यापक सदस्य .. श्री देवेन्द्र प्रसाद।

उतरौला तहसील, जिला गोण्डा में सीमेन्ट के वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच

*5—श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या सरकार बताएगी कि क्या यह सत्य है कि गोण्डा जिला के उतरौला तहसील में सीमेन्ट के वितरण में विभिन्न प्रकार की अनियमितता तथा भ्रष्टाचार एस0डी0एम0, उतरौला ने किया है जिसके सम्बन्ध में बी0डी0ओ0, बभनजोत ने डी0 एस0 ओ0, गोण्डा तथा प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 20 मार्च, 1978 को खाद्य मन्त्री को पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो वह अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार क्या हैं और जाँच में कौन-कौन सत्य पाए गए ?

श्री हरिश्चन्द्र—

खण्ड विकास अधिकारी, बभनजोत ने यह शिकायत की थी कि विकास खण्ड, बभनजोत के लिए जो भी नाम मात्र सीमेन्ट आवंटित होती है उसके परमिट परगनाधिकारी, उतरौला स्वयं काट देते हैं जिसके फलस्वरूप कृषक सीमेन्ट पाने से वंचित रह जाते हैं। माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि परगनाधिकारी ने विकास खण्ड, बभनजोत तथा उतरौला में एक बोरी सीमेन्ट न देकर मनकापुर क्षेत्र में बाँट दिया है और अधिकांश परमिट ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं जो मकान नहीं बनवा रहे हैं और यह भी कि कुछ दलालों के माध्यम से परगनाधिकारी, मनकापुर तथा मसकनवा की सब दुकानों का सीमेन्ट ब्लैक कराते हैं। जाँच करने पर उपरोक्त आरोप सही नहीं पाए गए। जहाँ तक सीमेन्ट की चोर बाजारी का आरोप है, माननीय सदस्य से दिनाँक 21 अप्रैल, 1978 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस सम्बन्ध में उनके पास जो सूचना है उसे देने की कृपा करें जिससे इस आरोप की जाँच में सहायता मिल सके।

जनपद बलिया में उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल्स तथा उनमें उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां

*6—श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में उर्दू माध्यम के कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं ? क्या यह सही है कि इन स्कूल्स में उर्दू अध्यापकों की अब तक नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

पच्चीस।

जी नहीं।

प्राविधिक शिक्षा में निदेशक के पद पर नियुक्ति

*7—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर न करके चुनाव पद्धति से की गयी है ? यदि हाँ, तो इस नियुक्ति के लिए नई पद्धति अपनाए जाने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं। निदेशक के पद पर वर्तमान तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठतम उप निदेशक को प्रोन्नति देकर की गयी है, जो तदर्थ नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है। नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायगी।

[बुधवार, दिनाँक 17 मई, 1978 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों में लागू अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकाय कौन-कौन हैं जहाँ कि अभी भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू नहीं है?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हड़ताल की अवधि में छात्रों से वसूल किया गया शिक्षा-शुल्क

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की गयी हड़ताल की अवधि का शिक्षा शुल्क छात्रों से न लिए जाने की घोषणा के बाद भी प्रदेश के अनेक विद्यालयों छात्रों से फीस ली गयी है? यदि हाँ, तो इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वापस कराने तथा फीस लेने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा क्या किया गया है?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जनपद की गंडक नदी से सम्बन्धित रजबहों तथा माइनरों के क्षतिग्रस्त होने से रबी की फसल को हानि

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में गंडक नदी से सम्बन्धित चितहा–रजबहा, चौरिया रजबहा, बड़हर–रजबहा, हरपुर रजबहा, कल्याण रजबहा, सपहा रजबहा, जमुनिया रजबहा, गयघाट रजबहा, डुमरी रजबहा, प्रेमपुर रजबहा, साण्डी माइनर, रसूलपुर माइनर, किन्नर पट्टी माइनर, बदरौना माइनर, कठकुइयाँ माइनर आदि दिसम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में तथा जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में सिंचाई विभाग की असावधानी के कारण टूट गयी जिसके फलस्वरूप दस हजार एकड़ क्षेत्रफल में रबी की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है? यदि हाँ, तो तत्काल उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

क्योंकि विभागीय व्यक्तियों की असावधानी से किसी क्षेत्रफल को क्षति नहीं हुई है।

ग्राम ईसापुर, जनपद फैजाबाद का अध्यापिका विहीन कन्या प्राइमरी पाठशाला

*4—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मया ब्लाक में ग्राम ईसापुर की कन्या प्राइमरी पाठशाला में कितने महीनों से कोई अध्यापिका नहीं है और क्या

यह भी सही है कि बार-बार प्रधान गाँव सभा ईसापुर और क्षेत्रीय जनता की लिखित प्रार्थना के बावजूद आज तक न तो उक्त पाठशाला को मिश्रित घोषित किया गया और न वहाँ कोई अध्यापिका भेजी गयी ? यदि हाँ, तो क्यों और उक्त पाठशाला में अध्यापिका या अध्यापक की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कालीचरण—

जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में ग्राम ईसापुर की कन्या प्राइमरी पाठशाला में दिनाँक 19 अप्रैल, 1977 से 14 मई, 1977 तक तथा दिनाँक 8 सितम्बर, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक कोई अध्यापिका नहीं रही और 1 फरवरी, 1978 से एक अध्यापक की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में राजकीय नलकूपों के लगाने में की गयी गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायत

*5—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी ब्लाक में राजकीय नलकूपों को लगाने में की गयी गड़बड़ी के बारे में प्रश्नकर्ता दिनाँक 1 फरवरी, 1978 का पत्र गाँव सभा नगहरा तथा गाँव सभा इटवा आदि के निवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर कोई कार्यवाही की गयी और दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ।

जनपद फैजाबाद के भीटी विकास खण्ड के नगहरा एवं इटवा ग्रामों में सिंचाई एवं विद्युत् सलाहकार समिति ने नलकूप लगाने का अनुमोदन किया था किन्तु तकनीकी सर्वेक्षण कराने पर इन ग्रामों में पूर्ण क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण इन ग्रामों के उपलब्ध क्षेत्र के साथ अन्य ग्रामों का क्षेत्र मिलाकर क्रमशः मुहम्मदपुर, गोविन्दपुर ग्राम में कूप लगाया गया जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से उचित है। जिला चयन समिति से उक्त स्थान परिवर्तन का अनुमोदन न कराने के लिए अधिशासी अभियन्ता से इस अनियमितता के लिए उत्तर माँगा गया है तत्पश्चात् इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सिंचाई विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किया जाना

*6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में लगातार 5 वर्षों से अधिक से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि आदेश है कि एक पद पर लगातार तीन साल तक कार्य करने वाले सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाय ?

श्री बलवीर सिंह—

सिंचाई विभाग में तीन वर्ष तथा उससे अधिक अवधि से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमानुसर नियमित करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

जी नहीं।

ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में कुण्डी नाला पर स्थान कनियर के पास पुल निर्माण

*7—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागाँव, जिला वाराणसी में कुण्डी नाला में स्थान कनियर में पुल बनाने हेतु सन् 1974 में स्वीकृति दी गयी थी और उसका पहले इस्टीमेट साठ हजार के करीब बनाया गया और फिर दोबारा सन् 1977 में

पुनरीक्षित इस्टीमेट 70 हजार के आसपास बनाकर सिंचाई विभाग (नहर वाराणसी); वाराणसी मे सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा ह ? यदि हाँ, तो इस्टीमेट स्वीकृत अब तक क्यों नहीं किया गया और पुल क्या वित्तीय वर्ष 1978–79 में बना दिया जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

ग्राम बड़ागाँव, जिला वाराणसी में कुण्डी नाला पर स्थान कनियर के पास पुल बनाने हेतु सन् 1974 में स्वीकृति नहीं दी गयी थी। इसका पुनरीक्षित प्रोजेक्ट प्राक्कलन लागत 86,000 रुपए राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 55वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया और यह निर्णय लिया कि इस पुल का निर्माण बाढ़ मद के अन्तर्गत नहीं आता है और यह सुझाव दिया कि इस पुल का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत कराया जा सकता है।

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के पदों को स्थायी किया जाना तथा नए वेतनमान के आधार पर वेतन वितरण

*8—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या जी-1026-ई0–3/7-बी 4/मिस–वेतन आयोग, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 द्वारा शासन ने सिंचाई विभाग में 217 ड्राफ्ट्समैन के पद स्थायी घोषित किए थे, परन्तु विभाग द्वारा सितम्बर, 1977 तक केवल 198 ड्राफ्ट्समैन को स्थायी घोषित किया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित ऐसा कोई पत्र, जिसमें ड्राफ्ट्समैन के पद को स्थायी घोषित किया हो, शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। ड्राफ्ट्समैन के स्थायी पदों की संख्या जिसका उल्लेख प्रश्न में है, से भी अधिक पद 1977 तक उपलब्ध हुए जिनके विरुद्ध 295 ड्राफ्ट्समैनों को स्थायी किया जा चुका है। शेष पदों पर कुछ ड्राफ्ट्समैनों की ज्येष्ठता निर्धारित न हो सकने के कारण तथा कुछ की चरित्र पंजिकाएं उपलब्ध न होने के कारण स्थायीकरण नहीं किया जा सका।

*9—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 1972 से पूर्व सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के दो वेतनमान चल रहे थे लेकिन वेतन आयोग 1972 द्वारा समस्त ड्राफ्ट्समैन का एक ही वेतन-मान कर दिया गया फिर भी विभाग में कम सेवा वाले ड्राफ्ट्समैन अधिक सेवा वाले ड्राफ्ट्समैन से अधिक वेतन पा रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

वर्ष 1972 के पूर्व ड्राफ्ट्समैन के तीन वेतनमान चल रहे थ लेकिन वेतन आयोग 1972 द्वारा समस्त ड्राफ्ट्समैन के केवल दो वेतनमान ही रखे गए। पुराने वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों का नए वेतनमान में वेतन निर्धारण उनके द्वारा पुराने वेतनमान में आहरित किए जा रहे वेतन के आधार पर शासनादेश सं0 वे0 आ0 2799/दस/73 दिनांक 4 जुलाई, 1973 में निहित आदेशानुसार किया गया है।

जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध आरोप तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया रजिस्टर्ड–पत्र

*10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज (गोरखपुर) के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र फरवरी, 1978 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं, एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य (श्री इन्द्रमित्र शास्त्री) का कोई रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1978 को मिला है ? जिसमें कालेज प्रबन्धक द्वारा कालेज के कागजात (1972–78 तक के) अवैध रूप से ले जाने का जिक्र है ? यदि हां, तो पूरा पत्र क्या है एवं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

दिनांक 20 फरवरी, 1978 का कोई प्राप्त नहीं हुआ है अतएव उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बजरंग बिहारी मिश्र, प्रबन्धक गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, बड़ागांव (गोण्डा) के विरुद्ध गबन तथा अन्य अनियमितताओं की जांच

*12—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बजरंग बिहारी मिश्र, प्रबन्धक, गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, रेलवे कालोनी, बड़ागांव, गोण्डा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं के लिए थाना कोतवाली गोण्डा के यहां दिनांक 11 नवम्बर, 1976 तथा 19 नवम्बर, 1976 को कोई मुकदमा कायम कराया था ? यदि हां, तो कितने रुपए का गबन है और क्या-क्या आरोप लगाया है ? अब तक उक्त मामले की जांच किस अधिकारी ने किया ? और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ बालिका विद्यालय रीजनल कार्यालय में आवेदकों के शुल्क की वापसी

*13—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ बालिका विद्यालय, रीजनल कार्यालय में 7 जुलाई, 1976 के शासनादेश संख्या 3283/15–7–7–76–2(18)–75 के अन्तर्गत कितने लोगों ने 9 रुपए क्रास पोस्टल आर्डर पर आवेदन-पत्र जुलाई, 1976 से 30 दिसम्बर, 1976 तक दिए हैं ? क्या शासन इनका रुपया वापिस करेगी ?

श्री कालीचरण—

726 लोगों ने प्रश्नगत अवधि में आवेदन-पत्र दिया था। जिन पदों का विज्ञापन कार्यरत अस्थायी अध्यापकों की सेवाएं नियमित हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया, उनके आवेदकों के शुल्क की वापसी का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

विकास खण्ड देवां, जिला बाराबंकी के शारदा सहायक नहर के लिये किसानों की ली गई भूमि को दिया गया मुआवजा

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर के किलोमीटर 135 से 136 तक गांव नई मऊ, मजरा लीला पुरवा जबरीदलां, मजरा गढ़ी, महरौन्द, टिकरिया व मजराजरवा, तहसील नवाबगंज, विकास खण्ड देवां, जिला बाराबंकी के किसानों की जो उपजाऊ भूमि लगभग साढ़े तीन मीटर गहराई तक खोदी गयी है उस भूमि के सभी मालिकों को मुआवजा दिया गया है ? क्या सरकार बताएगी कि वह भूमि कब समतल की गयी है ? यदि अभी तक समतल नहीं की गयी है ? तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलवीर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के किलोमीटर 135 से 136 तक मिट्टी उठाने हेतु जो भूमि अस्थायी रूप से ली गयी है उसमें लगाई गयी खतियों को अधिकतम गहराई मात्र 2.7 मीटर तक ही है। उक्त भूमि के मालिकों को प्रतिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है।

सरकार की ओर से भूमि को समतल कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता, न ही इस प्रकार का कोई प्राविधान भूमि अध्याप्ति अधिनियम में है।

इसके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा मण्डप हेतु ध्वनि संचालक तथा वातानुकूलित यन्त्र कर्मचारियों का वेतनमान

*15—श्री महम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के अन्तर्गत विधान सभा मण्डप हेतु ध्वनि संचालन एवं वातानुकूलित यन्त्र हेतु अनेक कर्मचारी माह मार्च, 1974 में रखे गए थे जिनका वेतनमान उस समय निर्धारित नहीं किया गया था? क्या यह सही है कि इस विषय में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वेतनमान निर्धारित करके शासन की अनुमति के लिये भेजा था जो वित्त विभाग से एप्रूव्ड भी हो गया था? यदि हां, तो उसको अब तक लागू न किए जाने के लिए उत्तरदायी कौन है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। ये कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियत वेतन पर रखे गए थे।

मुख्य अभियन्ता से प्रश्नगत सन्दर्भ प्राप्त हुआ था किन्तु पूर्व सूचना के अभाव में अभी वित्त विभाग की सहमति से निर्णय नहीं लिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरमहापालिका कानपुर के ग्राम सुखनीपुर तथा मदारपुर में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा चलाए गए स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था

*16—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका कानपुर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम सुखनीपुर तथा मदारपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाए जाने वाले दोनों स्कूल खुले चबूतरे पर चलते हैं तथा इन स्कूलों का अपना फर्नीचर भी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*17—श्री मन्जूर अली खां—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मनेरी भाली प्रोजेक्ट, उत्तरकाशी में कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती

*18—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनेरी भाली प्रोजेक्ट, उत्तरकाशी में कितने जूनियर, सीनियर क्लर्क तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं? उसमें से उत्तरकाशी तथा टिहरी जिले के कितने हैं तथा क्या इन कर्मचारियों की भर्ती के समय सेवा योजन कार्यालय उत्तरकाशी से सूची मांगी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलबीर सिंह—

मनेरी माली परियोजना, उत्तरकाशी में 45 जूनियर, 49 सीनियर क्लर्क तथा 115 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। इनमें से उत्तरकाशी व टिहरी जिले के कर्मचारी निम्न प्रकार हैं :—

क्रम-सं0	पद		कुल संख्या	उत्तरकाशी जनपद के	टिहरी जनपद के
1	जूनियर क्लर्क	..	45	20	6
2	सीनियर क्लर्क	..	49	3	5
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	115	43	31
	योग	..	209	66	42

उन कर्मचारियों के अतिरिक्त, जो विभाग के अन्य कार्यालयों से स्थानान्तरण पर आए, कार्य-प्रभारित अधिष्ठान से प्रोन्नत किए गए एवं छटनी शुदा कर्मचारी होने के नाते भर्ती किए गए, केवल एक को छोड़कर शेष की भर्ती सेवायोजन कार्यालय, उत्तरकाशी से सूची मंगा कर की गयी थी।

*19—श्री राम आसरे वर्मा—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*20—श्री राम आसरे वर्मा—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रुड़की-पथरी मार्ग जिला सहारनपुर का पुनर्निर्माण तथा पथ-कर लिए जाने का विरोध

*21—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि रुड़की पथरी-मार्ग, जिला सहारनपुर जो गत अगस्त, की बरसात से टूटा पड़ा है, और जिसके कारण वाहनों तथा सवारियों को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है अब तक नहीं बनाया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

रुड़की-पथरी मार्ग वर्ष 1977 की बारिश में टूट गया था। बरसात बाद इस मार्ग की मरम्मत की गयी इस सड़क का किलोमीटर 11 से 15 का टुकड़ा पथरीराव नदी के बाढ़ इलाके में होने के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गया। इस सड़क को चालू रखने के लिए इस टुकड़े की लगातार मरम्मत की जाती है मगर फिर भी इसको ऐसी हालात में रखना मुमकिन नहीं हो रहा है कि इस पर से गुजरने वाले वाहनों और सवारियों को तकलीफ न हो।

*22—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनता के विरोध पर भी उक्त टूटे मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग वाहनों पर कर ले रहा है? यदि हां, तो कर क्यों लिया जा रहा है और इसका लेना कब बन्द किया जायेगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

रुड़की-पथरी मार्ग के किलोमीटर 2 में सोलानी नदी के ऊपर बने हुए पुल पर पथकर लिया जा रहा है। सड़क खराब होने की वजह से इस पथकर को लिए जाने का विरोध किया जा रहा है। पथकर को बन्द करने के मामले पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

*23—श्री बाबू राम शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*24—श्री श्याम सुन्दर गुप्त तथा श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में ग्रामीण सिंचाई जन समितियों के गठन की मांग

*25—श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़), श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर), श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने अपने 51वें वार्षिक सम्मेलन वाराणसी में एक प्रस्ताव पारित कर सिंचाई विभाग में ग्रामीण सिंचाई जन समितियों के गठन किए जाने की शासन से अगस्त, 1977 में मांग की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मांग को स्वीकार कर कार्यान्वित करा रही है ? यदि नहीं, तो उस मांग को मान लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, सिंचाई संघ का प्रश्नगत पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1977 शासन को प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा ग्रामीण जनसमिति गठित किए जाने की मांग स्वीकार नहीं की गयी। मांग मान लेने की दशा में गलत इन्द्राज की सीधी जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन होगा।

विभिन्न प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत दाइयों, चपरासी, मेहतर तथा चौकीदारों के वेतन में विभिन्नता

*28—श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर) तथा श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहुत से प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में दाइयों, चपरासी, मेहतर तथा चौकीदार को केवल 50 रु0 मासिक वेतन दिया जाता है परन्तु बहुत से स्कूलों में उन्हें वेतन अधिक दर से दिया जाता है इस प्रकार की विभिन्नता का क्या कारण है ? क्या सरकार प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के सभी दाइयों, चपरासी, कहार, मेहतर तथा चौकीदारों का वेतन दर समान करेगी ?

श्री कालीचरण—

प्रकरण शासन के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

*27—श्री प्रभु दयाल यादव—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*28–29—श्री मौजी लाल कुरील—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*30—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री भाभी यादव तथा श्री बाबू राम वर्मा—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

ब्रह्मऋषि परशुराम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम मरैली, जिला सीतापुर को स्वीकृत अनुदान के भुगतान में विलम्ब

*31—श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मऋषि परशुराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम मरेली तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर को 1 से 5 तक निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति अनुदान 1969–70 तथा 1970–71 का लगभग; 11,000 रुपया मार्च, 1974 में स्वीकृत हुआ था जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? क्या शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 1/2 (दो) (43) बी0/75-76' दिनांक 28 अगस्त, 1975 के द्वारा आदेश दिया गया, उपरोक्त विद्यालय का अनुदान तुरन्त भुगतान किया जाय ? यदि हां, तो आज तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण—

जी हां। छात्र संख्या के सत्यापन हेतु पूर्ण अभिलेख के अभाव में विद्यालय को भुगतान नहीं किया गया ।

प्रबन्धक के प्रार्थना-पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संतुष्टि के पश्चात् भुगतान हेतु आदेश दिया गया। प्रबन्धक द्वारा छात्र संख्या सत्यापित हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सम्पूर्ण धनराशि राज्यकोष में चालान संख्या 14, दिनांक 20 फरवरी, 1976 द्वारा जमा कर दी गयी ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ जनपद बिजनौर के प्रबन्धक के विरुद्ध आरोपों की जांच

*32—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजमगढ़, जनपद बिजनौर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1977 का जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर को तथा शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र में प्रबन्धक पर क्या-क्या गम्भीर आरोप थे और उस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कालीचरण—

जी हां। प्रश्नगत आरोप-पत्र में कम वेतन देना, जबरदस्ती धन इकट्ठा करना, फर्जी रसीदें काटना, विद्यालय के धन का अपव्यय तथा अध्यापकों को वेतन न देना आदि थे। आरोपों की जांच की गयी। अनियमितताओं की पुष्टि न होने पर प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर खड़ी ब्लाक बड़नपुर जनपद बिजनौर में कन्या पाठशाला के भवन का निर्माण

*33—श्री अब्दुल वहीद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर खड़ी ब्लाक बड़नपुर जनपद बिजनौर में कन्या पाठशाला की बिल्डिंग बनाने का नक्शा अवर अभियन्ता का बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर को इस वर्ष प्राप्त हुआ? क्या इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र नक्शे के अनुसार बिल्डिंग बनाने हेतु प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस बिल्डिंग का निर्माण अब तक न कराने का क्या कारण है?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ।

जी हां, इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ था ।

कन्या पाठशाला के भवन का निर्माण कराया जा रहा है ।

*34—श्री दयाराम भास्कर—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री महानन्द मैठाणी, सेवा निवृत्त अध्यापक, उत्तरकाशी की पेंशन का भुगतान

*35—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

क्या शिक्षा मन्त्री को विदित है कि श्री महानन्द मैठाणी, सेवा निवृत्त अध्यापक, उत्तरकाशी का पेंशन का मामला 10 वर्ष से अभी तक तय नहीं हुआ? महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को श्री महानन्द मैठाणी की सर्विस-बुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी के कार्यालय में भेजी थी जो आज तक उत्तरकाशी से इलाहाबाद नहीं भेजी गयी है जिससे अल्प वेतन-भोगी सेवा निवृत्त अध्यापक भयंकर आर्थिक कठिनाइयों से परेशान हैं? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस अध्यापक को अविलम्ब पेंशन स्वीकृत कराने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ।

श्री महानन्द मैठाणी सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक, उत्तरकाशी को नियमानुसार पेंशन देय नहीं है। श्री मैठाणी को केवल ग्रेच्युटी ही देय थी जिसका भुगतान किया जा चुका है। प्रसंगत सेवा पुस्तिका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जून, 1975 में ही शिक्षा निदेशक/महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दी गई थी शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिहानी, हरदोई के हाई स्कूल के विद्यार्थियों का रोका गया परीक्षाफल

*36—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिहानी, हरदोई के कक्षा दस के विद्यार्थियों का वर्ष 1977 का परीक्षाफल बोर्ड द्वारा सामूहिक रूप से रोक लिया गया था ? यदि हां, तो परीक्षाफल रोके जाने का आधार क्या था तथा सरकार उन विद्यार्थियों का परीक्षाफल अविलम्ब घोषित किए जाने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कालीचरण—

जी हां। इस विद्यालय का 1977 की हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल परीक्षा में सामूहिक रूप से अनुचित साधन प्रयोग करने के आधार पर रोक लिया गया था ।

सभी परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर निर्णय लिया जा चुका है तथा निर्णय की सूचना सम्बन्धित विद्यालयों को भेज दी गयी है ।

*37—श्री पूरन लाल—

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों का नाम भी रोके गए परीक्षाफल में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

परीक्षक द्वारा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग की आशंका व्यक्त की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र के समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गए थे। पूरी सूची में अनुपस्थित छात्रों के नाम भी सम्मिलित हो गए थे ।

जनपद नैनीताल में ग्राम कुमेरिया के पास कोसी नदी पर तथा गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण

*38—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी पर कुमेरिया नामक स्थान के समीप तथा गोला नदी पर जमरानी बाँधों की निर्माण योजनाएं किस स्थिति में है और उन योजनाओं पर कार्य आरम्भ कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ, नैनीताल जनपद में ग्राम कुमेरिया के पास कोसी नदी पर बाँध बनाने हेतु अनुसन्धान कार्य हो रहा है। अनुसन्धान कार्य पूर्ण होने पर यदि बाँध का बन सकना सम्भव हुआ तो कार्य प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर आरम्भ किया जा सकेगा।

गोला नदी पर जमरानी बाँध का डिजाइन प्रगति में है अतएव इस बांध का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इसके अन्तर्गत गोला बैराज, पोषक नहरें तथा नई माइनरों का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में गबन तथा रोकड़िए का निलम्बन

*39—श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में अगस्त, 1976 में हुए गबन के सम्बन्ध में रोकड़िया को तो निलम्बित किया गया, परन्तु विशेष सम्परीक्षा (जिसकी रिपोर्ट 12 दिसम्बर, 1977 को प्राप्त हुई) वे लेखा अधिकारी द्वारा असहयोग करने, रिकार्ड न दिखाने, अपने कर्तव्यों का पालन न करने, रोकड़ में लगातार कमी के बावजूद भौतिक सत्यापन, फर्जी प्रमाणपत्र देनेएवं अनियमिततायें करने पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में अगस्त, 1976 में जो गबन का मामला प्रकाश में आया, उस सम्बन्ध में रोकड़िए के लिखित बयान में कालेज की रोकड़ में कमी स्वीकार करने पर 25 अगस्त, 1976 को निलम्बित कर दिया गया। विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट जो कालेज को 12 दिसम्बर, 1977 को प्राप्त हुई उसमें अंकित अनियमितताओं एवं गबन के बारे में गहराई से जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

ग्राम प्रधान श्री मकसूदन पाण्डे को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

*40—श्री बाबू लाल सरोज, श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद), श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद), श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के नोनहरा थाने के बवाड़े ग्राम के ग्राम प्रधान को गबन, चोर बाजारी, तस्करी इत्यादि आरोप होते हुए भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी नहीं, गाजीपुर, जनपद के नोनहरा थाने के अन्तर्गत, ग्राम बवाड़े के ग्राम प्रधान श्री मकसूदन पाण्डेय को सरकारी सस्ते गल्ले, चीनी की कोई दुकान आवंटित नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटर मार्गों के निर्माण से क्षतिग्रस्त खेतों का मुआवजा

*41—श्री भगवती चरण 'निर्मोही' (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मोटर मार्गों के निर्माण करते समय निर्मित मोटर मार्ग के निचले भाग में पड़ने वाले जो खेत टूट जाते हैं या सदा के लिए बरबाद हो जाते हैं, उनका मुआविजा नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इस पर शासन सहानुभूति के साथ विचार कर रहा है कि इस प्रकार के खेतों का मुआविजा दिया जाय ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पर्वतीय जिलों में मोटर मार्गों के निर्माण करते समय मार्गों के निचले भाग में पड़ने वाले जो खेत टूट जाते हैं या बरबाद हो जाते हैं उनका मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा आँकी गयी क्षति के आधार पर दिया जाता है।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ बस्ती में लगाए गये राजकीय नलकूप

*42—श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ बस्ती के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1976–77 व 1977–78 में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु शासन द्वारा नलकूप लगवाए गए हैं ? यदि हाँ, तो कब और कहाँ तथा क्या सभी नलकूप कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

विधान सभा क्षेत्र सोहरतगढ़, जनपद बस्ती में वर्ष 1976–77 में कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया है। वर्ष 1977–78 में 3 नलकूप ग्राम करौदा मसीना, परसा तथा बरगदवा में लगाए गए हैं। करौदा मसीना का नलकूप चल रहा है। ग्राम परसा में बने नलकूप का बी0एल0फार्म विद्युत् विभाग को भेजा जा चुका है जिसका विद्युतीकरण होना शेष है। ग्राम बरगदवा का नलकूप मार्च, 1978 में छिद्रित हुआ है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

रतनसेन इण्टर कालेज, बांसी, जिला बस्ती में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति

*43—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत रतनसेन इण्टर कालेज, बाँसी के प्रधानाचार्य का पद जून, 1973 में रिक्त हो गया है क्योंकि प्रधानाचार्य का कार्यकाल पूरा हो गया था और तभी से आज दिनांक 7 अप्रैल, 1978 तक उस विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति विधिवत् रूप से नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो प्रधानाचार्य के विधिवत् चुनाव एवं नियुक्ति न होने का क्या कारण है ? चुनाव एवं नियुक्ति कब तक हो जाने की आशा की जाय ?

श्री कालीचरण—

जी हाँ। प्रबन्धक को शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिए जा चुके हैं और सत्रान्त तक नियुक्ति हो जाने की आशा है।

*44—श्री अकबर हुसैन—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

कन्या प्राइमरी पाठशाला भोगांव, मैनपुरी में कार्यरत सहायक अध्यापिका, श्रीमती राम दर्शनी और श्यामा देवी के स्थानान्तरण का आधार तथा चुनाव समिति, मैनपुरी के आदेशों की अवहेलना

*45—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कन्या प्राइमरी पाठशाला भोगाँव, मैनपुरी में कार्यरत सहायक अध्यापिका श्रीमती राम दर्शनी और श्रीमती श्यामा देवी की पदोन्नति आदेश सं0 292, दिनाँक 14 मार्च, 1977 को हुई थी और क्या दोनों प्रधान अध्यापिकाओं ने अपना चार्ज आदेश के अनुसार ले लिया था ? यदि नहीं, तो श्यामा देवी को प्राइमरी पाठशाला भोगाँव से कन्या प्राइमरी पाठशाला, छाछा को किस आधार पर स्थानान्तरण किया गया ? और श्रीमती राम दर्शनी ने आज्ञा की अवहेलना करने के पश्चात् भी उनको भोगाँव पर ही पुनः पदोन्नति क्यों की ? इस मामले में सरकार के आदेशों की जिन-जिन अधिकारियों ने अवज्ञा की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गयी तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हाँ।

जी नहीं, केवल श्रीमती श्यामा देवी ने भोगाँव में प्रधान अध्यापिका के पद का कार्यभार ग्रहण किया था।

श्रीमती राम दर्शनी ने आदेशों की अवहेलना नहीं की वरन् कन्या प्राइमरी पाठशाला, छाछा में प्रधान अध्यापिका के पद पर स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन देकर भोगाँव में ही रहने की माँग की थीं। इस प्रत्यावेदन पर स्थानान्तरण समिति के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), मैनपुरी के आदेश दिनाँक 30 अप्रैल, 1977 द्वारा श्रीमती रामदर्शनी का स्थानान्तरण छाछा स भोगाँव श्रीमती श्यामा देवी को भोगाँव से छाछा स्थानान्तरित कर दिया गया। इस विषय पर उतर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ में शिकायत प्राप्त होने पर विषय का परीक्षण करने के पश्चात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् ने दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) मैनपुरी को आदेश दिए कि श्रीमती श्यामा देवी की भोगाँव में रहने की माँग न्यायोचित है और जिला स्थानान्तरण समिति की बैठक बुलाकर श्रीमती श्यामा देवी को भोगाँव में ही रहने पर विचार किया जाय। उपरोक्त आदेशों का पालन न करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण माँगा गया है।

*46—श्री हाकिम लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 वी0 के0 गुप्ता, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के आदेश संख्या (14082–84) 2–1(16)–77-78, दिनाँक 13 सितम्बर, 1977 के अनुसार प्र0 अ0 श्रीमती श्यामा देवी को भोगाँव में ही रखने के लिए चुनाव समिति मैनपुरी के लिए लिखा था? यदि हाँ, तो उस आदेश की अवहेलना क्यों की गयी?

श्री कालीचरण—

जी हाँ, आदेशों की अवहेलना के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी का स्पष्टीकरण माँगा गया है।

गोवर्धन ड्रेन बरसाना पर पुल निर्माण

*47—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोवर्धन ड्रेन बरसाना पर पुल 10 साल से टूटा पड़ा है और उसका 8 लाख रुपया भी सिंचाई विभाग ने ब्रिज कारपोरेशन को दे दिया है? यदि हाँ, तो इस पुल को क्यों नहीं बनवाया गया? अब यह पुल कब तक बन जायगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हाँ। यह धनराशि 8.00 लाख रुपया नहीं बल्कि 7.35 लाख रुपया सिंचाई विभाग द्वारा सेतु निगम को दिया गया है।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने इस पुल के सेतु निगम द्वारा बनाए गए आगणन पर दिसम्बर, 1976 से अपनी सहमति दी। परन्तु बाद जनवरी, 1977 सी0सी0 पटेल कमीशन की जाँच होने तक कार्य रोक दिया गया था। जाँच पूरी होने पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अगस्त, 1977 में कार्य प्रारम्भ कराए जाने पर अपनी स्वीकृति दी। सेतु निगम के पास स्टाफ की कमी थी जिसके कारण अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

इस वर्ष वर्षाकाल के बाद कार्य प्रारम्भ कराए जाने का प्रस्ताव है तथा दिसम्बर, 1979 में पूरा होने की आशा है।

मोती लाल नेहरु इण्टर कालेज, कोधियारा, जिला इलाहाबाद के लेखे में पाई गई अनियमितताएं

*48—श्री गुरु प्रसाद शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मोती लाल नेहरू इन्टर कालेज, कौधिआरा विकास खण्ड जमरा, जिला इलाहाबाद में 1974-75 में साधिकार नियन्त्रक नियुक्त हुआ था जिसने उक्त विद्यालय में अनियमितता और गबन विषयक लगभग एक लाख रुपए का घोटाला पाया गया? यदि हाँ, तो अब तक उस विषय में सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

मोती लाल नेहरू इण्टर कालेज, कोधियारा विकास खण्ड जसरा, जिला इलाहाबाद में वर्ष 1974–75 में नहीं बल्कि वर्ष 1975–76 में साधिकार नियन्त्रक नियुक्त हुआ था।

साधिकार नियन्त्रक ने नहीं बल्कि विभाग द्वारा साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति से पूर्व विद्यालय के लेखे में अनियमितताएं पाई गयीं।

विद्यालय में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की गयी थी तथा विद्यालय की प्रबन्ध समिति से व्याप्त अनियमितताओं को दूर कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

*49—श्री भीषम—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ में चयन में अनियमितता

*50—श्री रफी उल्लाह—

क्या शासन को जानकारी है कि भारत सरकार के पैट्रोलियम केमिकल्स एवं फर्टीलाइजर मन्त्री ने अपने पत्र संख्या 4314-एम0पी0एण्ड सी0एफ0, दिनाँक 10 जून, 1977 द्वारा तथा विधायकों ने अपने पत्र दिनाँक 30 दिसम्बर, 1977 तथा दिनाँक 31 मार्च, 1978 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज लखनऊ, में दिनाँक 16 नवम्बर, 1971 को किए गए चयन में अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कृत अनियमितता को दूर करने का आग्रह किया है ? यदि हाँ, तो जाँच किसके द्वारा कराई गई और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी हाँ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा जाँच की जा रही है। प्रबन्धक द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

*51—श्री राम नरेश पाण्डेय—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*52—श्री गिराश चन्द्र तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री एम०पी० शर्मा, ज्येष्ठ निरीक्षक बांट तथा माप, कन्नौज के विरुद्ध शिकायत तथा गुप्तचर विभाग द्वारा जांच

*53—श्री महेन्द्र सिंह यादव (जिला इटावा) तथा श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांट तथा माप वरिष्ठ निरीक्षक श्री एम0पी0 शर्मा कन्नौज, फर्रुखाबाद के विरूद्ध गलत बांटों की मुहर लगाने की 1 दिसम्बर, 1976 को धारा 34 अन्तर्गत शिकायत की गई है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र–

श्री एम0 पी0 शर्मा, ज्येष्ठ निरीक्षक, बांट तथा माप, कन्नौज के विरुद्ध गलत बांटों की मुहर लगाने विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् श्री शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

*54––श्री महेन्द्र सिंह यादव तथा श्री गिरीश चन्द्र तिवारी––

क्या खाद्य मन्त्री को पता है कि श्री एम0 पी0 शर्मा वरिष्ठ निरीक्षक, बांट तथा माप कन्नौज, फर्रुखाबाद की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच हुई ह ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरिश्चद्र–

जी नहीं। श्री एम0 पी0 शर्मा वरिष्ठ निरीक्षक, बांट तथा माप कन्नौज फर्रुखाबाद के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है।

प्रदेश में नए हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज खोलने की योजना

*55––श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बांदा)–

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि शासन द्वारा वष 1978-79 ई0 में देश में नए हाई स्कूल या इन्टर कालेज खोलने की योजना है ? यदि हां, तो बांदा जनपद के अन्तर्गत अतर्रा नगर में कन्याओं का इन्टर कालेज खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तो यह कब तक खुल जायेगा ?

श्री कालीचरण–

जी हां। नए राजकीय हाई स्कूल खोलने तथा राजकीय हाई स्कूलों के इन्टर स्तर तक उच्चीकरण की योजनायें हैं। बांदा जनपद के अतर्रा नगर में कन्याओं का राजकीय इन्टर कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*56–57––श्री बसन्त––

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*58––श्री राजपति मिश्र––

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

जनपद सुलतान पुर के लमुआ क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

*59––श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपनद सुल्तानपुर के लमुआ क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा गत जुलाई, 1977 से आज तक कराई गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ?

श्री कालीचरण––

जी हां, सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निराक्षक के विरुद्ध लगाए गए आरोप जांचोपरान्त निराधार पाए गए।

*60––श्री अरुण कुमार––

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

करबन नदी के बमान घाट पर पुल निर्माण

*61—श्री चन्द्र भान मौर्य (जिला आगरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में ही प्रश्नकर्ता के क्षेत्र ऐतमादपुर, जिला आगरा में करबन नदी के बमान घाट पर बीसों आदमियों की मृत्यु नदी में डूबकर पुल के अभाव में हुई है? साथ ही यह भी सही है कि बरसात के मौसम में तो क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों का सम्पर्क विकास खन्ड से तथा आगरा से टूट जाता है? काश्तकार अपनी उपज मन्डी तक नहीं ला पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त करबन नदी पर पुल निर्माण के प्रश्न पर अविलम्ब विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक पुल निर्माण का कार्य हो सकेगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

ऐतमादपुर विधान सभा क्षेत्र जिला आगरा में करबन नदी पर बमान घाट सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी मार्ग पर स्थित नहीं है। विभाग को ज्ञात नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में इस पुल पर नदी में डूबने से कितने आदमियों की मृत्यु हुई। बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के कुछ गांवों का विकास खन्ड तथा आगरा से सम्पर्क छूट जाता है। करबन नदी पर बमान घाट पर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

जनपद देवरिया में कप्तानगंज नौरंगिया सड़क का निर्माण

*62—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की कप्तानगंज नौरंगिया सड़क की भराई कब और किस योजना के अन्तर्गत हुई? कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए में कब तक इस सड़क के पूर्ण होने की सम्भावना है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

देवरिया जनपद में कप्तान गंज नौरंगिया सड़क का निर्माण ग्रामीण जन शक्ति योजना के तृतीय सिरीज के अन्तर्गत सितम्बर, 1963 में प्रारम्भ हुआ। उक्त मार्ग के निर्माण पर कुल व्यय 10.80 लाख रुपए हुए तथा निर्माण कार्य दिसम्बर, 1968 में पूरा हो चुका है।

*63—श्री ऊदल—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]।

कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को देय पर्वतीय विकास भत्ता

*64—श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय व कुमायूं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों का पर्वतीय विकास भत्ता नहीं मिल रहा है जिसके कारण बहुत बड़ा असन्तोष है? क्या मन्त्री जी को पता है कि श्रीनगर गढ़वाल में 25 दिन से अनिश्चित कालीन मूख हड़ताल चल रही है? क्या माननीय मन्त्री जी दोनों विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों को विकास भत्ता देंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री कालीचरण—

जी हां। कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*65—श्री गुलाब सेहरा तथा श्री मुकीमुर्रहमान—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*66—श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद'—
[9वे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, चिल्लावां, सरोजनी नगर, लखनऊ में अध्यापिका का रोका गया वेतन

*67—श्री सन्तबख्श रावत (जिला लखनऊ) तथा श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, चिल्लावां, सरोजिनी नगर, लखनऊ के कितने शिक्षकों का माह दिसम्बर, 1976 से 1 मार्च, 1977 तक का वेतन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रोक रखा गया है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दन्डित किए जाने का आदेश देते हुए अविलम्ब वेतन भुगतान किए जाने का आदेश देगी ?

श्री काली चरण—

जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, चिल्लावां, सरोजनी नगर, लखनऊ की केवल एक अध्यापिका कु0 स्वर्णलता शुक्ला का माह दिसम्बर, 1976 से मार्च, 1977 तक का वेतन उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना के साथ-साथ चिकित्सीय अवकाश पर चले जाने के कारण पुष्टि स्वरूप चिकित्सीय प्रमाण-पत्र एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित अधिकारी के सम्मुख समय से प्रस्तुत नहीं किए गए। अध्यापिका द्वारा उक्त अवधि का चिकत्सीय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर उनका वेतन अब भुगतान कर दिया गया है और वेतन भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*68—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम या नियमावली में कोई प्राविधान किया गया है और क्या उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम बन गए हैं ? यदि नहीं, तो बांदा जिले के ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण दूसरे जिले में इस वर्ष किस आधार पर किए गए ?

श्री काली चरण—

उत्तर प्रदेश बेशिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम; 1972 की धारा 2 की उपधारा 3 में प्राविधान है। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित नियमावली बनाने की कार्यवाही की जा रही है। बांदा जिले के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए गए थे ?

*69—श्री राम सजीवन—
[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*70—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—
[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गांधी महाविद्यालय, उरई के प्राचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा कार्य न करने दिया जाना तथा रोका गया वेतन

*71—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि गाँधी महाविद्यालय, उरई के प्राचार्य को बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किए गए आदेशों के बावजूद प्रबन्ध समिति न तो उन्हें कार्य करने दे रही हैऔर न ही उनको दिसम्बर से वेतन का भुगतान ही कर रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यू0 पी0 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट की धारा 60 डी0 के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत एक तरफ गाँधी महाविद्यालय के वेतन भुगतान का अधिकार अपने हाथ में लेकर प्राचार्य के वेतन का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गंगा नदी पर बन्द किया गया छठड़ी का झूला वाला पुल

*72—श्री भगवती चरण निर्मोही—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला पौड़ी-गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल को जोड़ने वाला गंगा नदी पर छठड़ी (बछैली खास) का झूला वाला पुल यातायात के लिए बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा उसे यातायात के लिए कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उक्त पुल पैदल तथा खच्चरों के लिए असुरक्षित हो गया था। उसकी विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति में है तथा उसे यातायात के लिए जून, 1978 के अन्त तक खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ के मिलन ग्राम में चेक पोस्ट, रेस्ट हाउस, निरीक्षण भवन एवं आउट हाउस का निर्माण

1—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत सीमा के निकट स्थित मिलन गाँव में चेक-पोस्ट भवन 'सी' ब्लाक रेस्ट हाउस "ए", "बी", "सी" तीनों ब्लाक, निरीक्षण भवन एवं उसके साथ ही आउट हाउस का निर्माण किस ठेकेदार के द्वारा किया गया और कब किया गया ? क्या इन भवनों का निर्माण कार्य अलग-अलग ब्लाक का अलग-अलग टावा सभी ब्लाकों का एक साथ अथवा अलग-अलग ब्लाकों के भी खंडों में ठेका देकर वर्क आर्डर कराया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिए नन्थी 'ग' आगे पृष्ठ 812–813 पर।)

फैजाबाद से गोसाईगंज तारून हैदरगंज कूड़भार मार्ग पर किया गया निर्माण कार्य

2—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद से गोसाईगंज-तारून-हैदरगंज कूड़ेभार मार्ग त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है ? यदि हाँ, तो वर्ष 1977-78 में इस सड़क पर कितना कार्य हुआ है और यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद फैजाबाद में प्रश्नगत मार्ग का केवल तारून-हैदरगंज-कूड़ेमार मार्ग, 11 किलोमीटर लम्बाई में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। इस मार्ग पर माह मार्च, 1978 तक 10 किलोमीटर मिट्टी का कार्य और 2 किलोमीटर सोलिंग हो चुकी है एवं 7 किलोमीटर में मध्य सतह की सामग्री का एकत्रीकरण हो चुका है। मार्ग का निर्माण कार्य जून, 1980 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

3—श्री ओम प्रकाश—

[पहले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

बस्ती जिले के टिनिच दुबोलिया मार्ग तथा मनवर नदी व रबई नाले पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण

4—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि बस्ती जिले की टिनिच दुबौलिया मार्ग तथा मनवर नदी तथा रबई नाले पर पैन्टून ब्रिज निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो कब तक बन जाने की सम्भावना है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद बस्ती में टिनिच-दुबौलिया मार्ग का 2 किलोमीटर भाग दुबौलिया की तरफ से खाद्यान योजना नम्बर-2 और 4 किलोमीटर भाग टिनिच की तरफ से खाद्यान योजना नम्बर-3 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। यह कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की सम्भावना है। मनवर नदी तथा रबई नाले पर पैन्टून पुल का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया है अत: इस कार्य को पूरा किए जाने की तिथि इंगित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

मिल्कीपुर फैजाबाद में मण्डी समिति योजना के अन्तर्गत इनायतनगर–अस्तीकन मार्ग का निर्माण कार्य

5—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में मन्डी समिति योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन इनायत नगर से अस्तीकन मार्ग की क्या स्थित है? उक्त कार्य को पूरा होने में कितनी दूरी रह गयी है? भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इनायत नगर-अस्तीकन मार्ग 6 किलोमीटर लम्बा है। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग के 1 किलोमीटर भाग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है? उक्त मार्ग पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उक्त मार्ग पर केवल मिट्टी का कार्य ही पूरा किया जाएगा।

6—श्री दयाराम भास्कर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जन वितरण प्रणाली हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर परामर्शदात्री समितियों के लिए मनोनीत सदस्यों के मनोनयन का आधार

7—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एवं तहसील स्तर की परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों के मनोनयन का आधार क्या था और क्या इन समितियों में ऐसे लोगों का मनोनयन हुआ है जो आपातकालीन स्थित में माफी नामें भरकर जेल से बाहर आए हैं या जेल जाने से कतराए हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र--

प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों से उनके क्षेत्रों से ऐसे क्रियाशील समाज सेवियों के नाम मांगे गए थे जो वास्तव में जन-वितरण प्रणाली के संचालन में उपयोगी योगदान दे सकते हों। उनके द्वारा भेजे गए नामों में से परामर्शदात्री समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। यदि इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य कोई सूचना दें तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

हरदोई जिले के सन्डीला--बेनीगंज मार्ग को डामर किये जाने की मांग

8--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला हरदोई का संडीला से बेनीगंज मार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है ? यदि हाँ, तो उसको कब तक डामर रोड में परिवर्तित किया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

संडीला से बेनीगंज जाने वाला मार्ग जिला स्तर का मार्ग है। उसको कब तक डामर किया जा सकेगा यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

वाराणसी के ग्राम पिंडरा के काश्तकार श्री बैजू की भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण किए जाने की शिकायत

9--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चक संख्या 943 गाँव, पिंडरा, परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी जो काश्तकार बैजू पुत्र सोमारू का है उसे सिंचाई विभाग, वाराणसी (ट्यूबवेल) द्वारा एक पाइप बनाने के लिए एक्वायर करने के सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता ने बैजू के प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ. 1 नवम्बर, 1977 को मिल कर उप मन्त्री सिंचाई को दिया था जिस पर उन्होंने यह आदेश दिया है कि उक्त किसान की जमीन न लेकर गाँव सभा की जी0 एस0 की जमीन पाइप कारखाने हेतु लिया जाय ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हाँ। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन की जा रही है तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10--श्री जयराम--

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश के बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में आदेश

11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सन् 1972, 1973, 1974 में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश अक्तूबर, 1977 में शासन द्वारा दिए गए थे ? क्या यह सही है कि कुछ जिलों में दिसम्बर, 1977 में पुन: यह आदेश भेजे गए कि नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जायं ? यदि हां, तो ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कालीचरण—

दिनांक 4 अगस्त, 1977 के शासनादेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन 10,900 सहायक अध्यापकों की रिक्तियों को भरने के आदेश दिए गए जिसके फलस्वरूप पूर्व वर्षों में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की जानी थी। दिसम्बर, 1977 में शासन को चयन सम्बन्धी अनियमितताओं की सूचना मिली जिसके कारण अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। दिनांक 9 जनवरी, 1978 के शासनादेश द्वारा यह रोक हटा दी गई है।

गोण्डा जनपद में राप्ती के पुल निर्माण में विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यय किया गया धन तथा पुल से हुई आय

12—श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के राप्ती पुल की निर्माण लागत कितना है तथा किन-किन संस्थाओं का कितना धन उक्त पुल के निर्माण में लगा है? क्या सरकार बताएगी कि नवम्बर, 1977 तक टोलटैक्स से कितनी आय हो चुकी है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

गोन्डा जनपद में राप्ती पुल के निर्माण पर कुल लागत रुपए 8,98,456.49 है जो निम्न प्रकार है :—

	रुपया
1—पंचायत	1,20,000
2—अन्तरिम जिला परिषद् गोन्डा	80,000
3—गन्ना समितियाँ तथा शुगर मिल्स तुलसीपुर एवं बलरामपुर	53,297
4—बलरामपुर स्टेट	49,110
5—नगरपालिका, बलरामपुर	5,000
योग :	3,07,407

सरकार द्वारा लगाया हुआ धन रु0 5,91,049.45,
नवम्बर, 1977 तक टोल टैक्स द्वारा की गयी वसूली रु0 12,43,638.51 है।

13—श्री हुकम चन्द्र तिवारी —

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोण्डा जनपद के स्वतन्त्र भारत इण्टर कालेज, तुलसीपुर के एल०टी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को सी०टी० वेतनक्रम के स्थान पर एल०टी० वेतनक्रम में प्रोन्नति

14—श्री बिन्दू लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के स्वतन्त्र भारत इन्टर कालेज, तुलसीपुर में कितने अध्यापक इन सर्विस एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं तथा उनमें से कितने सी0 टी0 वेतन-क्रम में ही कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो अभी तक उन्हें एल0 टी0 वेतन-क्रम न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री काली चरण—

दो अध्यापक इन-सर्विस एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। उनमें से एक अभी तक सी0 टी0 वेतन-क्रम में ही कार्यरत है।

एल0 टी0 वेतन-क्रम में प्रोन्नति हेतु सी0 टी0 वेतन-क्रम में कार्यरत एवं अर्ह समस्त अध्यापकों में से चुनाव करने पर वह वरीयता क्रम में नहीं आ सके।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा श्री रामस्वरूप सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, जमरेही, जिला बांदा का स्थानान्तरण

15—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश ने 12 जुलाई, 1977 को बाँदा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी पाठशाला, जमरेही, ब्लाक महुआ के सहायक अध्यापक का ट्रान्सफर चित्रकूट ब्लाक में करने के निर्देश दिये थे ? यदि हाँ, तो क्या उसका अनुपालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ के कार्यालय के पत्र दिनाँक 13 जुलाई, 1977 द्वारा श्री राम स्वरूप, सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण वार्षिक प्रबन्ध में जमरेही (महुआ) से तराव या उसके निकट शिवरामपुर में करने पर विचार करने का अनुरोध जिला बेसिक अधिकारी बाँदा से किया गया था। उक्त दोनों स्थानों पर स्थान रिक्त न होने के फलस्वरूप स्थानान्तरण नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

16—श्री दीनानाथ सेवक (जिला राय बरेली) तथा श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है ? क्या इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनाँक 30 दिसम्बर, 1977 का सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

फैजाबाद जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन निर्माणाधीन मार्गों की सूची संलग्न है। प्रश्नकर्ता का दिनाँक 30 दिसम्बर, 1977 का पत्र इस जिले की पाँच सड़कों को ठीक कराने हेतु प्राप्त हुआ है जिस पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रगति सुनिश्चित करने और यदि कठिनाई हो तो अवगत कराने का निर्देश दिनाँक 3 फरवरी, 1978 को भेजा जा चुका है ?

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 814–815 पर।)

फैजाबाद के श्री पार्वती संस्कृत पाठशाला, भरतकुंड के व्याकरणाचार्य प्राचार्य श्री राम खिलावन मिश्र के वेतन का भुगतान

17—श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम खेलावन मिश्र व्याकरणाचार्य प्राचार्य श्री पार्वती संस्कृत पाठशाला भरत कुंड, फैजाबाद को मार्च, सन् 1976 से आज तक का वेतन प्रबन्धक द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में उन्होंने शिक्षा मन्त्री जी को सितम्बर, अक्तूबर सन् 1977 में प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी हाँ।

श्री राम खेलावन मिश्र को उनके देय वेतन के भुगतान करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग

18—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में पंचम पंचवर्षीय योजना में अमानीगंज से खंडासा, खंडासा से देवगाँव, अमानीगंज से गदुरही (गद्दीपुर) कुरवानं से तरौली, कुचेरा से शाहगंज तथा गोकुला अहरनसुवंश तथा हरिगटनगंज से शाहगंज मार्ग प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पंचम पंचवर्षीय योजना में इनमें से कोई मार्ग प्रस्तावित नहीं था। किन्तु अमानीगंज खंडासा मार्ग 4.00 कि0 मी0 पर खाद्यान्न योजना–3 में मिट्टी का कार्य किया गया है।

जिला नैनीताल व देहरादून की पहाड़ी नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर प्रति सिंचित एकड़ पर प्रदिष्ट की गयी धनराशि

19—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जिला नैनीताल व जिला देहरादून की पहाड़ी नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर प्रति सिंचित एकड़ कितनी धनराशि वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में प्रदिष्ट की गयी है ?

श्री बलवीर सिंह—

नहरों के परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु धनराशि की प्रदिष्ट, प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्र के आधार पर न होकर, नहरों की लम्बाई तथा अन्य रख-रखाव कार्यों को सम्मिलित कर उनके स्वीकृत सामान्य प्राक्कलन के आधार पर की जाती है। जिला नैनीतल व देहरादून की नहरों हेतु वर्ष 1975-76 व 1976-77 में प्रदिष्ट धनराशि, सिंचित क्षेत्र तथा इस आधार पर प्रति एकड़ प्रदिष्ट धनराशि की स्थिति निम्न प्रकार है :—

जिला/वर्ष		प्रदिष्ट धनराशि	सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	प्रदिष्ट प्रति एकड़ (रुपयोंमें)
नैनीताल—				
1975–76	..	3,00,000	5,569	61/–
1976–77	..	6,56,400	6,810	96/–
देहरादून—				
1975–76	..	3,31,000	44,123	8/–
1976–77	..	6,85,000	45,471	15/–

उप शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल के कार्यालय में राजकीय इण्टर कालेजों के दक्षता रोक के लम्बित मामले

20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मन्डल के यहाँ राजकीय इन्टर कालेजों के कितने मामले दो वर्ष से अधिक अवधि से दक्षता रोक पार करने की स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़े हैं ? उनका निस्तारण कब तक हो जायगा ?

श्री कालीचरण—

कोई नहीं। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विश्वविद्यालय की सीनेट के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अपनाये गए भ्रष्ट तरीके

21—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ की सीनेट के चुनाव में पोस्टल मत प्रणाली द्वारा चन्द प्रत्याशियों ने अपने ही पैसे से 25 रु0 के सदस्य लोगों को बना रखा है और अपने पते पर मत पत्रों को मंगाते हैं? क्या यह भी सत्य है कि प्रत्याशियों ने स्वयं ही फर्जी हस्ताक्षर सदस्यों के बनाकर चुनाव में प्रयोग किया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकार भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी एवं दोषी चुनाव प्रणाली को बदलेगी?

श्री कालीचरण—

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार पंजीकृत स्नातकों द्वारा परिचय-पत्र दिए गए थे जिसमें उनके हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित थे। किसी के खिलाफ कार्यवाही करने तथा चुनाव प्रणाली को बदलने का प्रश्न नहीं उठता है।

फैजाबाद जनपद में आपातकाल के दौरान नसबन्दी के कारण प्राथमिक शिक्षकों के रोके गये वेतन का भुगतान

22—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद में आपात-काल में कितने शिक्षकों का वेतन नसबन्दी के कारण रोक दिया गया? क्या यह सही है कि काफी संख्या में फैजाबाद जनपद में प्राथमिक शिक्षकों का रुका हुआ वेतन क्या अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रतापगढ़ जनपद के गड़वाडा विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1978 तक निर्माण हेतु स्वीकृत मार्ग

23—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च–सन् 1978 तक के बजट में प्रतापगढ़ जनपद में गड़वाडा विधान सभा क्षेत्र में कितने मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे? उन मार्गों की बनने की प्रगति क्या है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रतापगढ़ में गढ़वाडा विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1978 तक के लिए स्वीकृत मार्गों की सूची संलग्न है।

अब तक की प्रगति भी इस सूची में दी है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 816–819 पर)

बाराबंकी जनपद के श्री श्याम लाल ठेकेदार को सरजू पम्प कनाल जनपद बहराइच में लिए हुए ठेके का गलत भुगतान

24—श्री रामनरायन वर्मा तथा श्री दीनानाथ सेवक—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम लाल ठेकेदार ग्राम कतुरी कलाँ, जिला बाराबंकी ने 25 नवम्बर, 1977, 12 अगस्त, 1977, 22 जून, 1977, 12 मई, 1977, 25 मार्च, 1977, 9 मार्च, 1977, 2 जुलाई, 1977 तथा 11 जुलाई, 1977 को सरजू पम्प कैनाल जनपद बहराइच में लिए हुए ठेका वर्ष 1975-76 ई0, सं0—5 एग्रीमेंट नं0 5 के गलत भुगतान के सबन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र विभागीय अधिकारियों तथा माननीय मन्त्रियों के पास भेजे थे ? यदि हाँ, तो उन सभी प्रार्थना-पत्रों पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

श्री श्याम लाल ठेकेदार के प्रार्थना-पत्र दिनाँक 12 अगस्त, 1977, 9 मार्च, 1977, 30 मई, 1977, 22 जून, 1977, 17 नवम्बर, 1977 तथा 24 मार्च, 1977 प्राप्त हुए जिन पर समुचित कार्यवाही करके ठेकेदार को सूचित किया जाता रहा। उनसे दिनाँक 17 नवम्बर, 1977 का एक पत्र गलत भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर ठेकेदार को दिया गया। अन्य प्रार्थना-पत्र अन्तिम भुगतान हेतु थे। अन्तिम भुगतान ठेकेदार को दिनाँक 27 अक्तूबर, 1977 को कर दिया गया जिसे ठेकेदार ने बिना आपत्ति के स्वीकार कर लिया।

सिंचाई विभाग बस्ती के निलम्बित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन की शिकायतों की जांच

25—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निलम्बित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बस्ती के विरुद्ध मिर्जापुर तथा बलिया एवं बस्ती में किस-किस प्रकार की शिकायत भ्रष्टाचार, अनियमिततायें व गबन तथा जालसाजी के कारण सरकार को प्राप्त हुई है ? सरकार एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा किस-किस विभाग द्वारा जाँच कराई जा रही है ? अभी तक जाँच पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

निलम्बित अधिशासी अभियन्ता श्री राम दास दुबे के विरुद्ध विगत वर्षों में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वह मुख्यतया निम्नलिखित विषयों पर हैं:—

(1) शासकीय अभिलेख रोकना।
(2) वित्तीय अधिकार का अतिक्रमण कर अधिक पुर्जे क्रय करना तथा आपूर्ति आदेशों में फर्जी निर्गमन संख्या व दिनाँक अंकित करना।
(3) स्थानान्तरण आदेशों के बाद कार्य प्रभारित अधिष्ठान की फर्जी नियुक्ति करना।
(4) अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं के गोपनीय चरित्र प्रतिवेदन समयानुसार न भेजना।
(5) पेंटा जेनरेटिंग सेट अनियमित रूप से फर्म को वापस करना।
(6) कर्मचारियों को देर से वेतन देना, अनियमित कार्य करना तथा नियुक्ति में पक्षपात करना, उनसे दुर्व्यवहार करना तथा उन्हें परेशान करना गुटबन्दी तथा धांधली करना, जातिवाद फैलाना, मुख्यालय से अनुपस्थित रहना तथा फर्जी यात्रा भत्ता बिल बनाना।
(7) सरकारी कर्मचारियों से घर-पर काम कराना, सरकारी जीप का निजी काम में प्रयोग करना, ट्रक की मरम्मत का फर्जी भुगतान करना, कमीशन

लेना तथा सरकारी सीमेन्ट बिकवाना, कार्यशाला से काम न कराना, सरकारी आवास का किराया न जमा करना, टेलीफोन तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करना।

(8) स्थानान्तरण रुकवाने का प्रयास करना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराना तथा नलकूप की नालियाँ ठीक न कराना।

(9) प्रथम श्रेणी के स्थान पर द्वितीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग करके लाखों रूपए का गोलमाल करना तथा गलत ढंग से पैसा एकत्र करना।

(10) रु0 1,000 घूस लेना।

प्रश्न का दूसरा भाग—

शियकातों पर जाँच विभागीय अधिकारियों, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ तथा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

प्रश्न का तीसरा भाग—

कुछ शिकायतों पर प्रारम्भिक जाँच पूरी हो गयी है और आरोप-पत्र स्वीकृत कर अनुशासनिक जाँच की जा रही है। कुछ शिकायतों पर अभी प्रारम्भिक जाँच की जा रही है। जैसे-जैसे शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर प्रारम्भिक जांच की जाती है और शिकायतों में उल्लिखित तथ्य सही पाए जाने पर आरोप-पत्र तैयार करके विधिवत् अनुशासनिक जाँच की जाती है। इस सब में समय लगता ही है फिर समय-समय पर आने वाली सभी शिकायतों पर एक ही समय में जाँच पूरी हो जाना सम्भव नहीं है।

1,000 रुपए घूस लेते सतर्कता अधिष्ठान द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में श्री दुबे निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध अभियोजन का मामला जिला जज, बस्ती के न्यायालय में चल रहा है।

बस्ती जनपद के बानगंगा, बखीरा व मुखलिसपुर नहरी क्षेत्र में नलकूपों का आवंटन

26—श्री शिवलाल मित्तल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बानगंगा, बखीरा व मुखलिसपुर नहरी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु शासन द्वारा वर्ष 1977-78 में 30 नलकूप आवंटित हुए थे? यदि हाँ, तो क्या सभी 30 ट्यूबवेलों के कार्यपूर्ण हो चुके हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ। इन 30 नलकूपों में से 18 नलकूप नहरी क्षेत्र में छिद्रित किए गए हैं। जिनका विवरण निम्न है:—

क्रम-सं0	जनपद	तहसील	ग्राम जहाँ नलकूप लगाया गया है
1	2	3	4
		बानगंगा नहरी क्षेत्र	
1	बस्ती	.. नवगढ़	.. करोदा मसीना
2	बस्ती	.. नवगढ़	.. वरगदवा
3	बस्ती	.. नवगढ़	.. महदेइया
4	बस्ती	.. नवगढ़	.. दतरगंवा
5	बस्ती	.. नवगढ़	.. मटुकरपुर
6	बस्ती	.. नवगढ़	.. कटका कटकी

1	2	3	4
		वखिरा पम्प नहर क्षेत्र	
7	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. जसवल
8	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. भेचुवा
9	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. महदेवा
10	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. बडंहरा
11	बस्ती	खलीलाबाद	.. पिपरा (वार व्यास)
12	बस्ती	. खलीलाबाद	.. सिकोहरा
13	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. सीटकर
14	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. मड़ारी
15	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. वेलहसा
16	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. बदुवा
17	बस्ती	.. खलीलाबाद	.. समदहा
		बस्ती पम्प नहरी क्षेत्र	
18	बस्ती	.. बस्ती	.. कोठला भरतपुर

शेष 12 नलकूपों का छिद्रीकरण गैर नहरी क्षेत्र में किया गया है।

इन 30 नलकूपों में से 5 नलकूप के सम्बन्ध में बी0एल0 फार्म विद्युत् विभाग के पास भेजे गए हैं तथा 1 नलकूप का ऊर्जीकरण हो गया है।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थन एवं चुनाव तथा वर्तमान प्रधानाचार्या का उक्त पद पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

27—श्री रफी उल्लाह—

दिनाँक 28 मार्च, 1978 के विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्रधानाचार्या पद के लिए कितनी अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र भेजे और कितने लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलया गया? वह सब किस योग्यता और अनुभव के थे?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

28—श्री रफी उल्लाह—

विधान सभा के दिनाँक 28 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज की वर्तमान प्रधानाचार्या का स्थायीकरण कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने स्थायीकरण के समय हिन्दी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी?

श्री कालीचरण—

जी हाँ।

प्रश्नगत विद्यालय की प्रधानाचार्या स्थायीकरण के समय हिन्दी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थीं।

नलकूप निर्माण खण्ड, हरदोई के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं नलकूप खण्ड, लखनऊ से न भेजा जाना

29—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खन्ड, हरदोई 1 जनवरी, 1977 से खुलने पर से आज तक कितने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं नलकूप

खण्ड, लखनऊ से नहीं भेजी गयी है? क्या शासन के ऐसे आदेश हैं, कर्मचारी के स्थानान्तरण में 15 दिन के अन्दर सभी कागजात सम्बन्धित खण्ड को भेज देना चाहिए? यदि हाँ, तो अभी तक न भेजने का क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह—

नलकूप निर्माण खन्ड, हरदोई के सृजन के उपरान्त केवल 53 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें भेजा जाना शेष है। निम्नलिखित कारणों से इनका समय से भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका :—

कारण	सेवा पुस्तिकाओं की संख्या
1—स्वस्थता प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तथा सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ सत्यापित सम्बन्धी सूचना कर्मचारियों से न मिलना ..	33
2—अवकाश प्रकरण, निरन्तरता का प्रमाण-पत्र न आने के कारण सेवाओं का सत्यापन न हो सकना ..	13
3—वार्षिक वेतन वृद्धि के रोके जाने एवं हड़ताल अवधि के सत्यापन तथा निलम्बन के प्रसंग पर अन्तिम निर्णय न होने के कारण सेवाओं का सत्यापन न हो पाना ..	7
योग ..	53

30—श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

बस्ती जिले के कन्या जूनियर स्कूल, जामडीह की अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती गुलरजी के वेतन का भुगतान

31—श्री ओम प्रकाश—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले की कन्या जूनियर स्कूल जामडीह की प्रधानाध्यापिका (श्रीमती गुलरजी) जो 30 जून, 1977 को रिटायर कर दी गयी हैं उसका वेतन जनवरी, 1975 से जून, 1977 तक 30 माह बेसिक शिक्षाधिकारी बस्ती ने डी0 जी0 सी0 की राय लेने के बाद भी भुगतान क्यों नहीं किया ? क्या शासन इस प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री कालीचरण—

बस्ती जनपद के कन्या जूनियर हाई स्कूल जामडीह की प्रधानाध्यापिका, श्रीमती गुलरजी सिंह का स्थानान्तरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, ककरहवा में किया गया था और वह दिनाँक 10 जनवरी, 1975 को कार्यभार से मुक्त कर दी गई थीं किन्तु उसके बाद उन्होंने न तो किसी विद्यालय पर कार्यभार ही ग्रहण किया और न वह किसी विद्यालय पर कार्यरत ही रही हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् नियमानुसार वह दिनाँक 11 मार्च, 1977 को सेवानिवृत्त हो गई। डी0 जी0 सी0 बस्ती ने कार्यरत समय की अवधि का वेतन भुगतान करने की राय दी थी किन्तु जब श्रीमती गुलरजी सिंह ने 10 जनवरी, 1975 के बाद न कहीं कार्य भार ग्रहण किया और न कार्य ही किया तो वेतन भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमती गुलरजी सिंह के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विवाद लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।

32–33—श्री हुकम चन्द तिवारी—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

देवरिया जनपद के फाजिल नगर ब्लाक के कतिपय ग्रामों के असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

34—श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलान की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के फाजिलनगर ब्लाक अन्तर्गत भटवलिया, पंचरुखिया, भठवा, नौनियापट्टी तथा अन्य असिंचित हिस्से में राजकीय नलकूप लगाने का शासन ने निश्चय कर लिया है ? यदि हाँ, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

यह क्षेत्र गंडक नहर कमान्ड क्षेत्र में पड़ता है। अतएव शासकीय नीति के अनुसार गंडक कमान्ड क्षेत्र में सामान्य राजकीय नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लगाए जायेंगे।

श्री ज्ञानचन्द्र गुप्त द्वारा प्रेषित विधायक निवास कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

35—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञान चन्द गुप्त, विधायक निवास, कर्मचारी संघ का कोई माँग-पत्र दिनाँक 12 फरवरी, 1978 को मिला है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

विधायक निवास कर्मचारी संघ का मांग-पत्र शासन को प्राप्त हो गया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

36—श्री हुकम चन्द तिवारी—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री मेहरबान सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*श्री उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

श्रीमन्, स्वर्गीय मेहरावान सिंह इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य थे। वह काफी दिनों से बीमार थे और उपचार के लिए मेडिकल कालेज, मेरठ में गए हुए थे। एकाएक उनकी हृदय गति 3 मई, 1978 को रुक गयी और उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु 74 वर्ष की थी और वे निःसन्तान थे। वे अपनी धर्मपत्नी को एकमात्र सन्तप्त अवस्था में छोड़कर चले गए। श्री मेहरबान सिंह अपने प्रदेश के एक बड़े मेधावी और कुशल समाजसेवी थे, वे 1927-28 में नायब तहसीलदार हुए थे, परन्तु अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर धीरे-धीरे उन्नति करते हुए आई0 ए0 एस0 कैडर तक पहुंचे और 1957-58 में वे टेहरी के जिलाधिकारी थे। श्रीमन्, 1959 से 1961 तक वे हिमाँचल प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार रहे। उसके पश्चात् 1963 से 1969 तक उन्हें गढ़वाल जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर रह कर जन-सेवा करने का अवसर मिला। पब्लिक इन्टर कालेज, कोटद्वार के प्रबन्धक, गढ़वाल मोटर कोआपरेटिव के उपाध्यक्ष, राइफल क्लब कोटद्वार के अध्यक्ष तथा लीसा सहकारी संघ, गढ़वाल के उपाध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री सिंह की सेवाएं सराहनीय रही हैं। जनपद गढ़वाल में उन्होंने कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। वे एक उच्चकोटि के समाज सेवी रहे हैं। 1969 में पहली बार उन्होंने अपने सब कार्य छोड़ कर विधान सभा में प्रवेश किया। निर्दलीय सदस्य के रूप में वे चुनाव लड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस सदन में आए। उसके बाद कालान्तर में वे कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गए थे। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति का सभापति होने का गौरव प्राप्त था। श्री मेहरबान सिंह का जन्म जनपद गढ़वाल के ग्राम सिसई, पट्टी सावली में हुआ था। वे एक बड़े योग्य समाजसेवी थे। उनकी सेवायें इस सदन के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनके निधन से श्रीमन्, एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं इस सदन की हार्दिक समवेदना उनके सन्तप्त परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और श्रीमन्, आप से अनुरोध करता हूं कि उनके सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन की ओर से माननीय उद्योग मन्त्री जी ने स्वर्गीय श्री मेहरबान सिंह जी के निधनके सम्बन्धमें जो समवेदनाएं व्यक्त की हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मेहरबान सिंह जी का धवल व्यक्तित्व हमें याद आता है। वे बहुत ही गम्भीर व्यक्ति थे। उनको कभी हमने उत्तेजना में नहीं देखा। उनका इस सदन में तथा इस सदन की समितियों में बड़ा योगदान रहा। पर्वतीय विकास के लिए जो कुछ उन्होंने योगदान दिया, जो पर्वतीय विकास के जानकार सदस्य हैं और जो वहां के लोग हैं, वे सदैव याद रखेंगे। लोक लेखा समिति जो एक महत्वपूर्ण समिति है, उसके वे सभापति रहे। जो उनके समय के प्रतिवेदन हैं, वे उनकी योग्यता के मापदण्ड हैं।

वह एक अच्छे प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासकीय परिधि से गढ़वाल जिला परिषद् लाभान्वित हुई और बहुत सी सहकारी संस्थायें तथा शिक्षा संस्थायें लाभान्वित हुईं। ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स यूनियन में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से कार्यों को निभाया। ऐसे जनसेवी आज हमारे मध्य में नहीं हैं। श्रीमन, मेरी तथा मेरे दल की ओर से समवेदनाएं कृपया शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री मेहरबान सिंह के प्रति जैसा कि नेता सदन तथा माननीय तिवारी जी ने श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हैं, मैं भी अपने दल की ओर से अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका एक विविध प्रकार का जीवन था, पहले तो उनकी परिधि सरकारी कार्यों में थी, वह एक नीचे पद से बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे। मापदण्ड के रूप में कहें, तो नायब तहसीलदार से जिलाधीश तक हुए और जिलाधीश से उठ करके यहाँ सदन के सदस्य हुए। वह एक योग्य प्रशासक थे। यहाँ सदन में भी उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई। वह लोक लेखा समिति के सभापति भी हुए। उनकी दक्षता के बारे में जैसा कि तिवारी जी ने और उप नेता सदन ने बताया वह सबको विदित है। उनके लड़के नहीं थे। उनकी केवल स्त्री है। हमारी ओर से, सदन की ओर से, मेरा निवेदन है। श्रीमन्, कि हम लोगों की समवेदनाओं को उन तक पहुंचाया जाय।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबेवाला, श्री मेहरबान सिंह के इन्तकाल की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ मैं उनको जाती तरीके से भी जानती थी। जैसा कि उद्योग मन्त्री ने फरमाया उनको बहुत लम्बा तजुर्बा था और वह बहुत काबिल आदमी थे। यहाँ सदन में रहकर भी बहुत ऐक्टिव हिस्सा तमाम चीजों में उन्होंने लिया। मैं अपनी तरफ से, पूरी तरीके से जो बातें उनकी बाबत नेता सदन और अन्य नेताओं ने कही हैं, इत्तफाक करती हूं और उनकी धर्मपत्नी से इजहारे हमदर्दी करती हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, श्री मेहरबान सिंह से मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क था। मेरे जिले के वह कलेक्टर रहे हैं। वह बहुत ही कुशल प्रशासक सिद्ध हुए हैं। जनता से उनका सम्पर्क बड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

सुन्दर था। लोक लेखा समिति में भी उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। पर्वतीय विकास परिषद् में भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। निः स्वार्थ ढंग से पर्वतीय विकास के बारे में उनको चिन्ता रहती थी। उनकी तरफ से पर्वतीय विकास के बारे में बहुत सुन्दर सुझाव आते थे। सदन और समितियों में भी उन्होंने बड़ा सक्रिय कार्य किया। मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से श्री मेहरबान सिंह की धर्मपत्नी को हमारा समवेदना सन्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

श्री मेहरबान सिंह के निधन पर माननीय उप नेता सदन तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री मेहरबान सिंह के सम्पर्क में मुझको भी आने का अवसर मिला। वह अत्यन्त योग्य और सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, कोई उनका शत्रु नहीं था। प्रत्येक का सहयोग आसानी से वह प्राप्त कर लेते थे। उनके निधन से हमारे प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। मैं इस सदन की भावनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार, उनकी पत्नी तक पहुंचा दूंगा। अब आपसे अनुरोध है कि दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

कतिपय विषय

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मुझे एक सूचना चाहिए कि अखबारों में आपकी तरफ से छपा है कि आपने शायद इसी सदन में आश्वासन दिया था कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय का वक्तव्य होगा। लेकिन आज की जो कार्य-सूची है उसमें इसके बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ विभिन्न मन्त्रियों के वक्तव्य होते हैं, वहीं आता है। इसलिए जब वह आइटम आएगा तब लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में जो प्रश्नोत्तर काल है जो कि महत्वपूर्ण काल है। मैं समझता हूं कि विधायकों की प्रतिभा से प्रश्नोत्तर काल भाषण के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। इसलिए चाहूंगा कि प्रत्येक प्रश्न पर सामान्य रूप से कोई समय विभाजन हो और वह सारगर्भित उत्तर के रूप में आए। इस प्रकार की आप कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य ने कहा है तो कोई भी जो बात व्यक्त की जाएगी वह भाषण से ही होगी, मौन होकर नहीं होगी। जो प्रश्न किया है उसका उत्तर उसी रूप में है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं एक और जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं, आप बैठें।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, समाचार-पत्रों में छपा है कि आप के अस्वस्थ होने के कारण डाक्टरों ने राय दिया है कि आप सदन में उपस्थित नहीं होंगे। तो डाक्टरों की रूलिंग के बावजूद आप जब अस्वस्थ हैं तो सदन को त्याग करके आप विश्राम करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं जब यहाँ बैठा हूं तो इसका प्रमाण है कि मैं स्वस्थ हूं।

देवरिया जनपद में डिस्टलरियों द्वारा छोटी गंडक में जहरीला गन्दा पानी छोड़ने के कारण मछलियां मरने और पानी विषाक्त होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद के अन्तर्गत छोटी गन्डक नदी में गत सप्ताह भटनी, चीनी मिल विशेषकर कप्तानगंज चीनी मिल एवं डिस्टेलरी के द्वारा जमा गन्दा पानी नदी में छोड़ दिया गया जिससे लाखों रुपए की मछलियाँ मर गयी हैं। आस-पास के गाँव के लोगों का जीवन विषाक्त पानी होने के कारण खतरे में पड़ गया है। मैं कल मझौली, प्यासी, भटनी, भाटपार रानी तथा लार के दर्जनों गाँवों में गया और देखा जहाँ मछलियों के सड़ने और बदबू से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदी का पानी जिन लोगों ने पीया या मछलियाँ खायी हैं वे चारपायी पर मरणासन्न की दशा में पड़े हुए हैं। पानी पीने से मवेसियों की भी हालत दयनीय हो गयी है। नदी का पूरा पानी विषाक्त बन गया है। इस सिलसिले में कल ही जिले के अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किया है, उन से तत्काल रोक-थाम की व्यवस्था करने के लिए कहा, किन्तु मुझे ऐसा लगा कि वे लोग इस मामले में निष्क्रिय हैं। छोटी गन्डक नदी का जहरीला पानी पचास मील के लम्बे मार्ग में है, जहाँ नदियों के किनारे लाखों परिवार रहता है।

अस्तु आज माननीय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री से यह माँग करता हूं कि तत्काल जन-जीवन की हिफाजत हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देकर परीक्षण करावें और विषाक्त गन्दे पानी को मिल के द्वारा छोड़ने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय और जितने रुपए की मछलियाँ मरी हैं उतने रुपए की धनराशि मिल से वसूल की जाय।

ट्रकों से धर्म के नाम पर पुलिस द्वारा जजिया कर वसूले जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

महोदय, मुझे श्री रघुवीर सिंह रीजनल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश पब्लिक कैरियर एसोसिएशन, लखनऊ का पत्र मिला है जिस में उन्होंने आए दिन ट्रकों पर होने वाले अत्याचारों के गम्भीर मामले प्रेषित किए हैं। ट्रकों से धर्म के नाम पर जजिया कर पुलिस द्वारा जबरदस्ती बसूलने की शिकायतें हैं।

बाराबंकी बैरियर पर ट्रक नं0 यू0 टी0 डी0 9025 और ट्रक नं0 यू0 पी0 एच0 5676 से पुलिस वर्दी में धन वसूला गया जिसकी रसीदें संलग्न† हैं। इस प्रकार, आए दिन बैरियर पर मन्दिर आदि बनवाने के नाम पर जबरिया बसूली की जाती है।

ट्रक आपरेटर्स इस व्यवहार से बड़े ही उत्तेजित हैं। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैं आप के पास रसीदें भी भेज रहा हूं साथ ही उनका मूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयीं।

[श्री डी0पी0 बोरा]

पत्र भी। इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर रखने की इजाजत दें। कृपया गृह मन्त्री और परिवहन मन्त्री को इस में कड़ी कार्यवाही करने को आप आदेश देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

इस को परिवहन मन्त्री जी के पास भेजा जा रहा है।

कालपी नगर में मोहम्मद शरीफ श्रमिक की मृत्यु तथा पुलिस के रवैये से अल्प संख्यकों में रोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मैं आप के द्वारा शासन का ध्यान काल्पी नगर में दिनाँक 30 अप्रैल, 1978 को मो0 शरीफ नामक नवयुवक श्रमिक की मौत की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी कालपी नगरमें एक दिन पहले हुई कालपी के बीच बाजर में राजेन्द्र नामक व्यापारी की गोली मार कर हत्या से ही नहीं समहल पाया था कि दिनाँक 30 अप्रैल, 1978 को पता लगा कि मो0 शरीफ नामक श्रमिक की श्री काबरा की कागज की फैक्टरी में कुयें में गिर कर मृत्यु हो गयी है।

काल्पी की जनता तथा मो0 शरीफ के सम्बन्धी कागज की फैक्टरी की तरफ दौड़े पर उसको अवस्थी नामक पुलिस एस0 आई0 ने जो वहाँ पहले से ही पहुंच चुका था, कुयें पर रखी लाश के पास नहीं जाने दिया। जब सम्बन्धियों तथा कुछ और व्यक्तियों ने लाश के पास जाने तथा उसको देखने पर जोर दिया तो दरोगा ने उनको शरीफ को कुयें में ढकेल देने के जुर्म में बन्द कर देने की धमकी दी। दरोगा ने जबरदस्ती सम्बन्धियों से पंचनामें पर हस्ताक्षर करा लिए, लोगों के बहुत कहने के बावजूद भी लाश का पोस्ट मार्टम नहीं कराया।

अवस्थी एस0 आई0 के खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत-सी शिकायतें हैं जिनकी तरफ शासन का ध्यान दिलाया जा चुका है। लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अवस्थी ने मोटी रकम वसूल कर इस अपराध को दबा दिया है। सम्बन्धियों का कहना है कि घटना से कुछ दिन पूर्व श्री काबरा की शरीफ से पैसों के लेन-देन में झड़प हो गयी थी तथा काबरा ने उसकी दो महीने की मजदूरी रोक ली थी। जिसके कारण शरीफ ने काम पर जाना भी बन्द कर दिया था। कुछ दिन बाद काबरा उसे पिछले पैसों को देने का आश्वासन देकर काम पर ले गए थे।

शरीफ को किसी ने कुयें में गिरते नहीं देखा है। यह भी सुना गया है कि लाश फैक्टरी में दुपहर से ही रखी थी। जब कि नगर तथा घर वालों को इसका पता शाम को चला। सम्बन्धियों का निश्चित मत है कि शरीफ को मारने के बाद कुयें पर रख दिया गया था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया।

इस घटना को लेकर नगर के अल्पसंख्यकों में भीषण रोष व्याप्त है, शासन से अनुरोध है कि लोक महत्व की इस घटना की तुरन्त उचित जाँच करायी जाए, दोषी व्यक्तियों को कानून के हवाले किया जाए, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया जाय तथा मृतक के परिवार को जिसमें उसकी विधवा तथा पाँच नाबालिग अनाथ बच्चे हैं, आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।

बलिया में आए तूफान से सात व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

महोदय, पिछले सप्ताह बलिया जनपद में आए भयंकर तूफान से कम से कम सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 12 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इस तूफान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कई जानवर भी मर गए। भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए तथा जो भी गेहूं की फसल खेतों में बची थी वह नष्ट हो गयी।

अत: मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि मृतक व्यक्तियों के परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय तथा घायलों को भी अनुदान या सहाताएं प्रदान की जायं। जिन लोगों की आर्थिक क्षति हुई है उनको अनुदान, तकावी आदि दे कर पुनर्वासित करने की कृपा की जाय।

बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में लगाए गये पत्थर स्थानीय भौगोलिक एवं भूगर्भीय वातावरण के विपरीत होने से मंदिर के धराशयी हो जाने की सम्भावना के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

महोदय, बन्द्रीनाथ मन्दिर के कपाट 10 मई, 1978 को खुले हैं और बद्रीनाथ मन्दिर का निर्माण कार्य भी लगभग प्रारम्भ हो गया है। इस निर्माण कार्य में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वह स्थानीय भौगोलिक एवं भू-गर्भीय वातावरण के विपरीत हैं और इन पत्थरों द्वारा मन्दिर के निर्माण के बाद ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि ग्लेसियर के द्वारा या अन्य कहीं भौगोलिक कारणों की वजह से पत्थर टूट जायेंगे और मन्दिर धराशायी हो जायगा।

इसके पूर्व बिड़ला ने जीर्णोद्धार के नाम पर मन्दिर तोड़ दिया था और जयपुर के लाल संगमरमर के पत्थर से इसके निर्माण की योजना बनायी थी, बिड़ला अपना वस्तुकला पर आधारित निर्माण कराना चाहते थे। क्षेत्रीय निवासियों ने वस्तुकला व प्रयोग में लाने वाले पत्थर का विरोध किया क्योंकि मन्दिर के उक्त पत्थर जलवायु के अनुकूल न होने के कारण ग्लेसियर द्वारा टूट जाने की सम्भावना से ग्रस्त था। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया और शासन ने बिड़ला के निर्माण कार्य रुकवा कर एक कमेटी का गठन किया। सम्प्रति मन्दिर में, आंध्र से पत्थर मंगवा कर कार्य कराया जा रहा है। यह पत्थर अभी जलवायु के अनुरूप नहीं है और जन भावना भी इसके खिलाफ संगठित हो गयी हैं।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत आपकी अनुमति से शासन से वक्तव्य एवं उचित कार्यवाही की अपेक्षा है और सरकार से यह माँग है कि वह तत्काल आन्ध्र से मंगवाए जा रहे पत्थर के जरिए निर्माण कार्य तत्काल रुकवायें और हिमालय क्षेत्र में स्थानीय पत्थरों से ही निर्माण कार्य कराने का आदेश दें।

बांदा जिला कचेहरी के सामने श्री मेडवा बिन्दा काछी तथा श्री गया प्रसाद द्वारा आमरण अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

माननीय अध्यक्ष जी, बाँदा जिले में जिला कचेहरी के सामने श्री मेड़वा बिन्दा काछी और गया प्रसाद पुत्र महाबीर काछी ने विगत 13 मई सन् 1978 से आमरण अनशन कर रखा है। भीषण गर्मी में इतने दिनों के लम्बे अनशन से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। डाक्टरों द्वारा उनके जबरदस्ती खाना खिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। श्री मेड़वा ग्राम अमवा तहसील बवेरू और गया प्रसाद ग्राम बंथरी तहसील बवेरू के गरीब पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। श्री मेड़वा की जमीन गाँव के बड़े सामन्तों ने छीन ली है और सीलिंग से फालतू घोषित अपनी जमीने भीषण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र पाल]

भ्रष्टाचार के जरिए बचा लो हैं। मेड़वा की माँग है कि सीलिंग की जमीनें निकाल कर भूमिहीनों, गरीबों व हरिजनों में तुरन्त वितरित कराई जायं। श्री गया प्रसाद की जमीन हड़प ली गई हैं, उनके मवेशी छीन लिए गए हैं तथा फसल काट ली गई है और उसे गाँव से खदेड़ कर दूसरे गाँव में भगा दिए जाने का कुचक्र रचा जा रहा है।

उक्त अनशनकारियों की दशा खराब होने से बाँदा शहर और जिले में तनाव एवं भीषण असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। अधिकारियों द्वारा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस उपेक्षापूर्ण रवैए से स्थिति बिगड़ रही है। उनकी प्राण की रक्षा के लिए शासन और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली आपूर्ति में कटौती की घोषणा से कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, लोक महत्व की इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय समस्या की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के उपक्रम उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की गई इस घोषणा से कि बिजली आपूर्ति में बड़ी मात्रा में कटौती कर दी गई है। सम्पूर्ण प्रदेश में चिन्ता व्याप्त हो कर जन जीवन प्रभावित हो गया है।

मान्यवर, इस कटौती से 33 से 60 प्रतिशत तक उद्योग प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीण अंचल में अभी खलिहान उठ नहीं सके हैं। हजारों क्रेशरों का चलना बन्द हो जाने एवं नलकूपो की बिजली न मिल पाने से कृषकों की भीषण क्षति हो रही है। वोल्टेज कम हो जाने से पानी की टंकियों में ऊंचाई तक पानी न पहुंच पाने से पेय जल संकट बढ़ गया है। भीषण गर्मी के समय बिजली के अभाव में पंखे भी नहीं चल पाते। कुल मिला कर स्थिति गम्भीर हो रही है।

इस बिजली उपलब्धता के अकस्मात अस्त-व्यस्त हो जाने, ओबरा ताप बिजलीघर को 110 मेगावाट की मशीनों में यांत्रिक गड़बड़ी हो जाना एवं हिन्डालको को बिजली आपूर्ति बढ़ा देना मुख्य कारण बताए गए हैं। माननीय बिजली मन्त्री द्वारा यह कह देने से कि "ओबरा की इस मशीन के ठीक होने में काफी समय लगेगा" प्रदेश में चिन्ता की भावना बढ़ गई है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करूंगा कि संकट की विभीषिका को ध्यान में रखकर अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जायें, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिले। इस बारे में मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन उठ रहा है। समस्या से चिन्तित होकर माननीय सदस्य घर जायेंगे। क्षेत्र की जनता समस्या के कारणों एवं उसके निदान के बारे में जानकारी चाहेंगे। अतएव यह आवश्यक है कि आज माननीय सदन के उठने से पूर्व शासन की ओर से वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की कृपा की जाय।

1977 की सांख्यकीय डायरी देर से बांटे जाने पर आपत्ति

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि 13 मई के बाद से यह 1977 की सांख्यिकीय डायरी हम लोगों को बंटी है जब कि यह डायरी माननीय सदस्यों को उस समय मिलनी चाहिए थी जब कि अनुदानों की माँगें हुई थीं। 21 दिन हम लोग अनुदानों पर बोले हैं और 5 दिन तक साधारण चर्चा हुई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। हम लोग 1977 के आँकड़ों के लालायित थे कि कौन से आँकड़े सही हैं। इसका कोई पता नहीं चला। श्रीमन्, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 20 फरवरी, 1978 को यह डायरी छपी है। प्रस्तावना दयाल प्रसाद उक्टानिया, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश ने रखी है और जो फोरवर्ड है वह प्रभाकर खाटे का है। इसको 4 महीने छपने में लग गए और अब यह हमको बंटी है। इसकी उपयोगिता हमको पहले थी। मैं निर्देश दिलाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, निर्देश तो आप देंगे ही। हम लोगों के लिए यह अब कैसे उपयोगी हो सकती है। माननीय सदस्यों ने जो आँकड़े दिए है वह हो सकता है सही न हों। यह इस तरह की बातें हैं जिन्हें समय पर हम लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमेशा इस तरह की पुस्तिकायें जिनका सम्बन्ध बजट से होता है, 3-4 दिन पहले आगे-पीछे बंटती रही हैं और हम लोग 10 वर्ष से इसकी चेष्टा कर रहे हैं। यह हम लोगों के साथ न्याय नहीं है। निर्देश तो आप देंगे ही, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था करा दें जिससे ऐसी पुस्तकें समय से मिल सकें और सचमुच उनकी हमारे लिए उपयोगिता हो सके।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की जो घटनायें हैं, वह अनावश्यक हैं। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाय तो माननीय सदस्यों की उपयोगिता बढ़ सकती है और उनको यह सुविधा समय पर उपलब्ध होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

जो प्रश्न माननीय मिश्रा जी ने उठाया है, वह सही है और इस प्रकार की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है कि स्टेटिस्टिकल आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए, समय से। जो असुविधाजनक स्थिति बन रही है, उसमें सुधार की दृष्टि से कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके परिणाम अगले वर्ष ठीक होंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं खुद इसका आलोचक पहले से रहा हूं इसलिए मैंने पहले जब बजट बन रहा था तो मुझे कुछ आँकड़ों की जरूरत हुई तो मैंने देखा कि दो वर्ष पहले के आँकड़े स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट में तैयार होते हैं। यह एक बड़ी बिडम्बना है। इसे मैं स्वीकार करते हुए सदन को यह आश्वावन दे सकता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है और जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, उसके नतीजे अगले साल लाजिमी तौर पर ठीक हो जायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

1977 में भी माननीय मन्त्री जी थे और 1976 की डायरी हमें मिली थी और उसका मैंने उपयोग भी किया था। इनके समय 1976 की डायरी मिली है। तब यह कैसे कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आपको आश्वासन दे दिया है कि सुधार होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के पीछे माननीय नियोजन मन्त्री बैठे हैं, वह उनसे जानकारी प्राप्त कर लेंते तो ज्यादा अच्छा होता। यह आँकड़े ऐसे नहीं है कि जो केवल डायरी में ही छपते हैं। इसके अलावा यह मासिक और त्रैमासिक बुलेटिनों में भी जो राज्य नियोजन संस्थान द्वारा निकलते हैं, छपते हैं। इसमें कोई नए आदेशों की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने आदेश हैं वह काफी हैं। सिर्फ इतना है कि वह बुलटिनों के रूप में है और यह डायरी के रूप में है।

श्री अध्यक्ष—

आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है, आगे ध्यान रखेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

तिवारी जी तो मासिक बुलेटिन देख लेते हैं लेकिन मिश्रा जी की सहायता नहीं करते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 30 और 30(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है। 30(1) में लिखा है कि तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम पूरे 20 दिन पूर्व दी जाएगी। और 30(2) में लिखा है—ऐसे प्रश्न सचिव द्वारा शासन को साधारणतया 5 दिन के भीतर भेज दिए जायेंगे। मान्यवर, अब आप नत्थी (घ) को देखें, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न संख्या एक और दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें मुझे सन्देह है कि बहुत से नगर क्षेत्र की स्थानीय निकायें ऐसी हैं जिन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त अनिवार्य शिक्षा योजना को लागू नहीं किया है और वह इन्टर और हाई स्कूल की शिक्षायें दे रही हैं। उनका प्रथम कर्त्तव्य अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना है। यह दिनाँक 16 नवम्बर, 1977 का प्रश्न है और सरकार को भेजने की तिथि दिनाँक 31 दिसम्बर, 1977 है और दूसरा प्रश्न दिनाँक 17 जनवरी, 1978 का है जिसको सरकार को भेजने की तिथि दिनाँक 10 मार्च, 1978 यानी 45 दिन बाद है। तो मैं आपका ध्यान इस व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो अगला प्रश्न है कितना महत्वपूर्ण है जिसमें मैंने जानना चाहा कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि का शिक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाय और बाद में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए कि शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी है कि शुल्क लिया गया। दोनों प्रश्नों का उत्तर आ गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यथाशीघ्र प्रश्न भेज दिए गए होते तो सम्भवत: मुझे उत्तर मिल जाता।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नत्थी (ग) में प्रश्न नं0 1 जो शिक्षा मन्त्री जी से सम्बन्धित है। इसका अन्तरिम उत्तर आया था दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को और मन्त्री ने अनुपूरक प्रश्नों में आश्वासन दिया था कि विद्यालय चलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और मेरा आरोप था कि प्रबन्ध समिति सारा रिकार्ड और पैसा लेकर भाग गई है। इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी का आदेश था कि जाँच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्नों के घंटे का विस्तार कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं संक्षेप में जिक्र करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दूंगा आप लिख कर भेजें। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा। जो भी कमियाँ हैं, जो भी शिकायतें हैं उनके सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें हैं ज्यादा अच्छा होगा मेरे कक्ष में उसे दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक पत्र है। आप इजाजत दें तो पढ़ दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह अनावश्यक है। आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं मैं पत्रावली मंगा कर देखूंगा कि कब प्रश्न आया और कब भेजा गया, मन्त्री ने कब उत्तर देने के लिए कहा। जब तक पूरी पत्रावली न देख लूं तब तक सम्भव नहीं है। इसलिए इसको यहीं समाप्त करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 25 अप्रैल के आस-पास शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हिन्दी संस्थाओं की. . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। बिना मेरे संज्ञान में लाए आप उठा रहे हैं।

नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति चाही थी। कई बार समाचार-पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई है कि नगरपालिकाओं का चुनाव 16 जुलाई को करायेंगे। माननीय बाजपेयी जी की सूचना भी प्रसारित हुई है। जब मैंने अपने जिले के सूचना निदेशालय से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने बतलाया कि कोई निर्देश नहीं आए हैं। एक स्थान पर मुख्य मन्त्री जी ने यह मत प्रकट किया कि अभी निकट भविष्य में चुनाव कराने की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में इससे अनिश्चितता का वातावरण है कि चुनाव होगा या नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह व्यवस्था के नाम पर भाषण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे संज्ञान में ले आए थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जानना चाहता हूं कि शासन की नीति क्या है?

श्री अध्यक्ष—

स्वायत्त शासन मन्त्री नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का ध्यान इस विरोधाभास की तरफ एक सदस्य ने दिलाया। स्वायत्त शासन मन्त्री ने चुनाव की तारीख निश्चित की है और दूसरी तरफ पत्रों में चुनाव न कराने के बारे में कहा तो इस सम्बन्ध में तमाम प्रदेश के अन्दर भ्रान्ति है और लोगों के दिमाग में असमंजस होना स्वाभाविक है। यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जो घोषणा स्वायत्त शासन मन्त्री ने की है वह सही है या जो वक्तव्य मुख्य मन्त्री का अखबारों में आया है वह सही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

सरकार बताए कि स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

यह तो स्वायत्त शासन और मुख्य मन्त्री बतला सकेंगे। मैंने तो अखबार में वक्तव्य देखा भी नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसी से जाहिर होता है कि यह सरकार किस प्रकार चल रही है। महत्वपूर्ण सूचना अखबारों में आ जाय और कैबिनेट के सदस्यों को सूचना भी न हो। यह तो कैबिनेट के एजेंडा पर आता है। इनको मालूम ही नहीं।

श्री मधुकर दिघे—

एक महिला के पहला पुत्र होने वाला था। उसने कहा. . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अच्छा होता कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी पहेलियां न बुझाकर मुख्य विषय पर आते।

मान्यवर, कल स्वायत्त शासन मन्त्री जी का बयान कई समाचार-पत्रों में आया और कानपुर के तो कई समाचारपत्रों में आया कि उनसे लेबर विभाग इसलिए लिया गया कि उन्होंने 10 चीनी मिलों का मामला . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। यह उनका व्यक्तिगत प्रश्न है इसलिए इसके अन्दर यह नहीं पैदा होता।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको नहीं मन्जूर किया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। इसका मैं नोटिस नहीं ले रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले भी निर्देश दे दिया है कि श्री सुखपाल पाण्डेय जी ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं या सदन छोड़ दें। आपका यह कार्य अत्यन्त अशोभनीय है। आपने जो कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा और न मैं उसकी नोटिस ले रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, इतनी देर में तो आप आश्वासन दे देते और सिंचाई मन्त्री जी की तरफ से कुछ बात भी आ जाती। लेकिन आपको अच्छा लगता है कि इस तरह से. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, आखिर यह सरकार किस तरह से चल रही है। मेरी समझ में नहीं आता। अभी माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव के बारे में प्रश्न आया। मान्यवर, आपने अखबारों में उसके बारे में पढ़ा होगा।

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

उस प्रश्न पर विवाद के बारे में अनुमति नहीं देता। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं तो जानकारी चाहता हूं। चार बार स्टेटमेन्ट दिया गया कि म्युनिसिपैल्टीज के चुनाव होंगे। मैं जानना चाहता हूं आखिर यह जो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का वक्तव्य अखबारों में आया है, उसके बारे में सरकार सीरियस है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यह प्रश्न श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त नें उठाया था। मैंने संसदीय कार्य मन्त्री का ध्यान आकृष्ट किया कि यह बिलकुल विरोधाभास है, इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव कब होगा और यह भी बतलाना चाहिए कि अखबारों में माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य सही भी है या नहीं।

श्री मुख्तार अनीस के मन्त्रि परिषद् से त्यागपत्र दे देने के उपरान्त उनकी स्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि मन्त्रि मण्डल का कोई सदस्य अपना त्याग-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को दे दे और सदन में इस बात की घोषणा कर दे कि मैंने त्याग-पत्र दे दिया है। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री की तरफ से कोई बात नहीं आई कि वह मन्त्रि परिषद् का सदस्य है या नहीं है ? तो अगर कोई बयान या स्टेटमेन्ट होता है तो आप मन्त्री का बयान मानेंगे या नहीं मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं मुद्दई तो सुस्त है और गवाह चुस्त है। उनका कोई वक्तव्य मेरे सामने नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इस सदन में माननीय मुख्तार अनीस ने घोषणा की कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास पड़ा हुआ है। यह माननीय मुख्य मन्त्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसको स्वीकार करें या न करें। उन्होंने सदन में घोषणा कर दी है कि मैंने मन्त्रि-परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया है। तो माननीय मुख्य मन्त्री या आप सदन में उनको मन्त्री मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक उनका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं हो जाता है वह मन्त्रि परिषद् के सदस्य हैं। उन्होंने मुझसे वक्तव्य देने के लिए अनुमति नहीं मांगी।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इस सदन में घोषणा की है कि त्याग-पत्र दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

जब उनका त्याग-पत्र है तो उनको चाहिए था कि माननीय मुख्य मन्त्री से आग्रह करते, अभी तक नहीं स्वीकार हुआ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

वह घोषणा कर चुके हैं कि मैंने त्याग-पत्र दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उनको मन्त्रि परिषद् का सदस्य मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक त्याग-पत्र नहीं स्वीकार होता है तब तक वह हैं।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मेरे यहां घाघरा के कटान की समस्या पैदा हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

(न बैठने पर)

मार्शल आपको बाहर निकालिए। मार्शल आपको बाहर निकाल दीजिए।

(श्री सुखपाल पाण्डेय श्री अध्यक्ष के साथ-साथ बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इसलिए मैं पक्षपातपूर्ण काम करने के नाते . . .

(मार्शल के उनके पास पहुंचने के पूर्व श्री सुखपाल पाण्डेय सदन से बाहर चले गये।)

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

अपने क्षेत्र नानपारा की शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने एक नोटिस दिया था। हम देख रहे हैं कि जो लोग आपके कक्ष में पहुंच कर अपनी बात कह लेते हैं उन्हें आप अवसर देते हैं। इस पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुर्रहमान अन्सारी सदन त्याग कर चले गए।)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बिना इजाजत के, बिना मेरे संज्ञान में लाए बोल रहे हैं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मेरी गाड़ी बहुत देर से आई। मैं बहुत आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पांच महानगरों में हड़ताल चल रही है। इलाहाबाद नगर महापालिका की हालत यह है. . .

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न नियम 51 में आया है। जब उसका नम्बर आयेगा तब देखूंगा। इस वक्त इसकी अनुमति नहीं है

बाबा राम अधार यादव—

स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सफाई पूरी नहीं हो रही है। स्वायत्त शासन मन्त्री ने कानपुर में यह स्वीकार किया है कि दस प्रतिशत स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश में सफाई रुक गयी है। आप स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करें और वे आज कोई न कोई वक्तव्य अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको स्वीकार नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। इस प्रकार जब तक आप मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं लावेंगे मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठिए। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था। पिछले महीनों में अगर देखा जाय तो कभी भी आध घंटे में यह नहीं कहा कि यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। 5 महीनों में 5 बार भी नहीं कहा होगा, लेकिन आज आप इतना उत्तेजित और उतावले हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे संज्ञान के बिना कोई बात नहीं ला सकते हैं। जितनी सूचनाएं मिली है उन्हीं पर मैंने विचार किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह सदन चल रहा है। स्वायत्त शासन मन्त्री ने सदन में नहीं बल्कि सार्वजनिक समाचार पत्रों में वक्तव्य दिया है, जिससे शासन पर गम्भीर टिप्पणी आती है। श्री गणेश दत्त बाजपेयी. . .

श्री अध्यक्ष—

नियम बता दीजिए, जिसमें आप कह रहे हैं। आप तो इसके पंडित हैं, ज्ञाता हैं। मन्त्री का क्या वक्तव्य है। उसके सम्बन्ध में कोई नियम हो तो बता दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह आरोप है।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम बताइए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

औचित्य का प्रश्न बिना लिखित के भी दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम के अनुसार ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

औचित्य के नियम के अनुसार।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 300 में आता नहीं है। इसमें बता दें कि कहां पर लिखा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो मेरे संज्ञान में तो लाते। नियम 300 में लिखा है कि निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। आप तो विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, मुख्य मन्त्री रहे हैं और नेता विरोधी दल रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियम 301 और 300 की परिधि में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

301 में आपको लिखकर देना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपको कष्ट देना उचित नहीं समझा। आप स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

आपके पक्ष में कोई नियम नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

एक मन्त्री ने सदन में वक्तव्य देना पसन्द नहीं किया और समाचार पत्रों में बताया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने 10 चीनी मिलों के खिलाफ कार्यवाही की। इसीलिए . .

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई समाचार-पत्रों में वक्तव्य देता है कि मैं अपनी पत्नी का डाइवोर्स कर रहा हूं, तब भी उठायेंगे ?

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह पत्नी का डाइवोर्स नहीं है। यह शासन और मुख्य मन्त्री पर आरोप है।

श्री अध्यक्ष—

तो विशेषाधिकार का नोटिस दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप पूछिए कि वास्तविकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय मेरे पास कोई नोटिस नहीं है जिस पर मैं स्पष्टीकरण माँगूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वास्तविकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जब वास्तविकता होगी तो वह आपके सामने आ जावेगी।

गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने 2 मई, 1978 को श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। सूचना में कहा गया था कि विधान सभा की 1 मई, 1978 की कार्य-सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में माननीया गन्ना विकास मन्त्री ने सदन को गलत सूचना देकर गुमराह करने का प्रयास किया है और इस प्रकार सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। माननीया गन्ना विकास मन्त्री ने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि 1972-73 की अपेक्षा 1976–77 में आकस्मिक श्रमिकों पर व्यय भार के सम्बन्ध में नाम-मात्र की ही वृद्धि हुई है जबकि भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (वाणिज्यिक) के पृष्ठ 29 पर कहा गया है कि सखौती टाँडा मिल में आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी का व्यय 1972–73 में 1,28,000 रुपए था और 1975–76 में यह व्यय बढ़कर 3,03,000 रुपए हो गया। सरसरी तौर पर माननीया गन्ना विकास मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर गलत प्रतीत होता था किन्तु माननीय शिव मंगल सिंह जो इस समय गन्ना विकास मन्त्री हैं, से प्राप्त स्पष्टीकरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस मिल के बारे में जो सूचना दी गयी है, वह अस्थायी श्रमिकों पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में है, न कि आकस्मिक श्रमिकों पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में। माननीय गन्ना विकास मन्त्री ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि इस अशुद्धि को ठीक करने के लिए राज्य चीनी निगम द्वारा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से अलग से निवेदन किया जा रहा है।

ऐसी दशा में इस प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना में कोई गलत बयानी करने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने 12 मई, 1978 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की सूचना दी थी। माननीय श्री तिवारी का कहना है कि मैंने 7 सितम्बर, 1977 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह आदेश दिए थे कि फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में जाँच करके इस सदन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें, किन्तु उन्होंने 8 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी। माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने अपने दिनाँक 12 मई, 1978 के पत्र के साथ उक्त विषय पर एक टिप्पणी संलग्न करके भेजी, जिसमें उन्होंने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसकी सदन को तब तक सूचना नहीं दी जा सकी।

मैंने दिनाँक 7 सितम्बर, 1977 की कार्यवाही, श्री तिवारी की सूचना तथा माननीय मन्त्री से प्राप्त स्पष्टीकरण को गौर से पढ़ा है। दिनाँक 7 सितम्बर, 1977 को मैंने निर्देश दिए थे कि इसकी जाँच करके इस सदन में यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें। माननीय मन्त्री ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा कि दिनाँक 14 सितम्बर को ही एक अन्तरिम उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया गया था कि इस दुर्घटना की जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया जा रहा है और जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर समुचित कार्यवाही की जायगी। माननीय मन्त्री ने अपनी टिप्पणी में यह स्पष्ट किया है कि जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में दिए गए निदेश के अनुसार सदन की जाँच के परिणामों से सूचित करना अभी सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जाँच समिति की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। अन्त में माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि उपर्युक्त परिस्थिति में जाँच कराकर सदन को सूचना शीघ्रता से न देने का आरोप सही नहीं है। अतएव मैं इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं मानता और इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। लेकिन साथ ही मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 8 माह हो गए हैं, एक मृत्यु हुई। उसकी जाँच शासन के विचाराधीन है, उस पर कोई कार्यवाही न करना यह अवश्य खेद का विषय है और इनको इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को पूर्ण सूचना अविलम्ब देनी चाहिए और आवश्यक कार्यवाही भी करनी चाहिए।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता तथा सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सुखपाल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता एवं माननीय सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। उनकी शिकायत है कि सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों ने माननीय सिंचाई मन्त्री के आश्वासन के बावजूद कि शीघ्रातिशीघ्र योजना बनाकर घाघरा नदी द्वारा होने वाली कटानों की रोकथाम की जायगी, पूरी योजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति न देकर केवल 3 डेम्परों की स्वीकृति दी। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि जब वे घाघरा नदी के कटान से पीड़ित किसानों की दशा को देखने के लिए विक्रम जोत से कसियापुर के लिए चले और लोगों को यह पता चला कि वे घाघरा नदी के कटान को देखने आए हैं तो वहाँ उत्तजित भीड़ ने मुझे घेर कर बाँध कर नदी में फेंकने की धमकी दी। भीड़ ने उन्हें तभी बन्धन से मुक्त किया जब उन्होंने आश्वासन दे दिया कि वे जिले के अधिकारियों द्वारा भेजे

[श्री अध्यक्ष]

गए डेम्परों की स्वीकृति शासन द्वारा अवश्य दिलायेंगे। इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं, किन्तु मैं माननीय सिंचाई मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यदि उन्हें इस सम्बन्ध में इस समय कोई जानकारी हो तो सदन में देने का कष्ट करें।

(मन्त्री जी खड़े नहीं हुए।)

जिला इलाहाबाद व मिर्जापुर में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नाथू राम शिक्षक ने जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सरसवाँ के दक्षिणी भाग में तथा माननीय विधायक श्री ईश्वर प्रसाद ने जनपद मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में दुद्धी तहसील व राबर्ट्सगंज तहसील के परगना अगोरी में दिनांक 20 अप्रैल, 1978 को ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

जिला इलाहाबाद के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 20 अप्रैल, 1978 को हुई ओलावृष्टि से इस जिले की तहसील मंझनपुर के 170 ग्राम तथा तहसील सोरांव के 43 ग्राम प्रभावित हुए। तहसील मंझनपुर में 21591 हेक्टेयर क्षेत्र की विभिन्न फसलों गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर तथा बेझड़ को खलिहानों में 39 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति पहुंची। क्षति का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

ग्रामों की संख्या			खलिहानों में रखी कटी हुई फसलों को पहुंची क्षति का प्रतिशत
109	..	..	.. 39 प्रतिशत
3	..	..	.. 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत
18	..	..	.. 50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत
3	..	..	.. 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत
16	..	..	.. 75 प्रतिशत से 84 प्रतिशत
21	..	..	.. 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
योग 170			

क्षति का मूल्यांकन लगभग 84 लाख रुपया है। मंझनपुर तहसील में ओलावृष्टि से एक मनुष्य एवं 30 पशुओं की मृत्यु हुई तथा खपड़ैल के मकान क्षतिग्रस्त हुए।

तहसील सोरांव के 43 ओला प्रभावित ग्रामों में खलिहान में कटी हुई रखी फसलों को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक क्षति पहुंची है। उक्त 43 ग्रामों में से 3 ग्रामों में जायद की फसल, खरबूजा तथा सांवा को 15 प्रतिशत की हानि हुई है।

कानपुर शहर में आतंक वादियों द्वारा दुकानें लूटे जाने के कारण शहर के बाजारों में हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्याम धर मिश्र जी ने कानपुर के लोक महत्व के विषय के बारे में एक काम रोको प्रस्ताव दिया था, उन पर मैंने गृह मन्त्री जी को एक वक्तव्य देने का निर्देश दिया था। उन्होंने अनुरोध किया है कि सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैंने इसे स्थगित कर दिया है।

दिनांक 9 मई, 1978 को श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 मई, 1978 को श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री शतरुद्र प्रकाश ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मान्यवर, मैं आपकी मार्फत से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पुतला जलाना कोई अपराध है ? अगर है, तो थाने में इसकी रिपोर्ट कब लिखाई गई और पुलिस ने किन लोगों को गिरफ्तार किया ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, इसकी रिपोर्ट 19 अप्रैल, 1978 को समय 12–30 बजे अपराह्न लिखायी गयी और रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद उसके ऊपर जाँच शुरू हुई।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—इसकी रिपोर्ट 12 अप्रैल, 1978 को लिखायी गयी और रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद उसके ऊपर जाँच शुरू हुई।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 820 पर)

दिनांक 20 मार्च, 1978 को श्री मन्नालाल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3–4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 20 मार्च, 1978 को श्री मन्ना लाल, सदस्य, विधान सभा के द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 तथा 4 के सम्बन्ध में श्री मन्ना लाल,सदस्य, विधान सभा, ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मैं यह जानना चाहता हूं कि अगस्त, सन् 1977 में कितने पद रिक्त थे।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि कोई पद रिक्त नहीं है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि अगस्त, 1977 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में दो तथा लघु सिंचाई विभाग में दो पद रिक्त थे।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उनके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 821 पर)

मन्त्रि परिषद् से हटाए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मालवीय का वक्तव्य

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुख और आन्तरिक क्लेश के साथ यह बयान देना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि मन्त्रि परिषद् से मुझे हटना पड़ा बल्कि इसलिए कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस ढंग से मुझे पद से अवमुक्त किया सम्भवतः विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में इस प्रकार से कहीं भी कोई मन्त्री पदमुक्त नहीं किया गया है। जिस प्रकार मुझे हटाया गया उसका कोई नैतिक औचित्य नहीं है। जिस प्रकार से मुझे अपमानित करके मन्त्रि परिषद् से हटाया गया उससे मेरे सम्बन्ध में जनता के मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

होना स्वाभाविक ही है और इस कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि मैं स्थिति स्पष्ट करूं।

मेरा एक निष्कलंक व स्वच्छ सार्वजनिक जीवन रहा है।

इलाहाबाद नगर महापालिका के सभासद व नगर प्रमुख पद पर रह कर, पिछली विधान सभा में सदस्य व विरोधी दल का नेता रह कर व वर्तमान विधान सभा में सदस्य तथा मन्त्री पद पर रह कर मैंने सदैव अपने आचरण व कार्यशैली द्वारा सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता का आचरण किया है किन्तु मुख्य मन्त्री जी ने द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर मुझे अपमानित करने की दृष्टि से अचानक मन्त्रि-पद से अवमुक्त करके मेरे स्वच्छ व निष्कलंक जीवन पर प्रहार करने का एक असफल प्रयास किया। 23 जून से 2 मई, 1978 के मध्य यदि एक बार भी माननीय मुख्य मन्त्री जी मुझसे असन्तोष व्यक्त करते तो मैं स्वयं मन्त्रि-परिषद् से त्यागपत्र दे देता क्योंकि आत्म सम्मान सभी को प्रिय होता है। यदि मेरी इस बात से मुख्य मन्त्री जी इंकार कर दें तो मैं अभी तत्काल विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

संसदीय प्रणाली के अनुसार मन्त्रि परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ यह भी प्राविधान है कि मन्त्री राज्यपाल के प्रसाद परयन्त पद धारण करेंगे। किन्तु संयुक्त जिम्मेदारी तथा राज्यपाल का प्रसाद (इच्छा) दोनों का अर्थ यदि एक साथ लगाया जाय जैसा कि संसदीय प्रथा है तब किसी मन्त्री को केवल उसी हालत में पृथक किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध कुछ आरोप हों। मुख्य मन्त्री जी मेरे कार्यकाल में मेरे विभाग व मेरे सम्बन्ध में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं रख सकते हैं जिसमें जनहित अथवा नियमों अथवा जनता पार्टी की रीति नीति के विरोध में कुछ कार्य हुआ हो। मुझसे कभी भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं की। संविधान के अनुसार यद्यपि मुख्य मन्त्री को मन्त्रि परिषद् के गठन अथवा पुनर्गठन अथवा किसी भी मन्त्री को पृथक करने का अधिकार है लेकिन व्यवहार में यह दल की सर्वोच्च नियन्त्रण करने वाली समिति के परामर्श के बिना नहीं होता है। यह प्रणाली ही सर्वमान्य है। मुख्य मन्त्री अपने कार्यकलापों में स्वच्छन्द नहीं हैं। इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं।

उत्तर प्रदेश में सन् 1973 में कांग्रेस हाई कमान के निर्देशन पर श्री कमलापति त्रिपाठी मुख्य मन्त्री पद से त्यागपत्र देने से ही हटे थे। 1975 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने भी कांग्रेस हाई कमान के निर्देशन से मुख्य मन्त्री पद से त्याग-पत्र दिया था। सितम्बर, 1970 में जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे और उनके मन्त्रि मंडल में कांग्रेस तथा भारतीय क्रान्ति दल दोनों के सदस्य सम्मिलित थे। माननीय चौधरी चरण सिंह ने 13 मन्त्रियों से त्याग-पत्र की मांग की थी और जब श्री चन्द्र भानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने अपने सहयोगी श्री अलग् राय शास्त्री से त्यागपत्र की मांग की थी। उन्होंने जब त्याग-पत्र देने से इंकार किया तो राज्यपाल ने श्री शास्त्री को बुलाकर बात किया और उन्होंने तब अपना त्यागपत्र दे दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री श्रीमती सुचेता कृपालानी ने मन्त्रि परिषद् की सदस्यता से श्री चतुर्भुज शर्मा से त्याग-पत्र देने की मांग की थी।

समाचार-पत्रों से मुझे जानकारी हुई है कि मन्त्रि परिषद् के विस्तार करने एवं मुझे मन्त्रि परिषद् से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में न तो हाई कमान की स्वीकृति ली गयी और न पूर्व अनुमति ली गयी। यह सब करके श्री यादव ने हाई कमान की भी उपेक्षा किया।

1938 में सेन्ट्रल प्राविन्सेज में डा० एन० बी० खरे मुख्य मन्त्री थे। एवं उन्होंने अपने मन्त्रि-परिषद् से बिना हाई कमान से अनुमति लिए कुछ मन्त्रियों का त्याग-पत्र ले लिया था। डा० खरे के ऊपर दल की अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया। मामला हाई कमान

के सामने गया एवं अनुशासनहीनता भंग करने के आरोप में डा0 खरे को जुलाई, 1938 के अन्त में मुख्य मन्त्री पद से हटा दिया गया और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के द्वारा 2 अक्तूबर, 1938 को उन्हें काँग्रेस दल की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। यह बात सर्व विदित है कि 16 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इंन्दिरा नेहरू गाँधी ने तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई (वर्तमान प्रधान मन्त्री) को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उनसे वित्त मन्त्रालय लेकर अपने पास रखना चाहती हैं लेकिन वह उप प्रधान मन्त्री के रूप में उनका सहयोग करते रहे। उसी दिन श्री देसाई ने श्रीमती इन्दिरा नेहरू गाँधी को उनके पत्र का उत्तर दिया। श्रीमती गाँधी का पत्र उन्हें 12-45 अपराह्न प्राप्त हुआ था। अपने पत्र में श्री देसाई ने श्रीमती गाँधी को लिखा कि 'आपका कर्त्तव्य था कि निर्णय लेने के पूर्व आप मुझसे विचार विमर्श कर लेंती।' श्री देसाई जब अपने पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे उसी समय 2.44 अपराह्न पर प्रेस ट्रस्ट द्वारा उनको सूचना प्राप्त हुयी कि वित्त मन्त्रालय उनसे छीन लिया गया है और उसके फलस्वरूप श्री देसाई के पास दूसरा पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया कि वह अपने निर्णय पर पुन: विचार करें और उनको सरकार में उप प्रधान मन्त्री पद पर बने रहें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्री देसाई ने अपने निर्णय को बदला नहीं किन्तु प्रधान मन्त्री को लिखा कि असहमति अविश्वास नहीं।

दिनांक 17 जुलाई, 1969 को आज के प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को अपने पत्र में लिखा। 'निर्णय होने के पूर्व किसी विषय पर हो सकता है मैंने विचार विमर्श के समय मतभेद व्यक्त किया हो, किन्तु एक बार यदि मन्त्रि-परिषद् ने निर्णय ले लिया तो मैंने उसे नि:संकोच कार्यान्वित किया। मेरा विश्वास है कि संसदीय प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य में सहमति हो और प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि निर्णय लेने के पूर्व तक मन्त्रि-परिषद् के अन्दर अपनी राय व्यक्त करे। क्या मैं आप से पूंछ सकता हूं कि आपके लिए एक तरफा निर्णय लेना कहाँ तक उचित था और आपने राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिसूचना जारी करवा दिया, लेकिन उसके पूर्व आपने यह सभ्यता भी नहीं बरती कि आप मुझसे एक शब्द बात तो कर लेंती? क्या कारण है कि आपने निर्णय लेने के पूर्व मुझसे विचार विमर्श नहीं किया? इससे मुझे एक मौका मिलता और यह समझने का मौका मिलता कि आपके दिमाग में क्या बात है।'

मुझे इस बात का सन्तोष है और हर्ष है कि जनता पार्टी के सर्वोच्च अधिकारियों ने मेरे इस मत का प्रतिपादन किया है और मुख्य मन्त्री के इस कार्य की भर्त्सना की है और श्री चन्द्रभानु गुप्त, प्रादेशिक जनता पार्टी, अध्यक्ष, श्री अब्बास अली तथा श्री ओम प्रकाश, महामन्त्री उत्तर प्रदेश जनता पार्टी ने भी मुख्य मन्त्री जी के इस कार्य को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुउत्तरदायित्वपूर्ण बताया है। यह भी स्मरणीय है कि अप्रैल के मध्य में केन्द्रीय गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह जिनके नैतिक समर्थन से ही श्री राम नरेश यादव मुख्य मन्त्री बने हैं, ने दल को सम्बोधित करते हुए कहा था कि संसद का सत्र 12 मई को समाप्त हो रहा है और इसके बाद 2 दिन के लिए वह लखनऊ आयेंगे और माननीय विधायकों से विचार विमर्श करेंगे। इस बीच माननीय विधायक यथास्थिति बनायें रखें। 1 मई, 1978 को जनता पार्टी के महामन्त्री तथा संसद सदस्य, श्री मधुलिमये लखनऊ पधारे थे और उन्होंने विधायकों को सलाह दी थी कि आजमगढ़ चुनाव तक शान्त रहें। उसके बाद वह अन्य नेताओं के साथ लखनऊ आयेंगे और समस्या का समाधान करेंगे।

इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है। मुझे अत्यन्त खेद है कि 2 मई, 1978 को जब मैं मन्त्रि परिषद् के विस्तार से सम्बन्धित शपथ समारोह में गया तो मुख्य मन्त्री जी ने मुझे यह संकेत तक देने की शिष्टता नहीं बरती। यदि वे मुझे

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]
उस समय संकेत दे देते तो मैं उसी समय त्याग-पत्र दे देता। मुझे मन्त्रि-पद पर रहने का कोई मोह नहीं है। मैं तो सदैव कबीर के इस आदर्श पर विश्वास रखता हूं:—

कबिरा खड़ा बजार में लिए लुंकाठी हाथ,
जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ।

स्पष्ट है कि मुख्य मन्त्री का यह कार्य द्वेषपूर्ण है और उन्होंने मुख्य मन्त्रि पद ग्रहण करते समय अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो शपथ ली थी यह उसके विपरीत है।

निःसंदेह संगठनात्मक प्रश्न पर मेरा मुख्य मन्त्री जी से मतभेद रहा है। मैंने जनता पार्टी के छः विधायकों के निष्कासन को अवैधानिक समझा था और मैंने अपना यह मत दल में व्यक्त किया था। कोई भी मन्त्री मन्त्रि-परिषद के सामूहिक निर्णय के लिए जिम्मेदार है परन्तु संगठनात्मक मामलों में वह स्वतन्त्र है और यह किसी भी मुख्य मन्त्री को अप्रसन्न होने का कारण नहीं हो सकता और न इससे कोई अविश्वास करने का औचित्य हो सकता है।

मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार का द्वेषपूर्ण कार्य करके सर्वमान्य मान्यताओं का तिरस्कार किया है। इससे लोकतांत्रिक मान्यताओं को भी धक्का पहुंचा है। उनके इस कार्य से मन्त्रिगणों के निर्भीकतापूर्ण तथा स्वतन्त्रता-पूर्ण अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में भी बाधा पड़ेगी। यदि मुख्य मन्त्री जी की इच्छानुसार किसी भी मन्त्री के सिर पर हटाए जाने की तलवार लटकती रहे तो उसके मन्त्रि-परिषद् की सहायोगात्मक भावना भी नष्ट हो जायेगी और मन्त्री एक सहयोगी न होकर मुख्य मन्त्री का केवल एक सचिव बनकर रह जाएगा।

मैं अपने मन्त्रि-परिषद् के सब साथियों का और माननीय विधायकों का कृतज्ञ हूं जिनका विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

अन्त में मैं पुनः अपनी मानसिक वेदना प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे इन परिस्थितियों में अपना वक्तव्य देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी इस पर अब कोई विवाद नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं विवाद नहीं करना चाहता हूं बल्कि मेरा निवेदन है कि मन्त्रि-मण्डल इस माननीय सदन के प्रति उत्तरदायी है आर्टिकल 164 के अनुसार। मान्यवर, इस समय श्री सत्य प्रकाश जी ने जो वक्तव्य दिया है और बड़े गम्भीर आरोप मुख्य मन्त्री पर लगाए हैं। चूंकि मुख्य मन्त्री इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं इसलिए सदन का अधिकार है कि इस मामले में हमको चर्चा करने दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। नियम 276 के अनुसार उसमें स्पष्ट लिखा है कि उस पर कोई बहस नहीं होगी। ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के अनन्तर और दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जाएगा, परन्तु कोई मन्त्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे, यदि वह चाहते हैं। इसलिए इस पर किसी प्रकार के वाद-विवाद की इजाजत मैं नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कोई मन्त्री वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यदि देना होगा, तो वे खड़े होंगे।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं।

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978†

श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जगदीश मिश्र को प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश मिश्र—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978†

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य डाक्टर अवश्नी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" को उत्तर प्रदेश जाति प्रथा....

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के खन्ड 124 को देखने की कृपा करें जिसमें कहा गया है कि "नियम 114 अथवा नियम 123, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित क्रिया के उपरान्त विधेयक 'भार साधक सदस्य' द्वारा पुर:स्थापित किया जाएगा"। नियम 123 में दिया गया है कि "जब तक कि विधेयक की

---

†दिनाँक 18 मई, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]
प्रतिलिपियाँ प्रस्ताव करने के दिन के पूर्व दिनाँक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों। इसी के भाग 2 में लिखा है। "जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे हैं तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे देंगे"। यह विधेयक श्रीमन्, विधायनी शक्ति के भी परे हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में भी स्पष्ट कहा गया है कि सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि के पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अलावा कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें इस प्रकार का विधेयक जिसका आधार आर्थिक माना गया है वह लाया जा सके और इस विधान सभा में इस पर विचार हो सके। विचार से पूर्व भी आप नियमावली देखें 128 में लिखा है, विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व वितरित होनी चाहिए। प्रतिलिपियाँ आज वितरित हुईं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार भी यह संविधान की मन्शा के विपरीत है। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पुरःस्थापित करने की अनुमति न दें।]

श्री अध्यक्ष—
जहाँ तक प्रतिलिपियाँ वितरित करने का सवाल है, प्रतिलिपियाँ वितरित समय के अन्दर की जा चुकी है। इसलिए यह आपत्ति तो होती नहीं है। जहाँ तक अनुच्छेद 16(4) का प्रश्न है उसमें लिखा है "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।" तो जहाँ तक आरक्षण का सवाल है संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य आरक्षण कर सकता है उसकी शर्तों को पूरा कर सकता है लेकिन इस तरह का प्रस्ताव की जातियता का उन्मूलन किया जाय या उस में कोई यह सजेशन दे कि अनुरक्षण के लिए क्या-क्या शर्तें रखी जायं तो यह कोई संविधान के विरोध में जाता नहीं है।

आप देखें "राज्य के विवेकाधीन वर्गीकरण की शक्ति के प्रयोग, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के रूप में किया जायगा और तदनुसार उत्तर प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत निर्धन वर्ग को बिना जाति वर्ण, रंग एवं जन्म-स्थान का भेदभाव किए, विशेष सुविधायें प्रदान की जायेंगी, किन्तु शासकीय सेवाओं तथा व्यवसायिक एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में केवल प्रतिभा और कार्य क्षमता को ही वरीयता दी जायगी।" फिर आगे इसमें है "राज्य सरकार प्रति वर्ष, सम्पूर्ण राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तथा असमर्थ व्यक्तियों का आकलन, शारीरिक विकलाँग, वृद्ध, शहीदों के आश्रित, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित, आदिवासी, महिलायें आदि करायेंगी तथा उसकी रिपोर्ट दोनों सदनों के पटल पर विचार विनिमय हेतु प्रस्तुत करेगी जिससे कि आर्थिक विपन्न एवं असमर्थ व्यक्तियों के लिए राजकीय सुविधाओं का स्वरूप निर्धारित किया जा सकेगा।"

इसलिए माननीय सदस्य की जो आपत्ति है वह विधेयक के रखने में बाधक नहीं है। यह सदन का काम है अनुज्ञा दे या न दे। इसलिए मैं सदन के सम्मुख से प्रस्तुत करता हूं।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहली व्यवस्था यह चाहता हूं कि इसके प्रस्तावना में यह है "उत्तर प्रदेश में शताब्दियों से प्रवर्तित, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं तथा विद्वेष मूलक जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए विधेयक और इसमें खंड 1 से लेकर खंड 6 तक जो प्राविधान किया गया है उसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि किस-किस प्रकार जाति का उन्मूलन किया जायगा तो यें दोनों पारस्परिक विरोधी है। खंड 6(3) में कहा गया है कि इसके उन्मूलन के सम्बन्ध में एक आयोग का गठन किया जायगा। यह जो तथाकथित विधेयक है इसमें इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे जाति उन्मूलन के लिए अलेहदा से विचार नहीं किया जा सकता। दूसरे आधार के सम्बन्ध में जो कहा गया है तो संविधान में सामाजिक और शैक्षिक आधार स्थिर कर दिया गया है। उसको चेंज करने के लिए यह विधान सभा सक्षम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है जब इस बिल पर विचार होगा तो उसके गुण दोष पर विचार करते समय इस पर विचार हो सकेगा। दुसरे जो मूल प्रस्ताव है जिसे स्वीकार किया गया है वह अग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं इस पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित करने तथा सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा विभाजन की माँग होने पर एवं विभाजन की मतगणना प्रारम्भ होने पर।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप इन लोगों को परिपाटी तो सिखाइएं.....

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, जब मतगणना होती है तो आप व्यवधान डाल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से तथा विशेषकर श्याम धर जी से कहूंगा कि जब मतगणना होती है तो व्यवधान नहीं डाला जाता है।

मैं दुबारा प्रश्न उपस्थित करता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—34,
विपक्ष में—26)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जाति-प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, "ना" के पक्ष में अधिक हैं।

[श्री अध्यक्ष—

मैंने गिनवाकर बता दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

माननीय खाद्य मन्त्री, चूंकि यह विधेयक आपसे सम्बन्धित है, इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ?

*खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम है उसमें बहुत से संशोधन शासन के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अच्छा होगा यदि वे इस विधेयक को वापस ले लें जिससे व्यापक संशोधन जो विचाराधीन है उन सबके साथ उस पर विचार किया जाना सम्भव हो सके।

श्री अध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, आप इसे वापस लेना चाहते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

अगर माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन दें कि जो संशोधन मेरा प्रस्तावित है उसका भी समावेश उन संशोधनों में कर लिया जाएगा तो मैं अपना विधेयक वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि आपका जो संशोधन है उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन इस वक्त वह प्रतिबन्धित होने को तैयार नहीं हैं। आश्वासन उन्होंने दे दिया है। इसलिए आप अनुज्ञा के लिए जोर तो नहीं देना चाहेंगे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तवारी—

अगर इस पर भी विचार कर लेंगे तो अनुज्ञा माँगने पर जोर नहीं देता।

श्री हरिश्चन्द्र—

मैं इस संशोधन के ऊपर भी उन्हीं संशोधनों के साथ विचार कर लूंगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। अभी यह पता नहीं है कि माननीय मन्त्री जी आखिर किन-किन मुद्दों पर संशोधन करने जा रहे हैं। वे अन्धेरे में हैं। माननीय सदस्य ने जो संशोधन के सुझाव दिए हैं उनके बारे में माननीय मन्त्री जी इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वे उनके बारे में कुछ कह सकें कि उन्हें वे मान्य होंगे या नहीं। इस स्थिति में इस प्रस्ताव को वापस लेने की सदन को अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को अपना अनुज्ञा माँगने का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति सदन द्वारा दी जाय।

(सदन की अनुमति से अनुज्ञा मांगने का प्रस्ताव वापस हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र सिंह ने मौजूदा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री बाजपेयी के संवाद-दाताओं के समक्ष इस कथन से कि उनके विभाग में फेर बदल उद्योगपतियों के दबाव से किया गया है, प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस पर चर्चा के लिए कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी सम्बन्ध में श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री अरुण कुमार ने भी सूचना दी है। इसको मैंने अस्वीकार किया है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए कामरोको प्रस्ताव रखा जाय।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 56 पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पर पहले चर्चा हो चुकी है। इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। प्रत्येक प्रश्न पर आप सदन में दलील दें, यह उचित नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, मुझे एक मिनट में सुन लें, मैं दलील नहीं दे रहा हूं। आपने कहा कि इस पर चर्चा हो चुकी है। चर्चा नहीं हुई है आपने डिसएलाऊ किया था। एक मन्त्री ने सरकार पर गम्भीर आरोप लगाये हैं कि पूंजीपतियों के कहने पर मेरा विभाग बदला गया। इससे एक बात निकलती है....

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यही बात जब आप सदन में नहीं थे, श्री नारायण दत्त तिवारी ने कही। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया बैठ जायं।

श्री देव बहादुर सिंह ने प्रदेश की पाँच नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा दिनाँक 16 मई, 1978 से हड़ताल किए जाने के कारण सारा काम काज ठप्प होने के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर एक सूचना को मैंने नियम 51 में स्वीकार किया है और माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को भेजा है कि वह कोशिश करें कि आज वक्तव्य दे दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आज सदन उठ रहा है। एक बात का भय है गन्दगी फैल गई है और 18 तारीख से पानी भी बन्द होगा तो गर्मियों के दिन हैं, लोग तड़प-तड़प कर मर जायेंगे। आज ही वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने भेज दिया है और सरकार से अपेक्षा की है कि आज वक्तव्य दे हैं कि नहीं? सदन उठने से पहले वह दे दें यह मैंने लिखा है।

श्री हरिकेवल प्रसाद ने दिनांक 22 मई, 1978 की पुलिस परिषद् द्वारा वाराणसी में शहीद दिवस का आयोजन तथा जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा परिषद् के पदाधिकारियों पर जनपद की सीमाओं में दिनांक 15 मई, 1978 से 15 जून, 1978

[श्री अध्यक्ष]
तक प्रवेश करने पर रोक लगाने के कारण विषम स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। इसी आशय का श्री राम आसरे वर्मा ने भी दिया है।

यह प्रशासनिक विषय है। रोज सरकार 144 लगाती है, निषेधाज्ञा लगाती है। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। इसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मन न होते हुए भी मैंने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया। मुझे परसों एक नोटिस ऐसा मिला जिसमें सूचनार्थ लिखा हुआ था और उस सूचनार्थ में मेरा नाम और श्री रामानन्द तिवारी, सदस्य, लोक सभा का भी नाम था। 22 मई को बनारस में शहीद दिवस का आयोजन पुलिस परिषद् ने किया है। वहाँ जाने का कार्यक्रम था जब यह नोटिस मिली तो कल यहाँ आने के बाद यहाँ के अधिकारियों से मैंने सम्पर्क स्थापित किया। जिस तरीके से पिछली सरकार ने माननीय लोक नायक जय प्रकाश द्वारा पटना में आयोजित सभा में प्रतिबन्ध लगा दिया था उसी भाँति हमारी जनता सरकार ने बनारस में 15 मई से 15 जून तक पुलिस के लोगों पर बैन लगा दिया.....

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिए। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान) इससे आगे कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यह इस कार्यवही का भाग नहीं होगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

राम आसरे जी आपका भी अस्वीकृत कर दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

हमको भी मौका दें एक मिनट का।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहें तो बोल लें, लेकिन यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में खोया बनाने तथा बिक्री करने पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण लाखों लोगों के सम्मुख जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। श्री रियासत हुसैन इस पर उठा चुके हैं। इसलिए इसको अस्वीकृति किया है। इस सदन में नियम 301 में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। नियम यह है कि जो विषय एक बार सदन में आ चुका है, चर्चा हो चुकी है...

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[* * * *]

नोट—[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए गोली काण्ड आदि में मरने वाले लोगों के आश्रितों को अधिक मुआवजा दिए जाने की माँग की है यह तो अनिश्चित है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उन घटनाओं का जिक्र मैंने किया है। चाहे आग से मरें या गोली से मरें या हरिजन उत्पीड़न से शासन ने पाँच हजार रुपया मरने वालों की कीमत रखी है। अब महंगाई बढ़ रही है तो उसके जीवन के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी कहीं इससे आम धारणा न हो जाय कि मनुष्य के जीवन का मूल्य 5,000 रुपए है। यह किस आधार पर निश्चित किया है ?

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह पहले पुर:स्थापित हो चुका है। बंट गया है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही थी उसका उत्तर दे चुका। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में काफी चर्चा कर ली थी। उसका जवाब मैंने दे दिया था। मुझे विश्वास है कि उस जवाब के बाद इसमें कुछ अधिक कहने को बाकी नहीं रहा है। लेकिन पुन: इस बात की जानकारी हो जाय कि इसका क्या परिणाम होगा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है मैं मुख्तसर में आपके समक्ष रख देना चाहता हूं।

"संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द 'अस्सी' प्रतिशत के स्थान पर शब्द 'सौ प्रतिशत' रख दिए जायेंगे।"

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मुझे मुख्तसर में दो बातें सदन की सेवा में निवेदन करनी हैं। वह यह कि अभी एक रुपया 80 पैसे एक व्यक्ति को जो सबसे नीचे दरजे का टिकट है खरीदने के लिए देना पड़ता है। यह देखा गया है कि आम-तौर पर जब लोग टिकट खरीदने के लिए जाते हैं तो दो रुपए देते हैं, परन्तु शेष 20 पैसे भीड़ के कारण और दूसरे कारणों से अवाँछित व्यक्तियों के हाथ में पड़ जाते हैं। मैं सिनेमा कर्मचारी संघ का अध्यक्ष रहा हूं। अब भी गहरा सम्बन्ध है। काँग्रेसी राज्य में इस तरह की सुविधायें बहुत थीं। इसको बन्द करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से शिक्षा दी जाय कि भ्रष्टाचार मत करो और दूसरे जो भ्रष्टाचार के छिद्र हैं उनको बन्द किया जाय।

एक तरफ वह अधिकार तो है ही। सभी माननीय सदस्यों पूरे देश और समाज को, कि लोगों को शिक्षा दें कि भ्रष्टाचार न करें, उसके साथ हम छिद्र को बन्द कर देना चाहते हैं। इसलिए शासन को प्रदेश के हित में, विकास के कामों के लिए खजाने में पैसा भी अधिक आए और जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी रोक-थाम हो सके, इसलिए एक रुपया 80 पैसे के टिकट की जगह पर दो रुपए का टिकट कर रहे हैं। एक रुपया और एक रुपया कर। इस तरह से 80 से 100 प्रतिशत कर कर दिया। यह आरोप है कि सभी सिनेमा

†6 मई, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री मधुकर दिघे]

के टिकट पर क्यों नहीं किया ? उसको भी मैंने कहा था। यह पहला कदम है जो प्राथमिक तरीके से उठाया जा सकता है, उसको उठाया है। लेकिन इसको यहाँ तक सीमित नहीं करना है। पूरी इस वक्त जो व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में सिनेमा के जो मालिकान हैं और जो एग्जिबिटर्स के अतिरिक्त देखने वाले लोग हैं उन सब लोगों से बातचीत करके जो दुर्व्यवस्था नियमों के कारण कानून की वजह से होती है उसको ठीक करने की दृष्टि से इस शासन की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरफ मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि ऐसी जगहों पर टैक्सेशन की वृद्धि न हो जिस को बोझा प्रतीत हो, लोगों को देखने में कठिनाई महसूस हो और शासन को लाभ भी न हो इसलिए मैंने यह उचित समझा कि ऐसी जगहों पर कर लगायें जायं जिससे लोगों को बहुत कष्ट न प्रतीत हो। उसके साथ खजाने में पैसा भी सुविधा के साथ आ सके ताकि वह विकास कार्यों में लग सके। माननीय मिश्रा जी ने मेरा समर्थन किया था कि अपने प्रदेश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए हमको अधिक से अधिक कर बटोरना चाहिए। माननीय रियासत साहब और नेगी जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा यह प्रयास किया है कि कर लगना चाहिए और इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया था कि ऐसी जगह पर टैक्स लगाया जाए जिससे किसी को कष्ट न हो। उस दृष्टि से मैं यह प्रस्ताव आपके समक्ष लाया हूं और मुझे विश्वास है कि इसको बिना किसी आलोचना के आप लोग स्वीकृत करेंगे ?

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं, कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, यह मासूम प्रस्ताव कर बढ़ाने का माननीय मासूम मन्त्री जी ने रखा है, परन्तु मुझे तकलीफ हुई कि मन्त्री जी हमारे पुराने सोशलिस्ट साथी हैं समाजवादी रीति व नीति से ऐसे प्रस्ताव पास किए हैं कि जिन लोगों के पास पैसा हो, उनसे पैसा आना चाहिए और जिन लोगों के पास श्रम हो उनसे श्रम का कार्य लिया जाए। परन्तु मुझे इतनी बात से तकलीफ हो रही है कि जो प्रस्ताव उनको प्रस्तुत करना पड़ा, वह हमारे समाजवादी साथी हैं, जो उन्होंने एक रुपया कर दिया तो जो सबसे नीचे दर्जेका व्यक्ति सिनेमा देखना चाहता है या कल्चरल प्रोग्राम में जाना चाहता है तो उसको भी उसी अनुपात से बढ़ा दिया जिस अनुपात से बड़े आदमी से टैक्स लिया जाता है। यह मनोरंजन क्या है, इसका नाम रिक्रिएशन रखा गया है कि आदमी दिन भर की थकान के बाद कोई ऐसी जगह पर बैठकर मनोरंजन कर सके, जिससे आगे के काम करने के लिए इनरजी क्रियएट हो सके और कल के आने वाले काम पर इनरजी को लगा सके। मनोरंजन से इनरजी रि-क्रिएट हो। इसमें मुझे कोई आपत्ति न होती कि कुछ ऐसा प्रस्ताव किया जाता कि जो लोग काम्पलीमेन्टरी पासेज से मुफ्त मनोरंजन करते हैं और दूसरे प्रोग्राम भी बिना टैक्स दिए हुए देखते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। उनके नाम फ्री पासेज जारी हो जाते हैं। सिनेमा वालों के पास उनकी एक सूची रहती है। चाहे पुलिस के अधिकारी हों, इन्टरटेनमेंट के अधिकारी हों, किसी को इस प्रकार की सुविधायें नहीं मिलनी चाहिए। उनके पास इन लोगों की एक सूची रहती है कि कौन-कौन फ्री रिक्रिएशन में आते हैं, जिन्हें किसी किस्म का टैक्स देनेकी जरूरत नहीं है। उधर मालिकों का व्यक्तिगत नुकसान रहा लेकिन जब इन्टरटेनमेंट टैक्स की चोरी होती है, उस पर रिक्रीएशन के प्रति जब इन्टरटेनमेंट कर नहीं होता, तो सोचना पड़ता है कि क्या इस देश के अन्दर, क्या आर्टिकल 14 के अन्दर दो तरह का व्यवहार तो नहीं हो गया कि इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश के एक सिटीजन-जो अधिकारी है, जो असरदार हैं, जो ताल्लुके वाला हैं, वह तो फ्री हो गया, वंचित हो गया इन्टरटेनमेंट टैक्स की वजह से और मनोरंजन भी कर लिया और दूसरी तरफ जो आदमी साधारण जनता का आदमी है, गरीब है, लाइन में खड़ा होकर, धूप में टिकट लेने में मेहनत करता है, उसके ऊपर आपने असल में और देश और प्रदेश के विकास करने के लिए मनोरंजन कर और लगा दिया। तो क्या यह इक्विटी आफ ला आर्टिकल 14 के अन्दर हो पाया? नहीं हो पाया। तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई भी शख्स चाहे देश के किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो, गरीब से गरीब, रिक्शा पुलर या मजदूर या खेतिहर मजदूर है, जो अपने रिक्रियेशन के लिए जाय, तो उसके बारे में जो इन्टरटेनमेंट टैक्स देना लाजिमी हो तो उस टैक्स से कोई भी सिटीजन चाहे कितना बड़ा आदमी हो, वह उससे वंचित न हो सके? अगर ऐसा कानून कर देते तो जो 20 प्रतिशत बढ़ाया, इतना पैसा उधर से बराबर हो जाता और गरीब के ऊपर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। श्रीमन्, एक आदमी गरीब है। वह सिनेमा देखने जाता है, और छोटा टिकट भी लेता है तो 1.80 के बजाय दो रुपए देना पड़ेगा। तो 20 पैसा का बोझ किस पर पड़ा? इस कर का बोझ समाज के सबसे छोटे गरीब, कम आमदनी वाले पर पड़ा। तो मुझे संदेह हो जाता है, श्रीमन्, कि जब कर का बोझ समाज के सबसे छोटे वर्ग पर डाल रहे हैं—प्रदेश के विकास के लिए और बड़े लोग उसकी आड़ पकड़ कर निकल रहे हैं तो क्या है वह समाजवादी नीति से मेल खाएगा? मेरी समझ में नहीं आएगा यदि बड़े लोगों के बजाय 100 प्रतिशत के 125 प्रतिशत कर देते तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको कोई परेशानी नहीं है। वे कोट-पतलून पहन कर जाते हैं और छोटा टिकट नहीं मिलता तो 3 रुपए 4 1/2 रुपए या 5 रुपए का टिकट खरीद लेते हैं।

इस तरह से, मान्यवर इस विधेयक का जो असर है, वह समाज के सबसे निर्बल वर्ग, गरीब आदमी पर पड़ेगा। इसलिए मैं इस संशोधन को रखता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि प्रदेश के संसाधन जुटाने की जो बात है और कहाँ से रुपया आए, इस इन्टरटेनमेन्ट टैक्स के सिलसिले में विचार किया जा सके।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कितनी लचर दलील माननीय वित्त मन्त्री जी ने दी है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार कब खत्म होगा और उसके लिए पहला कदम क्या लिया है—80 पैसे से लेकर 1 रुपए टैक्स बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अगर ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कब तक खत्म होगा, कैसे होगा, इसका अन्दाज लगा सकते हैं, श्रीमन्। हकीकत क्या है? हमारा कहना है कि पहले ही से मनोरंजन कर ज्यादा लगा हुआ है। मान्यवर, सबसे जो सस्ता साधन है आज, वह सिनेमा है। यह माननीय वित्त मन्त्री जी मानते हैं। एक रुपये या 2 रुपए में एक मेंहनत करने वाला, आदमी अपना मनोरंजन कर सकता है। हमारे मन्त्री जी तो साँस्कृतिक कार्यक्रम से मनोरंजन कर सकते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं, उनके भी साँस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और ये साँस्कृतिक कार्य क्रम कैसे संगठित होते हैं, आप जानते हैं, मान्यवर। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले आदमी और मेहनत करने वाले आदमी के पास सिवाय सिनेमा का टिकट लेकर सिनेमा देखने के अलावा और कोई दूसरा साधन मनोरंजन का नहीं है।

मान्यवर, फैक्ट्रियों के अन्दर कोई क्लब नहीं है। जहाँ पर मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। गांव का किसान अगर कभी शहर जाता है ती सिनेमा देख लेता है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई मनोरंजन के साधन नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हैं। एक मात्र जो गरीब के लिए मनोरंजन के साधन थे उस पर आपने सबसे अधिक कर लगा दिया। हमारे माननीय मन्त्री जी समाजवादी सिद्धान्तों पर चलने वाले हैं, इनको तो चाहिए था कि मनोरंजन कर बिल्कुल ही माफ कर देते ताकि मेहनत करने वालों को जिनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, सस्ते दर पर उसे मनोरंजन के साधन मिल सकते।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रियासत साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, विधेयक के रूप में उसमें तो मैं यह समझता हूं कि अगर वे विचार करते ठीक ढंग से तो पाते कि यह गुनाह बेलज्जत बात है। कुल रुपया भी इसमें केवल लाखों में ही वसूल होता है लेकिन अगर इसका दुरुपयोग देखें तो वह करोड़ों में होगा। जिस प्रकार से एक अच्छा वकील बुरे मामले की भी वकालत करता है उसी प्रकार से दिघे साहब ने बहस और वकालत की है कि एक रुपया 80 पैसे वाले को केवल 20 पैसे अधिक देने पड़ेंगे जो उससे और लोग ले लेते हैं। माननीय दिघे जी को यह नहीं मालूम कि जो वहाँ धूप में खड़े होकर लाइन लगाते हैं वे ही 20, 40 और 60 पैसे ले लेते हैं। और अगर उस गरीब से आप 2 रुपए लेंगे तो अब उसे 20 पैसे या 50 पैसे और अधिक उन धूप में खड़े होकर लाइन लगाने वाले को देने पड़ेंगे। उससे 20 पैसे अधिक तो आप ही ले रहे हैं। अब उसको 20 पैसे या 40 पैसे, 2 रुपए से और अधिक देने पड़ेंगे। इतना सस्ता मनोरंजन और क्या हो सकता है? आपके ही आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 60 प्रतिशत के लगभग ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। जहाँ पर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले इतने लोग हों वहाँ पर 567 सिनेमा है जोकि बहुत कम हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए। एक गरीब आदमी मुश्किल से दिन भर में 3-4 रुपए कमाता है। एक गरीब आदमी 1 रुपया 80 पैसे खर्च करके सिनेमा में मनोरंजन कर लेता है। इसी प्रकार से एक विद्यार्थी 1 रुपया कहीं से लेता है और आठ आना कहीं से लेता है, वह भी सिनेमा जाकर अपना मनोरंजन करता है और ज्ञान बढ़ाता है। इसका कुछ उपयोग और कुछ दुरुपयोग भी होता है। तो इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा। यह कहना कि इससे गरीब की मदद होगी, उचित नहीं है। इससे तो वह और परेशान होगा। उनको पैसा भी नहीं वापस मिलेगा और इससे परेशानी उसे बहुत ज्यादा होगी।

मैं तो यह कहूंगा कि न तो यह प्रवर समिति में जाय और न कहीं जाय। अभी उनको अधिकार है कि वे इस बिल को वापस ले लें और इससे गरीबों की मदद करें। हमारे लिए और माननीय सदस्य और दिघे जी के लिए तो 5 रुपया भी सस्ता है लेकिन एक गरीब के लिए 1 रुपया 80 पैसा बहुत महंगा है। ऐसी सूरत में उनको अपनी तुलना, हमारी तुलना, सदन के माननीय सदस्यों की तुलना में इसे नहीं सोचना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि वे इसको वापस ले लें। वे आज एक अच्छे वकील की तरह से कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 पैसा तो लोग उससे ले ही लेते हैं। यह तो उसको वापस मिलता है यह उनको देना पड़ता है और आगे भी देना पड़ेगा।

(संस्थागत वित्त मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

केवल दो मिनट लूंगा, मान्यवर।

सिनेमा मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक मात्र साधन है जिससे गरीब से गरीब आदमी मनोरंजन कर सकता है, अन्य साधन बड़े महंगे हैं। आर्थिक दृष्टि से चाहे नाटक हो या और कोई प्रोग्राम हो वे इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी के बूते के बाहर की बात है।

तो छोटे-छोटे स्तर के गरीब लोग सिनेमा देखने जाते हैं और उनकी कठिनाई दूर करने के लिये आप कहते हैं कि 20 पैसे सिनेमा वाले ले लेते थे तो आपने 2 रुपया कर दिया—यह बड़ी लचर दलील दी है। अगर उन गरीबों की सिनेमा वालों से रक्षा करनी थी तो बजाय 1 रुपए 80 पैसे के 1 रुपया 50 पैसे या 75 पैसे कर देते और वह उसको लौटाया जा सकता था। यह भी कोई दलील हुई कि 5 रुपये का नोट लेकर कोई जाय तो तीन रुपए का टिकट हो तो 2 रुपये लौटाने न पड़े इसलिए 5 रूपया टिकट कर दें, तो यह कोई दलील नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को वापस लें और फिर सोच-समझ करके गरीबों को कैसे राहत मिले और पैसे की जरूरत हो तो ऊंची श्रेणी, बालकनी या प्रथम श्रेणी वालों पर बढ़ा दें और उतना पैसा मिल भी जायगा, तो उसको फिर लावें। गरीबों के पेट पर लात मारने की इनकी नीति बन गयी ह।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोहरा रहे हैं.....

श्री देव बहादुर सिंह—

यह नीति और सिद्धान्त की बात है। सरकार गरीबों के विरुद्ध है। वह गरीबों के विरुद्ध अधिनियम में संशोधन लाती है।तो मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को वापस करें।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने शुरू में केवल एक बात कही कि तर्कसंगत बनाने के लिए, एक रेशनलाइजेशन की जो भूमिका है जिसके तहत और आगे काम करना है उसकी एक शुरूआत यहाँ से की गयी। मैंने मान्यवर, यह दलील के रूप में नहीं कहा। मैंने कहा कि वस्तुस्थिति यह थी कि जो गरीब आदमी जाते थे उनकी जेब से वह पैसा लूट लिया जाता था और गरीब को जिसका पैसा देना था वह ले लेते थे। अब अगर उसको मालूम हो जायगा कि हमारा पैसा अपने प्रदेश के विकास में काम आ रहा है तो वह ज्यादा खुश होगा बनिस्बत इस लूट के जो कि उससे लूटी जाती थी।

उसके साथ ही साथ माननीय रियासत साहब ने एक प्रश्न उठाया है। जहाँ तक नियमों का प्रश्न है किसी भी आदमी को जो कम्पलीमेंटरी पास दिया जाता है उस पर शासन इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ नहीं करता। यह बात सही है कि वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है।.....

एक सदस्य—

बगैर टिकट के बैठते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

बात यह है कि जो पुराने शासक रहे उनकी सिनेमा वालों से इतनी दोस्ती रही कि इनकी दोस्ती के कारण ये सब लोग तो मुफ्त देखने आते थे, तो या तो टैक्स मालिक दे देता था या मुफ्त बैठ जाते थे। अगर इन्सपेक्टर आ गया तो फाड़ कर दे दिया। नेगी साहब और हम तो इन सब चीजों के खिलाफ हैं यह सही है, लेकिन मान्यवर, देवकुमार जी जब बोलते हैं तो आश्चर्य होता है। अब हमको इन चीजों को सुधारना है, समाप्त करना है। उसी तरह से जो भी कदम या अनुभव हमारे हैं उनके आधार पर हम कदम उठाना चाहते हैं। इसका जिक्र मैंने शुरूआत में कर दिया था और जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह जितने आमोद-प्रमोद के कर के सम्बन्ध में आने वाले विचार हैं, इनको कार्यरूप में परिणत करना है। जैसा कि मैंने कहा, रेशनलाइजेशन करने के सिलसिले में विचार-विमर्ष हो रहा है शासन स्तर पर और उससे सम्बन्धित लोगों से भी बात-चीत करके। तो इस आश्वासन के बाद फिर मिश्राजी या देव कुमार जी कहते हैं कि इसको वापस ले लिया जाय, तो मेरी समझ में नहीं आता। केवल यही मालूम होता है कि लोगों को खुश करने के लिए कहना है—तो वह अलग बात है। मैं समझता हूं 20 पैसा देने में किसी व्यक्ति को कष्ट भी नहीं होगा। इसीलिए यह कर भी नहीं है एक प्रकार से और जैसा कि मैंने कहा, विकास के कार्यों में चूंकि यह खर्च होगा तो उसमें वह देने वाला भी सहयोगी हो जायगा। इस तरह से एक पन्थ दो काज हो जाते हैं। उस गरीब को भी खलेगा नहीं और सरकार की सहायता भी हो जाएगी।

[श्री मधुकर दिघे]

माननीय रियासत साहब ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, वहाँ और वे क्या कहना चाहेंगे ? यही कहेंगे जो यहाँ कहा है। जो लूपहोल्स उन्होंने बताए हैं उन पर मैं अवश्य विचार करूंगा। मेरा जैसा मन्त्री तो सिनेमा देखता ही नहीं, काँग्रेसी लोग हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ सिनेमा देखते हैं (व्यवधान) (हंसी)

एक सदस्य---

अपने परिवार के साथ या दूसरों के साथ (हंसी)

श्री मधुकर दिघे---

यह बात सही है कि हम लोगों ने टेलीविजन लगा रखे हैं, जो लोग सुविधा सम्पन्न वाले हैं उनके यहाँ टेलीविजन हैं, जो छोटे हैं वे यह नहीं लगा सकते। लेकिन यह जो कदम उठाया है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे गरीब को कष्ट हो। इसलिए आप इसमें हमारी सहायता करें। आशा है रियासत साहब अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री रियासत हुसैन---

यह बिल तो समाज विरोधी है, मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह---

कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, खंड-9, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8 सन् 1937 की धारा 3 का संशोधन

2---संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "अस्सी प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "सौ प्रतिशत" रख दिए जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इस कर को लगाने में और वसूल करने में कितना खर्च आएगा, क्या इस बात को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो खर्च लगता है, वह तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अनुमानित आय जो है वह एक करोड़ रुपए से ज्यादा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय। यह जो संशोधन विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें मुख्यत : तीन चीजें हैं। एक तो मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों को जो सुविधायें प्राप्त हैं, उसमें कतिपय संशोधन इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि जो अभी यात्रा के लिए कूपन मिलता है वह कूपन किलो मीटर में रहते हैं। यह देखा गया है कि किलोमीटर में कूपन देने में उत्तर प्रदेश शासन को काफी ऐसे धन की राशि रेलवे बोर्ड को देनी पड़ती है, जो यदि यह पैसे में तबदील कर दिया जाय तो बचाई जा सकती है। इस दृष्टि से रेलवे बोर्ड से बातचीत हुई और यह स्वीकार किया गया कि किलोमीटर के बदले में जो कूपन दिए जायें वह रुपए पैसे में दिए जायं। तो एक तो इसमें यह संशोधन है।

दूसरा संशोधन यह है कि जो फिलहाल समितियों के सभापति और अध्यक्ष रहते हैं उनके लिए भी वही नियम लागू हैं जो माननीय सदस्यों के लिए कि महीने में वह दो बार आ सकते हैं, दो बार जा सकते हैं। उनको जो टी0 ए0 मिलता है, या जो उनको 15 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है, उसमें कई बार उनके सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अपने कार्य के सिलसिले में उसी समितियों के कार्य के सिलसिले में जब उनको आना पड़ता है तो इस सुविधा से वह वंचित हो जाते हैं। चूंकि यह समितियों के सभापतियों की तरफ से बराबर माँग रही है कि ऐसे कार्यों के लिए जब माननीय सभापति यहाँ (लखनऊ), आवें तो उनको दैनिक भत्ता और वह सुविधा जो दो बार उनको यह समितियों की बैठकों के कारणों से मिलती है वह उनको जब वह (सभापति) समिति के कार्य से आवें, तब मिल सके।

मान्यवर, कभी-कभी माननीय अध्यक्ष तथा सभापति के आदेश से माननीय सदस्यों को कभी-कभी किसी काम से, जो विधान मन्डल से सम्बन्धित रहता है, विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित रहता है, उस सिलसिले में उनको आना पड़ता है।

[श्री मधुकर दिघे]

तब माननीय सदस्यों को जो सुविधा और भत्ता समिति की बैठकों में आने पर या सदन की बैठकों में आने पर मिलता है वह उस समय नहीं मिलता है । तो अब यह प्राविधान कर दिया गया है कि यदि माननीय सभापति या माननीय अध्यक्ष के आदेशों से माननीय सदस्यों को किसी कार्यवश, विधान सभा के कार्यों के सम्बन्ध में अगर वह लखनऊ आते हैं तो उनको दैनिक भत्ता और जो सुविधा दूसरे कामों में प्राप्त है, वह प्राप्त हो सकेगी। यहाँ तो तीन संशोधन मैंने इस विधेयक में रख हैं ताकि अगली जून से जो किलोमीटर में कूपन मिलते है वह पैसों में तबदील हो जायं। इसी प्रकार से दूसरे और जो संशोधनों का जिक्र मैंने किया है, माननीय सदस्यों को जो कठिनाइयाँ हैं, वह थोड़ी बहुत सरल हो जायेंगी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मन्त्री से जानना चाहता हूं ...

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ? माननीय शतरूद्र प्रकाश जी पत्रकार कक्ष में बैठे हैं क्या उन्होंने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

तो मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय विधान सभा के सदस्यों के पेंशन के बारे में जो विधेयक पास हुआ था उसके बारे में वह क्या करने जा रहे हैं इसका उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना एक डेफिनिट स्टैंड प्वाइंट बना देना चाहिए। अगर पेंशन देना स्वीकार है तो उसके लिए नियम बना दें । अगर स्वीकार नहीं है तो उसमें रिपील करने के लिए कोई संशोधन लायें। लेकिन उसके लिए कुछ निश्चित नहीं है। मैं समझता हूं कि जब केन्द्र के अन्दर पेन्शन दे रहे हैं, जब अन्य राज्य पेन्शन दे रहे हैं तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पेन्शन नहीं दे रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हिप्पो क्रेटिक बातें करते हैं। बहुत से माननीय विधायक वकालत छोड़कर आए हैं। डाक्टरी छोडकर आए हैं। 15-15 साल बाद अगर वह वकालत करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं जो 15-15 साल सेवा कर चुके हैं, वह क्या करें, क्या साधन उनके पास है ? कम से कम हमारे दल के अन्दर बहुत से सदस्य ऐसे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय के बाहर जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह जो मैंने कहा, संसदीय कार्य मन्त्री उसके बारे में कुछ बताते तो अच्छा रहता। नम्बर दो, आपने किलोमोटर की जगह पर पैसों को रख दिया। इससे हमको डिफीकल्टी होगी। 15 हजार किलोमीटर उत्तर प्रदेश के बाहर था। हिसाब-किताब रखने में आसानी थी। हम देख लेते थे कि कितने कूपन खर्च हुए हैं और एकाउन्ट देते थे। अब आपने रुपए कर दिए हैं तो इससे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। जो लॉंग डिस्टेंस की ट्रेन है उनमें किराया औसतन कम है और जो शार्ट डिस्टेंस की ट्रेन है उनमें ज्यादा। मैं समझता हूं कि अब हमें ज्यादा असुविधा होगी। जहाँ तक आपने जो दलील दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ बचत होगी तो मैं समझता हूं कि यह दलील गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि किली मीटर के हिसाब से हमसे रेलवे किराया लेती थी। अब आप रुपए पैसे में देंगे तो उसमें दिक्कत होगी। मैं समझता हूं इस डिफीकल्टी को माननीय संसदीय कार्य मंत्री देखने की कृपा करें।

तीसरा प्राविधान इसमें है कि अभी तक था कि रोडवेज की बसों में एक सहवर्ती ले जा सकते थे लेकिन अब संशोधन दिया है तो उसमें इसका जिक्र नहीं है। केवल इतना है कि प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाएगा जिसके आधार पर रोडवेज में बिना टिकट लिए सफर कर सकता है। तो क्या मन्त्री जी सहवर्ती को वापस ले रहे हैं यह बता दें? मन्त्री जी ने कहा है कि नियमों में इसका प्राविधान किया जाएगा। जो ऐक्ट में नहीं है तो उसका नियमों में कैसे प्राविधान किया जाएगा? इसलिए मैं समझता हूं कि नियमों में यदि प्राविधान करेंगे तो वह वैधानिक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दे दें जिससे सन्देह दूर हो सके।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल प्रस्तुत करना इस सरकार का दिवालियापन है। यह कहते हैं कि रोडवेज प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कूपन मूल्य के आधार पर दिए जायं। तो इससे साफ है कि अफसरशाही, जिसको आप लालफीताशाही कहते थे, वह इनके ऊपर हावी है। मैं नहीं समझता हूं कि किलोमीटर रुपयों में हो जाय। इनका कहना है कि हम रुपयों में मजबूत हो जायेंगे। हमारे पास और आपके पास तथा स्टाक में इस तरह की किताबें बहुत पड़ी होंगी। तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा? आपने और मुख्य मन्त्री जी ने इससे पहले वक्तव्य दिया है कि शासन में हम मितव्ययता लायेंगे। तो यह उसके भी विरुद्ध है। आगे लिखा है कि समिति में किसी समिति के सभापति को समिति की बैठक में भाग लेना पड़ेगा तो यात्रियों के लिए ऐसे भत्ते देय होंगे। तमाम कमेटियां हैं इसलिए कितना बित्तीय भार इससे बढ़ जायेगा और आपने मासूम बिल पेश कर दिया और कह दिया कि इसमें सही होने वाले व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। तमाम कमेटियों के सभापतियों को आने जाने का किराया और भत्ता देंगे और कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं इसकी कटु आलोचना करता हूं। और चाहूंगा कि मन्त्री जी इस बिल को वापस ले लें।

एक बात जो नेगी जी ने कही उसमें मुझे भी शंका हुई कि बहुत सी महिला सदस्या हैं, बहुत से अपंग सदस्य हो सकते हैं, कुछ कमजोर और वृद्ध हो सकते हैं तो उनको सहवर्ती की जरूरत पड़ती है। इसलिए मन्त्री जी या तो इस बिल को लाते नहीं या उसका स्पष्टीकरण इसमें करना चाहिए था कि सहवर्ती को ले जा सकते हैं कि नहीं? तो इसका स्पष्टीकरण आप दें।

अब नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम तो इसका पेन्शन लिखा हुआ है (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, पर पेन्शन के बारे में कुछ नहीं है। माननीय दिघे जी इस पर रोशनी डालेंगे। पेन्शन की तो बात ही नहीं है, आप चाहें तो इसे फिर पढ़ लें। पेन्शन के बारे में इसमें कोई शब्द कहीं पर जुड़ा नहीं है। आपकी ओर से एक रूलिंग हो गयी है आप उससे परे जा रहे हैं। पार्लियामेंट में पेन्शन मिल रही है। यह हो सकता है कि पांच साल में नहीं देना चाहिए। आप दस साल कर दीजिए एक लिमिट कर दीजिए। आप जवान आदमी को नहीं देना चाहते तो एज की लिमिट रख दीजिए, 60 वर्ष के आदमी को दी जाय। यह भी आप को देखना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए यह बिल अधूरा है। सोच समझ कर इसको वापस ले लें ताकि पुन: सारी कमियों को पूरा करके इसको आप ला सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन इसे अभी जब मैंने पढ़ा तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि जो प्राविधान इस में किया गया है वह कैसे लागू किया जा सकेगा। इसमें जो (क) (ख) है इस को तो मैं समझ सका हूं कि किलोमीटर में कूपन्स न देकर के पैसों में, रुपयों में कूपन्स दे दिए गये और जितनी यात्रा हम ने की उस का जो किराया हुआ वह उन कूपनों से ले लिया गया। तो यह बात तो हो सकती है। जब एक मरतबा वह पूरे हो गये तो वापस कर दिए। क्योंकि इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जितना हम चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। 15,000 किलोमीटर हमको इसलिए दिए जायेंगे चाहे हम बाहर की यात्रा करें या हमारे परिवार के लोग बाहर की यात्रा करें या अन्दर की करें लेकिन मैं दिघे जी से कहना चाहता हूं कि कृपा कर के मुझे सुने। मेरी समझ में यह बड़ी सीरियस आपत्ति इसमें है....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

सभी को आपत्ति है, सारे सदन को आपत्ति है।

श्री उदित नरायन—

श्रीमन्, मेरी बात सुनें। या तो मुझे ही कुछ भ्रम है या किसी जगह पर गलत हो रहा है। श्रीमन् 15,000 किलोमीटर को पैसों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्रति किलोमीटर के ऊपर जो किराया होता है यदि हम दस किलोमीटर जायं तो रेट दूसरा है प्रति किलोमीटर और पाँच सौ किलोमीटर हम जायं तो उस का रेट दूसरा है। तो श्रीमन्, कितनी धनराशि हम को दी जायगी जिससे कि 15,000 किलोमीटर चला जा सके। अगर पाँच-पाँच किलोमीटर कर के 15,000 किलोमीटर बनिस्पत चलना चाहें तो 15,000 किलोमीटर एक मरतबा चलने के तो उसमें दस गुना ज्यादा खर्च होगा। आप हिसाब लगा लीजिए। आपके टाइम-टेबुल में रेट दिया हुआ है। श्रीमन्, यह 15,000 किलोमीटर को धनराशि में कैसे परिवर्तित किया जायगा। मुझे कुछ भ्रम हुआ है। मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब देंगे तो स्पष्टीकरण दे कर के मेरे भ्रम को दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक आज इस सदन में उपस्थित किया गया है इसस मैं सिद्धान्त त: सहमत नहीं हूं। मेरी मजबूरी यह है चूंकि मैं अनुशासन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर सकता लेकिन मुझे जनता पार्टी द्वारा इस बिल के उपस्थित किए जाने पर बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के नेताओं ने मार्च, 1977 की क्रान्ति की सफलता के बाद दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गाँधी की समाधि पर यह शपथ खाई थी कि हम मितव्ययता तथा सादगी के साथ चलेंगे। वही जनता पार्टी की सरकार यह विधेयक लाए जिससे उनका भत्ता बढ़े तो उसे देख कर बड़ा दुख होता है।

इस विधेयक की मंशा यह है कि जो आनुषंगिक व्यय उनको नहीं मिलता था आने जाने का वह भी इसमें जोड़ दिया गया है और इसके जरिए असेम्बली नहीं चल रही हो और विधायकगण यहाँ आयें तो भी आनुषंगिक व्यय उनको मिलेगा। बहाना हो सकता है मीटिंग बुलाने का? मीटिंग न हो तो समिति के कार्य के बहाने से भी आया जा सकता है। दूसरे यह 15 हजार किलोमीटर प्रदेश से बाहर तफरीह करने के लिए जो दिया जाता है उसका कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली राजधानी है वहाँ जाने का तो कुछ औचित्य हो भी सकता है लेकिन 15 हजार किलोमीटर तफरीह के लिये प्रदेश के बाहर जाने हेतु दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तीसरे कुछ सदस्यों द्वारा पेन्शन का जिक्र किया गया कि विधायकों को पेन्शन दी जाय जो इसमें नहीं है। जो माननीय सदस्य इस सदन के विधायक रहे हैं और उनको जो वेतन मिलता रहा है और अन्य जो उपलब्धियाँ

मिलती रही हैं उसके आधार पर उन्होंने कितनी सम्पत्ति अर्जित की है वह जरूरत से ज्यादा हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसकी 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। हम वोट माँगने जायं गरीबी के नाम पर और यहाँ आ कर हम साहब बन जायं, यह हमारी जहनियत हो जाय, इसे देखकर मुझे दुख होता है। उत्तर प्रदेशका असाधारण गजट फरवरी, 1978 का अगर आप देखेंगे उसमें विरोधी दल के नेता, श्री नारायणदत्त तिवारी का उसमें एकाउन्ट दिया हुआ है बीस साल तक सदस्य रहने पर उनके एकाउन्ट में 76,273 रुपये नकद जमा है और पत्नी का सवा लाख रुपया जमा है। इतना अर्जन करने पर भी पेन्शन माँगी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामदत्त जोशी--

सन् 1952 में सदयों का वेतन 200 रुपए था, 67 में साढ़े 3 सौ और आज 1000 हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, स्टेनोग्राफर इस सचिवालय का जो स्टाफ है क्या उनका वेतन सन् 1952 से 5 गुना हो गया है। फिर सदस्यों का वेतन इतना बढ़ने का क्या औचित्य है और इस बात का भी क्या औचित्य है कि हम अपने ऐशो आराम के साधन बढ़ाते जायं। इसलिए मैं इस बिल से सहमत नहीं हूं विशेषकर जब कि जनता पार्टी की तरफ से इसे पेश किया जाना खेदजनक है।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है। अब आप सब लोग बैठ जायं? बिना अनुमति के कोई बोलेगा तो उसका भाषण नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने पेंशन के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया और माननीय चेतराम जी ने भी उठाया। एक तरफ तो उन्होंने अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए कह दिया कि पैसा न बढ़ाया जाय और दूसरी तरफ पेंशन की मांग कर दी। तो यह कभी-कभी दुविधा हो जाती है, जब दृष्टि साफ न हो। पैसा बचाना है तो पेंशन क्यों और पेंशन की मांग है तो जो थोड़ा बहुत कठिनाई होती थी काम के सिलसिले में, उसका विरोध क्यों? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गयी है। इस माननीय सदन ने एक बिल पहले ही स्वीकार कर लिया है पेंशन के सम्बन्ध में और उसमें नियम बनाकर उसे गजट करने का काम बाकी रह गया है। उसको यहां लाने की जरूरत नहीं थी। इस संशोधन विधेयक में उसे लाने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लाया गया। पेंशन के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है और जब विचार हो जायगा तो नियम बनाकर गजट भी हो जायगा।

दूसरा प्रश्न माननीय नेगी जी ने उठाया है कि जो पहले सुविधाएं थीं इससे उन सुविधाओं को निकाल दिया गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो सुविधा थी जोकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों की उपलब्धियों एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों तथा नियमावलियों के संकलन में दी हुई हैं, ये सुविधाएं उक्त नियमावली के नियम 4(1) और 4(2) में दी हुई हैं उनका हम संशोधन नहीं कर रहे हैं। यह तो संशोधन विधेयक है। इसलिए वह नियम तो लागू रहेगा। उसमें संशोधन नहीं कर रहे हैं।

[श्री मधुकर दिघे]

दूसरा प्रश्न 15 हजार किलोमीटर का उठाया गया है कि इससे जो सुविधा माननीय सदस्यों को मिलती है और जब रुपए-पैसों में यह दिया जायगा तो हिसाब देने में काफी कठिनाई होगी। मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन यह कठिनाई पहले भी थी जब किलोमीटर में हिसाब देना पड़ता था, एक कांप्रिहेंसिव बिल आगे चलकर मैं लाऊंगा। उसमें हम सब सदस्यों की राय लेंगे और कई लोगों से विचार-विमर्श करेंगे। तब हम देखेंगे कि नियमों में क्या संशोधन हो सकते हैं। तब हम इसे कर देंगे। 15 हजार किलोमीटर का जो मामला है उससे शासन को फायदा इस दृष्टि से हो जायेगा कि रेलवे बोर्ड से जो टिकट हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए छोटे डिस्टेंस के लिए जो टिकट होते है उसमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है—किलोमीटर में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब हम टोटल केलकुलेट करेंगे पैसों में तो उससे शासन का ज्यादा पैसा बच सकेगा और इसी पैसे की सुविधा हम माननीय सदस्यों को दे सकेंगे।

माननीय शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब मैं केवल इतना ही देना चाहता हूं कि कूपन आपको जो दिए जायेंगे उसका केलकुलेशन आपको नहीं देना होगा। यह केलकुलेट करके ही हम देंगे ताकि आपको असुविधा कम हो और शासन को जो रेलवे बोर्ड को, कतिपय कारणों से टिकट खरीदते वक्त अधिक पैसा देना पड़ता था वह पैसा बच जाय। यह बात दिमाग में है ?

श्री उदित नरायन —

मुझे यह बताया जाय कि 15 हजार किलोमीटर की एवज में कितना रुपया आप विधायकों को देंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

यह तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन माननीय शर्मा जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो विभाग आपको कूपन देगा वह पूरा केलकुलेट करके देगा। इस समय यह सम्भव नहीं है कि मैं केलकुलेट करके बता दूं।

श्री उदित नरायन—

केलकुलेशन करने की विधि बता दें ?

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मैं मन्त्री जी से एक जानकारी चाहूंगी। आज प्रदेश के अन्दर ही सहयोगी की सुविधा थी और यह कायदा जो बनाया गया वह यह देख कर ही बनाया गया कि महिलाएं समाज में पिछड़ी हैं और उनको बाहर जाने में दिक्कतें होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पिछली सरकार ने नियम लागू किया था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि यहां सदन में आज केवल 10 महिलाएं हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकती हैं। आप तो भाषण देने लग गयीं।

श्रीमती रामरति देवी—

आज केवल 10 महिलाएं हैं जिसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है, जो हमें सुविधा प्रदेश के अन्दर है जब बाहर कमेटियां जायेंगी तो उसमें भी सहयोगी की सुविधा देंगे।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, अभी तक जो सुविधाएं मिलती हैं वह पहले जैसी ही मिलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो सुविधाएं और देनी हैं उसका जिक्र इसमें है। माननीय सदस्यों की ओर से

कुछ और सुविधाओं की अपेक्षा है जिसका जिक्र माननीय नेगी साहब ने किया तो जैसा मैंने कहा जिन्हें नियम में संशोधन करके किया जा सकता है, वह उन्हें नियम में संशोधन करके किया जायेगा और जिन्हें बगैर कानून में तबदील किए नहीं किया जा सकता है। उनके लिए मैंने कहा कि पुनः एक बिल लाकर ठीक करने का काम हम करेंगे। यह कार्य करने के पहले मैं माननीय सदस्यों से, काफी लोगों से विचार-विमर्श करूंगा और राय लेना चाहूंगा। इसलिए अभी फिलहाल चूंकि जून के महीने से तबदीली होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखकर कि उसमें जो असुविधा होगी, उससे राहत मिल जाय हम यह संशोधन लाए हैं। मैं समझता हूं कि सहवर्ती का जो प्राविधान अधिनियम में बना है वह निकाला नहीं गया है। इसलिए सहवर्ती रहेंगे। उससे महिलाओं के लिए भी सुविधा मिलती रहेगी और अन्य सुविधायें भी मिलती रहेंगी जैसा मैंने निवेदन किया कि इस समय अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई स्पष्ट उत्तर मैं नहीं दे सकता। जैसा मैंने कहा माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद वह मैं करूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

यह जो आपने पैसे में कर दिया, क्या सदस्य एयर कंडीशन या एयर से जाने की बात हो, वह सदस्य कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब मिल गया।

श्री मधुकर दिघे—

अगर उन्होंने यह विधेयक पढ़ा होता तो यह भ्रम न होता। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी प्रथम श्रेणी का ही मिलेगा।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश की बसें जिन दूसरे प्रदेशों में जाती हैं उनमें हमें और हमारे सहवर्ती को निःशुल्क जाने की सुविधा प्राप्त होगी ?

श्री मधुकर दिघे—

नहीं। अभी तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर ही है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारी बसें जो दूसरे प्रदेशों में जाती हैं उनमें निःशुल्क जाने की सुविधा रहेगी ?

श्री मधुकर दिघे—

दूसरे प्रदेश के लिए नहीं।

श्री उदित नरायन—

मान्यवर, मैं अपनी बात एक उदाहरण देकर रखना चाहता हूं। अगर मैं हमीरपुर से लखनऊ का फर्स्ट क्लास का टिकट लेता हूं तो 33 रुपया देना पड़ेगा और अगर हमीरपुर से कानपुर और कानपुर से लखनऊ का टिकट लेता हूं तो 43 रुपया देना पड़ेगा। तो यह बतला दें कि 15 हजार किलोमीटर की एवज में इतना रुपया दे दिया जायगा और अगर यह नहीं बतला सकते तो विधि बतला दें कि किस विधि से किया जायगा। मेरी राय में यह असम्भव काम कर रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे—

इस विधेयक में स्पष्ट तरीके से दिया है कि केलकुलेशन किस प्रकार होगा। वैसे सम्पूर्ण विधि क्या होगी इसको नियमों में स्पष्ट कर देंगे।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इसके पृष्ठ 2 पर देखें। लिखा है कि परन्तु यह भी कि जहां खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपए का गुणक हो वहां उसे एक सौ रुपए के निकटतम गुणक को पूर्णांकित किया जायगा। जो चीज मन्त्री जी की समझ में नहीं आ रही है और उसको यहां सदन से पास करा रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे—

वह मैंने बतला दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, उदित नारायण जी ने जो सवाल उठाया है वह बुनियादी सवाल है। माननीय दिघे जी विद्वान जरूर हैं, लेकिन क्या वह सदन में आश्वासन देंगे कि 15 हजार किलोमीटर की दूरी को रुपए में परिवर्तित करने के चक्कर में विधायकों को नुकसान तो नहीं करा देंगे? कहीं यह न हो कि होने गए चौबे और दूबे बनकर चले आए। तो यह आश्वासन देंगे कि इससे नुकसान नहीं होगा?

श्री मधुकर दिघे—

यह तो पहले ही आश्वासन दे दिया है। जो हमारे प्रदेश का पैसा विधायकों के नाम पर दूसरी जगह चला जाता था और रेलवे बोर्ड में चला जाता था वह पैसा रेलवे बोर्ड से बचाकर विधायकों के काम आ जाय, इतनी व्यवस्था करनी है। इसलिए उसमें उनका नुकसान नहीं होने वाला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, दिक्कत यह है कि माननीय वित्त मन्त्री जी भी उसको अभी समझने में असमर्थ हैं। जो सीमा 15,000 कि0मी0 की है उस सीमा के एकाउन्ट्स कैसे रहेंगे, क्योंकि रेट्स जो हैं, अलग-अलग हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत उसमें पड़ेगी। फिर उसको पहली जून से लागू कर सकते हैं और आज 17 मई हो गयी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अभी इस बिल को पास न कराएं—स्थगित रखें, उसमें अन्य लोगों की भी राय ले लें और उसके बाद ठंडे दिल से विचार कर लें।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, अगर अभी विचार नहीं किया गया तो इससे माननीय सदस्यों को बड़ी दिक्कत हो जायगी और 15,000 कि0मी0 को पैसे के रूप में परिवर्तन करने में बड़ी दिक्कत होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, 15,000 किलोमीटर की बंदिश है। इसमें अपने परिवार को लेकर चलेंगे तो इसका क्या औचित्य है?। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 15,000 कि0मी0 की छूट चाहे पैसे के सम्बन्ध में, चाहे कूपन में—क्या वह छूट हमको देंगे कि 15,000 किलोमीटर चाहे परिवार को ले जायं या किसी को ले जायं?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह कभी नहीं चाहेंगे कि जो परिवार के लिए सुविधा मिल रही है उसमें कोई तब्दीली कर दी जाय कि यह छूट दे दी जाय कि चाहे जिसको ले जायं। मैं समझता हूं यह अनुचित होगा और लोगों को हमारे प्रति शंका पैदा करने का कारण हो जायगा। अतः मैंने माननीय सदस्यों को यह तो पहले ही आश्वासन दे दिया है, मैं निवेदन करूंगा कि परिवार के सम्बन्ध में जो विधेयक के सम्बन्ध में बंदिश है उसमें कोई सुधार करने का प्रयत्न या मांग न करें।

एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो मैंने पहली जून कहा था।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले इसके नियम बन जायेंगे और रेलवे बोर्ड से विचार विमर्श के बाद क्या प्रणाली होगी यह बातचीत के बाद तय होगी। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों का नुकसान नहीं होगा यह आश्वासन देता हूं और उस पर कायम रहूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका लिखा नहीं जायगा।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसमें नहीं।

श्री हरी सिंह—

मान्यवर, जो बोलना चाहता है, उसको बोलने दें। जो जिसके विचार हैं कृपा कर उनको सुन लें।

श्री नेम सिंह चौहान —

मान्यवर, यह जो 15,000 किलोमीटर की बंदिश रखी है, इसमें जो रिटर्न में भरना पड़ता है इसकी कोई भी उपादेयता नहीं है। तो माननीय वित्त मन्त्री जी कृपया इसको देख लें और जो स्टेटमेंट देना पड़ता है उसमें कहना है कि माननीय सदस्यों का विश्वास करें और उससे छूट दे दें कि 15,000 किलोमीटर परिवार ले जाय और कोई रिटर्न न देना पड़े।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, नेगी साहब ने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर दे चुका हूं। यदि नियमों का संशोधन करके यह सम्भव होगा तो उसमें कर दिया जायगा। यदि पुनः किसी काम्प्रेहेंसिव विधेयक को लाकर सुधार करने का काम करना होगा तब भी कर दिया जायगा। लेकिन इसके करने के पूर्वमाननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करने के बाद इस बिल को लाना चाहते हैं। अभी तुरन्त की आवश्यकता पूरी करने के लिए विधेयक में संशोधन लाया हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी से कि चूंकि हिसाब-किताब पूरा लग नहीं पा रहा है, विधि पूरी साफ नहीं है, अभी लोगों से राय मशविरा करना होगा, यह स्पष्ट है कि 15 हजार किलोमीटर सीधा चलें और 15 किलोमीटर में दस या पन्द्रह यात्राएं करें तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। मन्त्री जी खुद महसूस कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कोई काम्प्रीहेंसिव विधेयक लायेंगे। मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब वह स्वतः इस बात को महसूस कर रहे हैं और एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाना चाहते हैं, कुछ रूल्स बनाना चाहते हैं, कौन-सी जरूरत है कि इसको तत्काल पास कर दिया जाय? इसलिए मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इससे बहुत ज्यादा बज्रपात नहीं हो जायगा, पहाड़ नहीं गिर जायगा, अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। असेम्बली की छुट्टी रहेगी। नैनीताल में ठंडे में बैठकर ठंडे दिल से नियमावली बन जायगी और हम लोगों का नुकसान बच जायगा। हम लोगों की प्रार्थना है कि वहां ठंडे ठंडे बैठें, वहां विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने यह आश्वासन दे दिया है कि जो सुविधाएं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण को मिलती हैं उनमें कोई भी घाटा नहीं आयगा, कोई कटौती नहीं होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उन्होंने नेकनियती से आश्वासन दिया है, लेकिन आगे जाकर फंस जायेंगे। वह चाहते हैं कि राय लेनी है, मशविरा करना है तो विधेयक को प्रवर समिति में सौंप दें। जब एक-दो महीने के बाद सदन बुलायेंगे तो उस वक्त पास करवा लिया जायगा।

श्री उदित नरायन—

मैंने निवेदन किया है कि गणित के लिहाज से जिस काम को माननीय मन्त्री जी करना चाहते हैं वह असम्भव है, सम्भव से परे है, यह मैंने कहा है। रेलवे के पास जो अरिथमेटिक है और हमने जो पढ़ी है वह एक ही है। उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। रेलवे नई गणित नहीं भेजने वाली है। मेरा आब्जेक्शन यह है। मुझे पहले से मालूम नहीं था। मैंने यहीं देखा। यहीं पर समझ में आया। एक असम्भव नियम बना दे रहे हैं, जो सम्भव नहीं हो सकता है। दो चीजें सम्भव नहीं हो सकतीं। एक तो यह कि जो सुविधाएं माननीय सदस्यों को मिलती थीं, वह कम न हों और किलोमीटर के बजाय रुपये में कूपन का परिवर्तन भी हो जाय। यह सम्भव नहीं हो सकता। यह सम्भव हो सकता है कि सुविधाएं कम हो जायं और वर्क आउट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जिम्मेदारी उनकी है। इसके ऊपर अब बोलने की इजाजत नहीं देता। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्रीमती रामरति देवी—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बहुत बहस हो चुकी है।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं जानना चाहती हूं कि सूबे में. . ..

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका नहीं लिखा जायगा।

श्रीमती रामरति देवी—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी। आप बैठिए।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1), (1-क) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मन्त्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मन्त्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा विहित की जाने वाली रीति और दिनांक से—

(क) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिए जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा;

(ख) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिए जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा, प्रति वर्ष पन्द्रह हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी निम्नलिखित दशाओं में उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है—

(एक) यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ में ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(दो) महिला सदस्य की स्थिति में ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात अपने निवास स्थान की वापसी के लिए की जाय;

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है, ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन होगा, जैसा खण्ड (ख) के अनुसार अवधारित किया जाय :

परन्तु यह भी कि जहां खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपए का गुणक न हो, वहां उसे एक सौ रुपए के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जायगा, अर्थात् एक सौ रुपए का वह भाग जो पचास रुपए से कम हो, उसे छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग की गणना एक सौ रुपया की जायगी ;

(ग) निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायगा जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री-कर का भुगतान किए बिना यात्रा करने का हकदार होगा ।

(2) सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, जो उपधारा (1) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा के लिए धनराशि मूल्य कूपन दिए जायेंगे और वे ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर, की गई यात्रा की दूरी भी है, पन्द्रह हजार किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी ।

स्पष्टीकरण:—उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी ।

(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात्, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कैलेण्डर मास में दो बार केवल बैठक के

स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कैलेण्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिए आनुषंगिक व्यय; और

(घ) पन्द्रह रुपए की दर से दैनिक भत्ता :

परन्तु नेता, विरोधी दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरण:—इस अधिनियम में पद "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे सदस्य से है, जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी। धारा 5 का संशोधन

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

यह बहुत छोटा सा संशोधन है जिसे माननीय मन्त्री जी मान लेंगे। खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक की प्रथम पंक्ति में शब्द 'विहित की जाय' के पश्चात् शब्द 'अपने साथ' बढ़ा दिए जाये। यह शाब्दिक संशोधन है। इसे माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक की प्रथम पंक्ति में शब्द 'विहित की जाय' के पश्चात् शब्द 'अपने साथ' बढ़ा दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नांकित स्पष्टीकरण रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए—

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(दो) पद 'वर्ष' का तात्पर्य बारह मास की कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ होकर आगामी 31 मई को समाप्त हो।

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इनको भी मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं इसका विरोध करता हूं। उपधारा 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी। यह बिल में है। इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा है कि पद 'वर्ष' का तात्पर्य बारह मास की कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ हो कर आगामी 31 मई, को समाप्त हो। अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो जो पहली जून से जो व्यवस्था की गयी है तो 15 हजार किलोमीटर वाली समस्या आ जावेगी और अड़चन पैदा हो जावेगी, लिहाजा अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि 1 जुलाई से उनका इरादा है। नियमों में कर सकते हैं, कब से कब तक जोड़ा जायेगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, पहला तो शाब्दिक है। स्पष्टीकरण में उसको अधिनियम में ले आया हूं।

(कुछ देर रुकने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर साफ नहीं हो रहा है तो फिर नेगी जी से पूछ लीजिए ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अधिनियम के पेज 2 पर स्पष्टीकरण है।

श्री मधुकर दिघे—

यह स्पष्टीकरण एक तो पहले सा है लेकिन 2 सुविधाएं पहली जून से रखना है, इसलिये रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नांकित स्पष्टीकरण रख दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए—

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी।

(दो) पद 'वर्ष' का तात्पर्य बारह मास की कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ होकर आगामी 31 मई को समाप्त हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2, तथा खण्ड 3 खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसाकि संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक है अगर आप पहले वाचन में ब्योरेवार बात करने देते तो तृतीय वा न में इतना न बोलना पड़ता। आपने कमी की, इसलिए प्रश्नों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

झड़ी लग गयी और बात फिर भी स्पष्ट नहीं हो सकी। अभी तक भी वह बात 15,000 किलोमीटर की न माननीय मन्त्री जी के दिमाग में साफ है और न हमारे दिमाग में। अतः मेरा एक सुझाव है कि चूंकि तृतीय वाचन की बात है उस पर विचार कर लेंगे वह। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि माननीय सदस्यों का नुकसान इसमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर सोच लेंगे और दो तीन वर्ष का पड़ता देख लें, किन्हीं सौ आदमियों की या 400 को ले लें, यात्रा कितनी लम्बी होती है। अगर ऐवरेज कर लिया जाय, पड़ता निकाल लेंगे तो अगर 15 हजार किलोमीटर 10 हजार रुपए में आता है, 12 हजार रुपए आता है या 13 हजार में आता है तो उसको अगर उस प्रकार करेंगे तब तो नुक्सान नहीं होगा और अगर विधेयक के अनुसार छोटी-छोटी यात्राओं के रूप में कर दिया, 10–15, 20–25 मील की यात्राओं में परिवर्तित कर दिया तो माननीय सदस्यों का नुकसान होगा। एक तो यह बात कहना चाहता हूं। आगे जब नियम बनाएं और मुझे तो वह धारा नहीं मिली कि कैसे बनायेंगे तो वह बतायें। फिर उन्होंने वादा किया है कि वृहत बिल लायेंगे। वह शायद प्रयास करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि और भी कहीं से प्रयास होगा। यह जो किलोमीटर की बात है भीतर और ऊपर वाली सब बिलकुल हमको निरर्थक सी लगती है। जब हम टिकट लेने जाते हैं और दिखाते हैं कूपन और अब तो पैसे वाला दिखायेंगे, तो अगल-बगल के लोग कमेंट करने लगते हैं कि मुफतखोर लोग आ गए। तो मैं कहता हूं कि वही होना चाहिए जो संसद सदस्यों के लिए प्राविधान है। जैसे माननीय संसद के सदस्यों को एक साथ चलने के लिए पास मिलता है देश भर में जाने के लिए, वैसे ही होना चाहिए। आप कुछ प्रतिबन्ध लगा दें कि उत्तर प्रदेश में पूरा और कुछ प्रतिबन्धों के साथ पूरे देश में लागू होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन शायद आपकी वहां चलती नहीं है, हमें नहीं मालूम कि किस वक्त तक आपकी चलेगी।

एक सदस्य—

आपकी कितनी चली पहले?

श्री श्याम धर मिश्र—

हमारी चली होती तो आप उधर बैठे न होते इस तरह से। हमारी तो नहीं चली। आपकी तो चलनी चाहिए। अगर अबकी नहीं चली तो जैसे हम इधर आ गए तो जल्दी ही जोशी जी उधर चले जायेंगे, एक दम पीछे चले जायेंगे।

श्री राम दत्त जोशी—

जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो थर्ड क्लास से सफर करता हूं, अपनी गाँठ से।

श्री श्यामधर मिश्र—

पेन्शन के बारे में एक बात है, मैं तो उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि एक माननीय सदस्य ने पेन्शन की बात उठा दी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं और बजोर कहना चाहता हूं, बा-अदब कहना चाहता हूं और तोमर जी का जब विधेयक आयेगा तब भी कहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द नियम घोषित करें। पार्लियामेन्ट में भी जनता पार्टी की सरकार है .....

श्री उपाध्यक्ष—

पंडित जी, यह बात आ चुकी है।

श्री श्याम धर मिश्र—

अभी इस पर चर्चा हुई .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मना कर दिया आप इसको छोड़ें।

श्री श्यामधर मिश्र---

अन्तिम बात कह रहा हूं। उस पर भी नियम जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, विलम्ब नहीं होना चाहिए, स्वयं इनके लिए घातक होगा। क्योंकि स्थिति आपने स्वयं देख ली, जैसे कि हम "भूतपूर्व" हो गए 30 वर्ष के बाद, आप तो 30 महीने में "भूतपूर्व" होने वाले हैं।

*श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, एक सेकेन्ड। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि एक बात जो पहले संशय की उत्पन्न हुई उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसमें लिखा है ---

"परन्तु यह भी कि जहाँ खंड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपए का गुणक न हो, वहाँ उसे एक सौ रुपए के निकटतम गुणक न हो, वहाँ उसे एक सौ रुपए के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जायगा, अर्थात् एक सौ रुपए का वह भाग जो पचास रुपये से कम हो, उसे छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग की गणना एक रुपया की जायगी।"

इसका मतलब यह है कि 51 रुपया भी कीमत हो जाती है तो क्या 100 रुपया लेंगे? दिघे जी इसको साफ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको तो जान लेना चाहिए। वह कहते हैं कि 50 से कम होगा उसे छोड़ देंगे और ज्यादा को सौ मान लेंगे।

श्री चेतराम गंगवार---

तो यह कैसे कहते हैं कि सदस्यों का नुकसान नहीं होगा?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977†

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, सन् 1976 में इस अधिनियम को इस सदन ने पारित किया था. और उसका परिणाम यह हुआ था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में, कुछ धाराओं में मात्र उत्तर प्रदेश के लिए संशोधन कर दिया गया था। उनमें से कुछ को निकालने के लिए मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जितने संशोधन किए गए थे, उस समय, उन सबको निकालने के लिए नहीं, यह केवल उनके बारे में है जो मेरी समझ से उस समय आपात्त कालीन स्थिति की वजह के शासन को सहायता देने और जन साधारण के अधिकारों में कमी करने के अभिप्राय से किए गए थे।

श्रीमन्, इस अधिनियम संख्या 16, 1976 के द्वारा धारा 9, 11, 13, 25, 209 और 438 में संशोधन किए गए थे। मैंने केवल धारा 25, 209 और 438 में किए गए संशोधनों को निकालने के लिए प्रस्ताव किया है। अन्य धारायें जनहित में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†12 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

थीं, उनको मैंने वैसे ही रहने दिया है। श्रीमन्, धारा 25 में एक परन्तुक बढ़ाया गया था—"परन्तु इस उपधारा के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजकों पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करने में प्रतिबद्ध करती है।" श्रीमन्, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 जो वास्तव में ऐक्ट नं0 2, 1974 का है, उसमें पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिहाज से कुछ संशोधन किये गये थे और उसका एक महत्वपूर्ण संशोधन यह था कि इसके पहले जो अभियोजक होते थे उनका पूरी तरह से नियन्त्रण पुलिस पर हुआ करता था, परिणाम उसका, यह होता था कि उनको जिस निष्पक्षता के साथ निडर होकर कार्य करना चाहिए था, वह नहीं कर पाते थे। मान्यवर, दण्ड संहिता या यों कहूं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेन्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि राज्य किसी के प्रति कोई विद्वेष की भावना से कार्य नहीं किया करता है। वह तो केवल न्याय दिलाने की गर्ज से कार्य किया करता है अंग्रेजी में श्रीमन्, कहा करते हैं—दि स्टेट प्रासीक्यूट्स एन्ड डज नाट परसीक्यूट। यह श्रीमन् कहने का आशय है, यह तभी सम्भव है, जब राज्य की ओर से जो प्रासीक्यूटर्स हों, वे अपने को आजाद समझें। वे यह समझ सकें कि वे आजादी के साथ में काम कर सकते हैं और उनके लिए यह सम्भव है, यदि पुलिस ने किसी एक अपराधी को अदालत के सामने पेश कर दिया है अपराधी समझ कर और वह यह समझें कि नहीं वह अपराधी नहीं है, तो उनके लिए यह सम्भव हो सके कि वह यह कह सके कि यद्यपि मैं पेश कर रहा हूं, वास्तव में यह अपराधी नहीं है। श्रीमन्, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अभियोजक जो हैं, पूरी तरह से निष्पक्षीय रहें, आजाद रहें और उनके ऊपर किसी प्रकार का भय और आतंक न रहे कि यदि इस मुकदमें में सजा न कराई तो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस मुझसे जवाब तलब कर लेगा। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ इसमें यह कहा गया है कि "... पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करने में प्रतिबद्ध करती है"। मैं, श्रीमन् आप से निवेदन करूं यह शायद समझ में न आये।"

"Provided that nothing in this Sub-Section Shall be constituted to prohibit the State Govt. from exercising its control over Asstt. Public Prosecutor through Police officers."

अब मेरी समझ में चूंकि हिन्दी में उतना अभ्यास नहीं है कदाचित उसमें जो लिखा हुआ है, उससे इतना स्पष्ट न हो सके, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया, जो लोग वकालत करते हैं, जिन मित्रों को दिलचस्पी है वे देखेंगे कि इसके जरिए से राज्य को इजाजत दी थी कि पुलिस के माध्यम से उनको नियन्त्रित करें। श्रीमन्, क्या कभी कोई समझ सकेगा कि जो अभियोजक हैं, उसको तो पुलिस के जरिए से नियन्त्रित नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो सहायक अभियोजक हैं, पुलिस के जरिए से नियन्त्रित किए जायेंगे। यह विभेद किस लिए? अगर आप नियन्त्रण लगाते हैं तो अभियोजक के ऊपर भी लगायें। केवल मात्र सहायक अभियोजक के ऊपर न लगायें। सहायक अभियोजक छोटी अदालतों में काम करते हैं और उनके पास उतना इम्पार्टेन्ट काम नहीं है तो उनको पुलिस के चंगुल में क्यों रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो मैंने विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें केवल इतनी माँग है कि परन्तुक को निकाल दिया जाय और दन्ड प्रक्रिया संहिता जिस प्रकार से अपने मूल रूप में है उसी रूप में बनी रहे। इसको निकाल देने से जो संशोधन किया गया था वह समाप्त हो जायगा और धारा 35 दन्ड प्रक्रिया संहिता अपने मूल रूप में बनी रहती है। दूसरा जो संशोधन मैंने दिया है वह एक दूसरा संशोधन जो 209 में हुआ था उससे सम्बन्धित था। जिसमें कहा गया था कि उक्त संहिता की धारा 209 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 208 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् यथाशीघ्र मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द करेगा।

[श्री उदित नरायन]

(ख) जमानत से सम्बन्धित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खंड (क) के अधीन मामले सुपुर्द करने तक और तत्पश्चात् विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त के अभिरक्षा में प्रेषित करेगा।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से धारा 209 पढ़ रहा हूं। जब पहली रिपोर्ट पर या अन्यथा संचित किसी मामले में अभियुक्त मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यत : सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा।"

इसका आशय यह था. और उसमें एक बहुत अच्छा आदर्श और एक बहुत अच्छा क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का सिद्धान्त निहित है, वह यह है कि कभी भी किसी अपराध में अभियुक्त को जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक दिनों तक जेल में न रहना पड़े और मुकदमें

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भू नाथ पीठासीन हुए।)

के लिए रुकना न पड़े। श्रीमन्, 209 के अन्तर्गत उसका अर्थ यह था कि जैसे ही चार्जशीट दी जायगी। यदि मुकदमा सत्र न्यायालय के द्वारा तैयार होता है तो वह तुरन्त उसको कमिट कर दिया जायगा और यह जो संशोधन किया गया 1976 में ऐक्ट नं0 16 के माध्यम से, उसका अभिप्राय यह हो गया कि चार्जशीट आने के बाद भी यदि अदालत चाहे और यदि सबूत पक्ष चाहे तो उस मुकदमें को कमिटल कोर्ट में चाहे जितने दिन तक बनाए रहें। इसका एक दूरगामी प्रभाव हुआ, इसके बाद जो (ख) दिया गया है उसमें दिया गया है कि "जमानत से सम्बन्धित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड (क) के अधीन मामले को सुपुर्द करने तक और तत्पश्चात् विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रेषित करेगा।"

श्रीमन्, अभियुक्त को जेल में रखने की दो स्टेजेज होती हैं। एक तो वह होता है जिसमें कि चार्ज शीट नहीं आती है। उस समय तक अभियुक्त जेल में दौरान तफतीश रखा जाता है और उसका रिमान्ड पुलिस लाकर करती है और जैसे ही चाज शीट आ जाती है पुलिस उसका रिमान्ड लाती है। लेकिन अदालत को अधिकार होता है कि अपनी ओर से उसको जेल में रखे। यह जो दोनों बातें हैं इसमें अन्तर है। पहले में परिणाम हुआ कि इसी दन्ड प्रक्रिया संहिता में एक और धारा है 167 जिसके अनुसार एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि इस समय के अन्दर इंवेस्टीगेशन पूरा हो जायेगा और यदि नहीं होगा तो मुल्जिम रिहा कर दिया। जब इन चीजों पर देख तो उसके अन्दर एक ही मन्शा देखने को मिलेगी। वह यह कि कभी कोई भी इस बात को कहीं नहीं छोड़ा जाय जिसमें अदालतें या पुलिस किसी अभियुक्त को आवश्यकता से अधिक जेल में रख सके या रखें। इसमें जो जमानत के बारे में लिखा है कि जिनको जमानत देने का ज्योंही उसको जमानत मिलने का अधिकार मिल जाता था वह समाप्त हो गया। अब यह हो गया है कि 60 दिन से ज्यादा हो गए तो आपने कमिट केस को नहीं किया, लेकिन उसकी चार्जशीट ले लिया और जो कमी रहे उसको पूरा करने के लिए उसको समय देते रहें जिसका परिणाम हुआ कि यदि समय के अन्दर आगे रहने वाला संशोधन नहीं किया जाता तो अदालत मजबूर हो जाती है इसलिए या तो उसको सेशन सुपुर्द कर दिया या जमानत पर छोड़ देते। अब यह बात नहीं है। इसलिए जहाँ अभियुक्तों का ताल्लुक है और जहाँ न्याय का सवाल है वहाँ बहुत ही न्यायपूर्ण संशोधन था। आज न्याय और इसमें किसी तरह भी जहाँ न्याय का सम्बन्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आती है।

दूसरा संशोधन जो था वह था धारा 438 का। श्रीमन्, हिन्दुस्तान के न्यायालयों में एक अरसे से इस बात का विवाद चलता था कि किसी भी अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल सकती है कि नहीं ? जिसको सार में कहता हूं कि 'एन्टीसेपेटरी बेल' उसको मिल सकती है कि नहीं। इसमें भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों की भिन्न-भिन्न राय थीं। श्रीमन्, उसको समाप्त करने के लिए जो मित्र दिलचस्पी रखते है उनसे निवेदन करूंगा कि ला कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके पेज 320 और 321 पर देखें धारा 1 में ला-कमीशन ने अपना मत व्यक्त किया है जिसके कारण उन्होंने कहा यदि आवश्यकता हो तो अग्रिम जमानत दी जाय। अभी हाल में अप्रैल में एक सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग आयी है। माननीय कृष्णा अय्यर जो कि विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ही सुन्दर, बहुत ही विषद और दार्शनिक विवेचना जमानत जिसे बेल कहते हैं उसके बारे में किया है ! उसमें यह लिखा है कि वास्तव में किसी भी अभियुक्त को जेल में रखने का एक ही अभिप्राय होता है कि आवश्यकता पड़ने पर तारीखों के ऊपर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। और दूसरा वह भाग न सके। तीसरा किसी प्रकार के जो सबूतपक्ष है उसके गवाहों को तोड़ने का प्रयास न कर सके। यही दो तीन बातें हैं।

यही नहीं उन्होंने संविधान की 19 और 21 अनुच्छेदों का हवाला दे कर कहा है कि जमानत के मसले को जब कोई न्यायालय देखे तो केवल 438 को नहीं देखना चाहिए केवल 436, 437 की दन्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं को नहीं देखना चाहिए बल्कि उन धाराओं को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 और 21 के साथ पढ़ना चाहिए। और साफ मत उन्होंने लिखा है कि जहाँ तक सम्भव हो किसी भी मनुष्य की जब उस के ऊपर मुकदमा चल रहा हो आजादी नहीं छीनी जाय, उस को जमानत पर रखा जाय। इसीलिए उस को दृष्टि में रखते हुए श्रीमन्, यह जो कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं इसमें दो बातें कह रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि आजकल राजनैतिक विद्वेष के कारण और कुछ बड़े आदमी, कुछ सशक्त लोग गरीबों को तंग करने के वास्ते बिलावजह झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगा दिया करते हैं। और इसलिए लगा दिया करते हैं कि यदि कुछ नहीं होगा तो दो महीने, चार महीने तक इन को जेल में रखा जायगा, इससे इन का अपमान होगा इनकी साख गिरेगी और इन को कष्ट होगा। इस को ध्यान में रख कर उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत लेनी चाहिए।

श्रीमन्, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से और माननीय न्याय मन्त्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर गौर से विचार करें, कि ऐसी कोई बात है कि दूसरे प्रान्तों में रहने वाले लोग तो इस सुविधा का लाभ उठाते रहे उनके वास्ते क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 खुली रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए इसे बन्द कर दिया जाय। श्रीमन्, हम और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उसे कब और किन कारणों से बंद किया गया था।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, कृपया कोरम को भी देखा जाय, बिल्कुल अभाव है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री उदित नरायन—

मैं निवेदन कर रहा था कि जिन सुविधाओं से दूसरे प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है उन सुविधाओं से अपने प्रदेश की जनसाधारण को क्यों वंचित किया जाता है। जिन्होंने वंचित किया था उनके इरादों को तथा कारणों को हम जानते हैं और हम उन कारणों तथा इरादों से इस प्रदेश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, यह हमारा दावा है। उस वक्त में किए गए काले कारनामों को क्यों कायम रखा जाय, उनको कायम रखने का क्या

[श्री उद्दित नरायन]

अभिप्राय है ? ला एन्ड आर्डर की बात कही गयी है कि शान्ति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है। आप इस तरह के कानून से शान्ति व्यवस्था के माहौल को नहीं बदल सकते।

इसके खराब होने के दो कारण हैं। जब केन्द्र में निरोधक कानून बन रहा था तो मैंने एक पत्र लिखा था कि यह निरोधक कानून शान्ति व्यवस्था कायम रखने में आपकी मदद नहीं कर सकेगा। जो उसके वास्तविक कारण हैं उनको देखने व समझने का प्रयास किया जाय और जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसे ठीक करने की कोशिश की जाय। शान्ति व्यवस्था खराब होने के जो कारण हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाय। 438 को हटाने और अग्रिम जमानत से लोगों को वंचित करने से शान्ति व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा यह बात उत्तर प्रदेश के लोगों को अखर रही है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को जो सुविधा प्राप्त हो उससे उनको क्यों वंचित किया जा रहा है। इसलिए यह जो मैंने संशोधन विधेयक पेश किया है उसके जरिए यही निवेदन किया है कि सन् 1976 के अन्तर्गत तीन धाराओं के तहत जो ये सुविधायें छीनी गयी थीं उनको समाप्त कर दिया जाय। मैंने कोई नई बात नहीं कही है जिसके बारे में कहीं भी गुंजायश की बात हो। मैंने कहा तो माननीय न्याय मन्त्री ने इन्कार कर दिया। लेकिन मुझे स्मरण है कि न्याय मन्त्री ने पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद यह एलान किया था जिसे मैंने अखबारों में पढ़ा था कि वह बहुत जल्दी अग्रिम जमानत का प्राविधान फिर से करने वाले हैं और कानून में ऐसा संशोधन करने वाले हैं जिसके अन्तर्गत एंटिसिपेटरी बेल फिर से लोगों को दी जा सकेगी। माननीय मन्त्री जी ने मुझसे कहा है कि मैंने नहीं कहा है। बहुत दिनों की बात हो गई. लेकिन मैंने उनसे वायदा किया है कि यदि सम्भव हुआ तो मैं उसे खोजकर जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, जो कि अखबारों में भी छपा था, उन्हें दिखाऊंगा। मान्यवर, उन्होंने कहा हो या न कहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके गुण और दोषों का लिहाज करके उसे आंकना चाहिए और जरूरत के मुताबिक फैसला करना चाहिए। जैसा कि मैंने निवेदन किया यह जो विधेयक में आपके सामने लाया हूं, यह सब के हित का है निर्विवाद है, विवाद रहित है इसलिए इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय किए जाने के अभिप्राय से मैंने इसको प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इसको पारित करेगा।

*श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहाँ तक अदालतों में बेल का सवाल है, यह माना हुआ सिद्धान्त है कि जमानत देना एक राइट है और उसको खारिज करना एक एक्सेप्शन हुआ करता है। जैसा कि शर्मा जी ने ला कमीशन की बात कही, हर आफेन्स में बेल होनी चाहिये—केवल 1, 2 कन्डीशन्स रहती हैं। अदालत के समक्ष वह अपने को प्रस्तुत कर सके। मैं समझता हूं सन् 1976 में सबसे पहले अग्रिम बेल का प्राविजन किया गया था। 1975-76 में भी वह जारी रहा। हमने देखा कि जब इमरजेन्सी का समय था उस समय लाखों कार्यकर्ता जेल भेज दिए गए थे और अदालत ने एक विशेष विचार बना रखा था कि ये जो केसेज लाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, यह गलत तरीके से हो रही हैं। अदालतों ने देखा कि झूठे आरोप हैं। हाईकोर्ट ने और विशेष रूप से हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एन्टीसिपेटरी बेल लोगों को देना बहुत तेजी से आरम्भ कर दिया था। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस का क्या हाल है, क्या परिस्थितियाँ हैं। पुलिस किस तरह से अच्छे से अच्छे आदमी को जेल में डाल सकती है चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कितनी ही ऊंची क्यों न हो, इमरजेन्सी में 36, 43 डी0 आई0 आर0 लगायी जाती थी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि कुछ जेलों में विशेषकर 3/4 जेलों में 121 लगायी जाती थी जिसका इंडियन पीनल कोड और सिडीशन से ताल्लुक था। हमने देखा कि 41/36 में सेशन जज के यहाँ से जमानत हो जाया करती थी लेकिन 121 में हाई कोर्ट हमको जाना पड़ता था। यह समाप्त क्यों किया गया ? काँग्रेस सरकार ने देखा कि ऐंटिसिपेटरी बेल अदालतों द्वारा दिया जा रहा है, उसको समाप्त कर दिया गया जब कि दूसरे प्रदेशों में यह पूरी तरह से चालू है और हमारे प्रदेश में नहीं है।

हमारे न्याय मन्त्री को मालूम होगा कि हमारे जिलों के बार एशोसिएशन्स ने प्रस्ताव भी भेजा है और बहुत पहले वह भेज दिए थे कि इसको रिवाइज करना चाहिए, इसका रिवाइवल होना चाहिए, इसका रेस्टोर होना चाहिए, जो न्यायोचित है। मैं समझता हूं कि इसमें अन्याय और शोषण हो रहा है। आज हम कचहरियों में देखते हैं कि पुलिस बहुत से लोगों को इस तरह से फंसा देती है कि कोई जुर्म न भी हो, एक दफा लगा देती है और लोगों को जेल जाना पड़ता है। इस एन्टीसिपेटरी बेल का उद्देश्य यह था कि एफ0 आई0 आर0 के अनुसार अपराधी बनता है या नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन माननीय शर्मा जी द्वारा लाया जा रहा है वह बहुत उचित है और हमारे प्रदेश के हित में है। जब दूसरे प्रदेशों में ऐंटीसिपेटरी बेल लागू है तो यहाँ भी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज के साथ अन्याय करना होगा। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखा है और अन्य सूबों में भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था है, लेकिन अपना सूबा इससे वंचित है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसका हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमन्, वह दिन हमें याद है जब आपातकाल की नंगी तलवार इस देश के लोगों की गर्दन पर लटक रही थी। माननीय न्याय मन्त्री के पद पर श्री प्रभुनारायण सिंह विद्यमान थे और श्री नारायण दत्त तिवारी उस समय मुख्य मन्त्री थे और विरोध पक्ष में हम दो आदमी बैठे थे। उस दिन भी मैंने जो वह संशोधन कर रहे थे उसका विरोध किया था।

इसके मूल में एक बात है, यों तो मैं नहीं मानता हूं कि पुलिस विभाग का हर व्यक्ति निर्दयी होता है, किन्तु दुर्भाग्य से उन आरक्षियों के बीच कुछ नरभक्षी भी होते हैं, जिनके बारे में एक कवि ने कहा है —

चिड़ियाघर का अजनबी जंतु जलचर है या पशुपक्षी है,
तक्षकसह घोर विषैला है निर्दय, नृसिंह नरभक्षी है,
दुर्धर्ष दुराचारी दानव जो दुराध्यतुलक्ष्यी है,
अपशब्दों का भंडार विपुल वह भारत का आरक्षी है।

कुछ ऐसे भी आरक्षी होते हैं जो ऐसे अवाध अधिकार देकर उसका वह दुरुपयोग करते हैं। उसको सीमित करना आवश्यक है ताकि लोगों को न्याय प्राप्त हो। आपात काल के दौरान जो एक बड़ी वीभत्स बात देखने को मिली वह इससे आई। दन्ड प्रक्रिया में संशोधन पर अग्रिम जमानत को समाप्त कर दिया।

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।)

कुछ लोगों को इससे राहत हुई हो। लेकिन इस सदन में ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं जैसे गोरखनाथ के मंहत अभय नाथ हैं, जिनको आपातकाल में अपने चंगुल में लेना चाहते थे इन लोगों ने अपना बचाव किया। श्रीमन् मैं, इसके लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं और माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब एमेन्ड हो रहा था तो मैं उस कमेटी का सदस्य था और करीब दो ढाई वर्ष तक हिन्दुस्तान का दौरा करने के बाद, बार और बेंचों से गवाहियां लेने के बाद समझबूझ कर इसम बहुत सारे एमेंडमेंट किए गए। मैं यह मानता हूं कि कोई भी ला परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें कोशिश की गई थी कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन लाया जाय और साथ ही साथ ला कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट का विशेष ध्यान दिया गया।

श्रीमन्, शर्मा जी ने तीन बातों की तरफ ध्यान खींचा है। पहली बात तो धारा 25 में ए0 पी0 पी0 को पुलिस के चंगुल से मुक्त करने की बात है। कमेटी के सामने पुलिस की तरफ से जब गवाही आयी थी तो उनका एक मात्र यह कहना था कि जब डिफेन्स साइड से कोई आदमी अपने मन का वकील कर सकता है तो प्रासीक्यूशन साइड से भी अपने मन से वकील किया जा सकता है। यह बात सिद्धान्तः सही है। लेकिन डिफेन्स साइड का जो वकील होता है वह डिफेन्ड करने के लिए आता है और यह नहीं होता है कि वह जुर्म कैसे बनेगा, उसमें उसकी अपनी राय नहीं होती। लेकिन आज उन ए0 पी0 पीज0 की हालत यह है कि जबरदस्ती उनसे कहा जाता है कि इस तरह की चार्ज-शीट है और इसको इस तरह से सम्मिट करना है और डी0 वाई0 एस0 पी0 जो इन्चार्ज होता है वह आदेश देता है कि इसको सीधे-सीधे भेजो, हालाँकि उसकी राय होती है कि यह मुकदमा खारिज हो जायगा। आपको ताज्जुब होगा कि पुलिस द्वारा चलाए गए कैसेज 86 परसेंट एक्विटल होते हैं। उसका कारण यह है कि मुकदमा तोड़ा-मरोड़ा जाता है। जो पैरवी करता है उसकी राय के खिलाफ जबरन करना पड़ता है। इससे 86 परसेन्ट एक्विटल होता है और शासन का काफी खर्चा होता है। इसलिए सीधे-सीधे सुझाव था कि इनको हाई कोर्ट के तहत किया जाय ताकि न्याय मिल सके। यह बात सही है है कि हजार दोषी भले ही छूट जायं, लेकिन एक निर्दोष जो है वह न फंसे, यह जस्टिस की मान्यता है लेकिन यहाँ उल्टा है जिसके कारण कोर्ट में जाते-जाते 86 परसेन्ट एक्विटल हो जाता है। दूसरी बात एक्विटल की कही गयी।

जनता पार्टी के सदस्य जो एम0 एल0 ए0 हैं वह ज्यादा बेहतर समझते हैं कि डी0 आई0 आर0 में उनकी क्या दुर्गत हुई थी। मैं विशेष नहीं कहना चाहता केवल इंगित करना चाहता हूं कि इस देश में आपातकाल स्थिति की अब शायद पुनरावृत्ति न होगी। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तीसरी बात धारा 438 की है। अधिष्ठाता महोदय, इस पर पुलिस की तरफ से बड़ा रिजेन्टमेंट था। इसमें एन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन किया गया था। हमारे मन्त्री सौभाग्य से एल0 एल0 एम0 हैं और ला में लेक्चरार भी रहे हैं और इसकी कम्प्लीकेसी को वह अच्छी तरह से समझते हैं। यह काँग्रेस के जमाने में हुआ था तो और जो भी राज्यों में सुधार किया जा सकता था। यही क्यों किया गया तो उन विशेष परिस्थितियों को नारायण दत्त जी अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूं कि अब वह बात नहीं है। चूंकि सारे देश में लागू है और इसका दूसरे लोग फायदा पा रहे हैं और ला कमीशन की एडवाइस भी है और उसके तहत में यह एमेन्डमेंट बहुत सोच समझकर किया गया था तो ऐसी हालत में ला मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि आज आवश्यकता है इस पर विचार करने की। इफ एन्ड बट लगाकर दलील देना चाहें तो वह बात अलग है, लेकिन सीधे तौर पर यह है कि किसी भी इन्नोसेन्ट आदमी को जेल में रखने के पहले उसको अवसर दिया जाना चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह अदालत में न्याय पा सके और यह जो टेम्पोरेरी है। ऐसी बात नहीं कि जुर्म करने के बाद जेल नहीं जायेंगे। लेकिन उसको जबरदस्ती न करने पावें, उसका हैरसमेंट न होने पावे, इसके लिए बेल का प्राविधान किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं न्याय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि हर पहलू को देखकर. जो आपने प्रस्ताव रखा है, उसको पारित करें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय शर्मा जी ने जो संशोधन रखा है, वह अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आदर्श के पीछे हम यथार्थ को कहीं भूल न जायं। श्रीमन्, 25 में आपका संशोधन है कि जो सहायक अभियोजक हैं, वे पुलिस या जिलाधिकारी के नियन्त्रण से मुक्त रहें। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि मैं भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का बड़ा हामी रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व न्यायपालिका को स्वतन्त्र किया गया और जितने जुडीशियल आफिसर्स थे, उनको सरकार के नियन्त्रण से मुक्त किया गया और वे हाई कोर्ट के नियन्त्रण में आए। मान्यवर, जब से ये जुडीशियल आफिसर्स हाई कोर्ट के नियन्त्रण में आये, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जहाँ मुन्सिफी तथा जजी में कोई घूस का नाम नहीं जानता था, आज होड़ लग गयी है कि कौन घूस अधिक लेता है। पहले कभी जजेज के बारे में शिकायत नहीं होती थी कि वे घूस लेते हैं, लेकिन आज कोई ही जज होगा, जो घूस न लेता हो। श्रीमन्, अगर अभियोजकों को स्वतन्त्र कर दिया जाएगा, तो फिर वे मुकदमें की पैरवी नहीं करेंगे। फिर अभियुक्तों से सौदेबाजी होगी, अभियुक्तों के वकील से सौदेबाजी होगी। इतनी स्वतन्त्रता दे देंगे तो कोई नियन्त्रण नहीं होगा। जब अंकुश है तब तो परवाह करते नहीं। किस प्रकार भ्रष्टाचार है, यह कल्पना नहीं कर सकते।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

जहाँ तक अग्रिम जमानत की चर्चा का सवाल है, एन्टीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट करती है। गरीब हाई कोर्ट पहुंचेगा नहीं। हाई कोर्ट को अधिकार है। किसी सेशन ने नहीं किया। जवाब दिया कि हाई कोर्ट जाय। लोवर कोर्ट तो करती नहीं। मान्यवर, जितने बड़े लोग हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, जो गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, वे तो पैसे के बल पर अग्रिम जमानत कराते जायेंगे। गरीब आदमी अपराध कम करता है। अपराध तो सामंती और धनी लोग करते हैं और जमानत कराते जाते हैं।

श्रीमन्, आपने कहा कि न्यायालय को 60 दिन के अन्दर 209 में चार्जशीट आएगी। नीचे की अदालत जो है वह जमानत कर दे। रिहा नहीं करती। वह केवल जमानत पाने का अधिकारी होता है। अगर जमानत की दरख्वास्त देता है तो उसे न्यायालय में जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। श्रीमन्, यह जो आपने कहा कि सीधे नीचे की अदालत में आयेंगे। पहले व्यवस्था नहीं थी। हाई कोर्ट के सुपुर्द हो जाता था। इससे जहाँ लाभ अन्य लोगों को मिलता है कि अगर निम्न अदालत में गवाह न आए तो फिर उस मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह सेशन सुपुर्द ही नहीं करेगा। इसलिए इस व्यवस्था से भी लाभ है। दिक्कतें दोनों तरफ हैं। अराजकता की स्थिति बढ़ती जा रही है, लूट खसोट बढ़ती जा रही है, राह चलना मुश्किल हो रहा है, स्त्रियों की इज्जत उतरती जा रही है, डकैती, कत्ल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभियुक्तों को इस प्रकार छूट देने की मंशा रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्वच्छंदता से समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। आज जनता अराजक तत्वों से ऊब चुकी है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो यह व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना चाहिए जिससे गुन्डे बदमाश और अभियुक्तों को कानून की शरण न मिले। इस तरह के लोग अदालतों से कहीं लाभ न उठा पाएं, इसलिए यह व्यवस्था हमें उपयुक्त लगती है। यदि शर्मा जी यह संशोधन आपातकाल में लाए होते तो सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन कर दिया होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी, माइक पर बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अगर शर्मा जी ने यह संशोधन दिया होता आपातकाल के दौरान, किसी भी पुलिस सिपाही या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहे तो बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता था। यह व्यवस्था थी। राजपत्रित अधिकारी से लेकर चौकीदार तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी स्वेच्छाचारी हो गया है। पुलिस ने कानपुर और पन्तनगर में जो काँड किया वह जलियावाला बाग की याद दिला रहा है। उसमें संशोधन करना अनिवार्य था। इस प्रकार का संशोधन करने के लिए मैंने इस विधान सभा में प्रश्न किया था। लेकिन न्याय मन्त्री जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इसके माध्यम से यह व्यवस्था रखें। लेकिन पुलिस को नियन्त्रित रखने के लिए जहाँ पर इस प्रकार का संशोधन अनिवार्य है, उसको आप जरूर रखें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। इस पर जो संशोधन माननीय उदित नारायण जी लाए हैं। दन्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक पर मुझे केवल यह बात कहनी है कि जो कोर्ट में असमानता की बात विशेष रूप से कही जा रही है इसके तो पहलू हैं यह आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस ओर बड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। किस तरह से सतर्कता बरती जाय उसमें नियम, उपनियम और धारा में क्या रखा जाय इस पर भी सरकार विचार कर ले। मेरा छोटा विचार यह है कि जहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, वहां हमने देखा कि इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, यह भी सही है। लेकिन यह भी सही है कि इसका उचित उपयोग करना है। क्यों नहीं कर पाते हैं? आज भले लोगों की जिनकी पहुंच किसी खास अदालत में नहीं है, मैं किसी अदालत की मान-हानि के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनका पिछला इतिहास स्वच्छ है और कहीं फंस जाते हैं, तो दलाल लोग कचहरियों में लग जाते हैं। बिना दलाल के लोगों की जमानत नहीं होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अग्रिम जमानत उन लोगों की होनी चाहिए जो साधारण दफाओं में और ऐसी दफा में फंस जाते हैं जिसमें उन्हें पहले सजा न हुई हो और साधारण नियमों में अगर अपराधी पाए जाते हैं तो उनका ट्रायल हो और उनकी अग्रिम जमानत हो, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी जो सुझाव देंगे कि उनका क्या होगा जो आजकल अराजकता फैला रहे हैं, हर इलाके में। मैं समझता हूं कि मेरे इलाके से उनके इलाके में ज्यादा अराजकता है। ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा और 10-10 और 20-20 बार डकैती डाल चुके हैं। पैसे के कारण लोगों का कत्ल कर रहे हैं। अगर उन लोगों को भी इसका फायदा मिल जाएगा तो बड़ा भारी दुरुपयोग होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि सरकार स्वयं इस पर विचार करे कि जमानत ऐसे लोगों की हो जो सचमुच एक बार या दो बार ऐसे जुर्म में फंसे हैं, लेकिन ऐसे गुन्डे और बदमाश जो एक बार नहीं उनकी आदत पड़ गयी है, ट्रेने लूट ली जाती हैं, बहू बेटियों को लूटते हैं ऐसे लोगों को अग्रिम जमानत देने से तो हमारी मौत हो जाएगी और मैं समझता हूं कि इस अग्रिम जमानत का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक रूल न बना दीजिए कि सबकी जमानत होगी। अदालत पर बन्धन लगा दीजिए। यहाँ पर मैं यह कह सकता हूं कि आज अदालतें हैं और तरह-तरह की अदालतें हैं। अदालतों में ऐजेन्ट लोग हैं और वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है और तरह तरह का भ्रष्टाचार है। पहुंच से भी तरह-तरह की बातें होती हैं। मैं कहता हूं कि जो भले लोग हैं उनको जरूर छोड़ दीजिए, लेकिन जो बराबर गुनहगार हैं उनको कदापि जमानत न दी जाए और ऐसा प्राविधान कानून में होना चाहिए और मैं कहूंगा माननीय कानून मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी इसको देखें। मैं समझता हूं कि शर्मा जी ने विचार किया होगा। वह एक अच्छे वकील हैं, वह मुझे सन्तुष्ट करेंगे।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय श्यामधर मिश्र ने जो प्रश्न उपस्थित किया, तो यह बात सही है कि इसमें दुरुपयोग होगा । श्यामधर जी ने जो शंका उठायी, वह सही है। तीन बातें हैं। एन्टीसिपेटरी बेल की जो व्यवस्था है उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ऐन्टीसिपेटरी बेल उन लोगों के लिए होगी जो साधन युक्त होंगे जैसे मोदी हैं, इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं कानपुर के, ये लोग इकोनामिक आफेन्सेज करते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं। तो ये अपने प्रभाव से न्यायालय में एन्टीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। अपराधी जो चोरी और डकैती के होते हैं, वे तो नामजद होते हैं. उनको यह सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरी प्रार्थना है कि जब हम इस प्रोविजन को खत्म करें तो जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं वे इसका फायदा न उठा पायें। इसका सबसे बड़ा लाभ तो हमारे माननीय श्यामधर मिश्र जी को होगा। अगर हमारी सरकार उनको किसी भी मामले में फांसना चाहे, किसी ऐसे अपराध में जो उन्होंने नहीं किया है तो एन्टीसिपेटरी बेल का उनको अधिकार देता है। हमारी सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 में जो प्रोविजन रखा गया है, उसका एक ही मकसद है कि शासन या प्रोसिक्यूटिंग मैशिनरी को यह अधिकार न हो कि वह प्रतिशोध की भावना से उसको जेल भेज सके। जिसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। चोर और डकैतों को इससे संरक्षण नहीं मिलता है । इससे एक तो संरक्षण मिलता है राजनैतिक विरोधियों को जिनको प्रतिशोध की भावना से फंसाया जाता है और दूसरे उनको जो एकोनोमिक ओफेन्सेज करते हैं, लेकिन इस सदन के सभी लोगों को, जो इधर और उधर बैठते हैं, यह ध्यान रखना होगा कि इसक लाभ वे लोग न उठा सकें जो लोग साधन युक्त हैं। लेकिन जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं, उनको तो यह अधिकार रहना ही चाहिए कि जब उन्हें आशंका हो कि उनको किसी मामले में फंसाया जा रहा है, बिना किसी अपराध किए, तो उनको एन्टीसिपेटरी बेल का संरक्षण होगा।

यह भी हर न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है कि जो इन्वेस्टीगेटिंग मैशिनरी हो, वही मशीनरी प्रोसिक्यूटिंग भी हो। मान लीजिए कि इन्वेस्टीगेशन कोई दरोगा करता है, वह उसी एस0 पी0 के अन्डर काम करता है जो उसका हेड होता है, जो अनुसन्धान की प्रक्रिया है, एस0 पी0 के जरिए एक अभियोगी पर न्यायालय में मुकदमा चलता है तो उनको सबूत देने का अधिकार है वह अधिकार इन्वेल्टीगेटिंग अधिकारी को नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत, एक्जीक्यूटिव के अन्तर्गत वह रहे, एस0 पी0 के अन्तर्गत न रहे। ए0 पी0 सी0 अगर उनके मातहत रहेगा तो जो चार्जशीट मिल कर दी जाती है, उसमें यह अधिकार नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है इन संशोधनों को स्वीकार किया जायगा यह न्याय को स्थापित करने और उन गुनाहों को मिटाने के लिए है जो इसके पहली वाली सरकार ने किए हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछले 30 वर्षों में पुलिस की जिस तरह की वर्किंग रही है उसी को ध्यान में रखकर, बार की बेंच और जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं को मद्दे नजर रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस संशोधन के द्वारा एन्टीसिपेटरी बेल का प्रोविजन किया गया है। इस प्रोविजन का अन्त तब किया गया था जब इन्साफ का गला घोंटने के लिए न्यायालय के अधिकार पर कुठाराघात करने का एह-सास किया गया, उस समय की सरकार ने जब अपनी राजनीतिक सत्ता और निरंकुशता को कायम करने के लिए, उस समय के सत्तारूढ़ दल ने यह देखा कि अगर हम गलत लोगों को प्रोसिक्यूट करते हैं तो ये लोग एन्टीसिपेटरी बेल न्यायालय की शरण में जाकर स्वीकृत

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

करा लेते हैं। उस समय की सरकार ने चला रखा था जेल भरने का जिसका उद्देश्य था अपने विरोधियों को मात देना उनको आन्तकित करना, कुचलना। उसके लिए उन्होंने जरूरी समझा कि ऐंटीसिपेटरी बेल का प्रावीजन जो लोगों को अन्याय से बचाने के लिए, पुलिस दमन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था उसको रद्द किया जाय और इसीलिए ऐंटीसिपेटरी बेल के प्रावीजन को उस समय की सरकार ने रद्द किया था। इसलिए मान्यवर, उस भावना को देखना पड़ेगा जिसको लागू करने के लिए जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस समय के शासन ने इस ऐंटीसिपेटरी बेल के प्रावीजन को रद्द किया था। वह नापाक इरादा था। आज जबकि हम जुडीशियरी की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं, आज जबकि हम चाहते हैं कि इस देश में कानून का शासन होगा और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के पुलिस दमन का शिकार नहीं होगा। ऐसी हालात में हमारी समझ में नहीं आया कि कुछ मित्र ऐंटीसिपेटरी बेल का विरोध कर रहे हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इन्साफ का तकाजा है। जो जनता को आश्वासन दिए हैं कि बिला वजह किसी प्रकार का दमन चक्र नहीं चलाया जायगा, राजनीतिक विरोध की वजह से सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को कटघरे के हवाले नहीं किया जायगा, उनको पूरा करने के लिए आवश्यक है कि माननीय शर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है उसे हम सर्वसम्मति से, एक स्वर से पारित करे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री उदित नरायन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शर्मा जी,

पहले मन्त्री जी बोलेंगे।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, माननीय शर्मा जी इस सदन के केवल वरिष्ठ सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के वरिष्ठ बकीलों में भी उनका स्थान है। माननीय श्री शर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश, 1976 के अधिनियम संख्या 16 में संशोधन करने के लिए पेश किया है जो कि इस सेन्ट्रल ऐक्ट, सी0आर0पी0सी0 के संशोधन के लिए लाया गया था और उसी संशोधन विधेयक में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव है। मान्यवर, इस सेन्ट्रल के संशोधन के. . .

(इस समय 4 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लिए यह प्रक्रिया है कि उसके लिए अलग से विधेयक लाना पड़ता है। उस प्रादेशिक विधेयक के द्वारा जो संशोधन किया गया उतने कार्य के बाद वह संशोधन विधेयक वह अधिनियम बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। अतः यह विधेयक जो उसी विधेयक में संशोधन के लिए लाया गया है, उस विधेयक को चाहे निरस्त कर दीजिए या संस्तुत कर दीजिए, इस विधेयक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस संशोधन को आज चाहे पास कर लें चाहे रिजेक्ट कर दें इस कोड सी0आर0पी0सी0 में जैसाकि उनकी मंशा है संशोधित करने की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें अगर परिवर्तन करना है कोड में तो नया संशोधन विधेयक लाना चाहिए। जिस संशोधन विधेयक के द्वारा सी0आर0 पी0सी0 का संशोधन हो चुका है उसमें संशोधन करने से कोई मंशा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जिसको शर्मा जी पेश कर रहे हैं उसे चाहे स्वीकार कर लें या अस्वीकृत कर दें, सी0आर0पी0सी0 पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है। यह एक बहुत बड़ा लीगल पला है। इस पला के कारण यह संशोधन विधेयक ही बेकार हो जाता है।

लोगों ने अपनी मंशा प्रकट किया है, उसी प्वाइंट पर अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, यह सही है और जिस मंशा से जन भावनाओं और जन-आकांक्षाओं को लेकर यह सरकार

बनी है उसमें स्वतन्त्र न्यायपालिका और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, यह प्रत्येक के मन में है और हर एक इसको कार्यान्वित करना चाहता है अपने व्यवहार से, वाणी से, कर्म से।

जहां तक पहले संशोधन का प्रश्न है कि सहायक लोक अभियोजक स्वतन्त्र हों, इसके लिए और इस पूरे सी0आर0पी0सी0 को व्यवहारिक तथा सरल बनाने के लिए एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बिठाई गयी है जो इस सब पर विचार कर रही है। सभी विचारों के पक्षों के प्रतिनिधि उस कमेटी में हैं। सब को सुनने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। उसने इसमें करीब 85 प्राविजनों में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए हैं कि जो केन्द्रीय सरकार को भेजे जा चुके हैं। बिना केन्द्रीय सरकार की सहमति के हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए इस हाई पावर कमेटी के सामने इन सहायक अभियोजकों का मामला भी विचाराधीन है।

दूसरा संशोधन धारा 209 में रखने का है। हाई कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है उसके फलस्वरूप यह रखा है। तीसरा एन्टीसीपेटरी बेल, अर्थात् अग्रिम जमानत वाला है। यह प्रश्न इस सदन में मान्यवर, कई बार उठ चुका है। अग्रिम जमानत का जो प्राविधान किया गया था यह भी सही है कि उसको 1975 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन उस समय जब समाप्त किया गया था तो उसकी मंशा दूसरी थी। वह मंशा केवल यह थी कि राजनैतिक दृष्टि से बिना अपराध के जो बन्दी बनाये गए थे उन्हें अग्रिम जमानत न मिलने पाये। इससे सभी सहमत होंगे कि न्याय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध न किया हो, दण्डित न कर सकें, ऐसा होना चाहिए। बिना अपराध के कोई व्यक्ति दंडित न हो जाय, न्याय ऐसा होना चाहिए। तोमर जी ने बताया कि इसका लाभ उन्हीं लोगों ने उठाया जोकि सामाजिक अपराध करते थे और सामाजिक हितों का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके, लाभ भी लेते थे। तो ऐंटीसिपेटरी बेल का जहां यह भी भाव था कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध न किए हो, किसी कारण से पुलिस के गिरफ्त में आ जाय, बदनाम न होने पाए, इसलिए ऐंटीसिपेटरी बेल का प्रावीजन उसके हित में जहां जाता है, वहीं न्यायालय के समक्ष ऐसे अपराधी जो समाज में गम्भीर अपराध करते हैं, समाज की व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं, वे ऐंटीसिपेटरी बेल का लाभ उठाते हैं। तो जहां शान्त लोगों को लाभ मिले, वहीं ऐसे लोगों ने भी लाभ उठाया, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। कानून निश्चित रूप से ऐसा हो जोकि अपराधियों को किसी प्रकार का संरक्षण न दे पाए और निरअपराधियों को किसी प्रकार का दण्ड न मिल पाए। इसी बात को विचार में रख कर इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को लिखा गया, विचार-विमर्श उनसे किया गया, उनको इस भावना से अवगत कराया गया, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कोई कदम हम नहीं उठा सकते, जब तक कि हमको केन्द्रीय सरकार की सहमति न प्राप्त हो जाय। उस पर हमें केन्द्रीय सरकार की सहमति या असहमति नहीं प्राप्त हुई। जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य शर्मा जी कह रहे हैं, मैंने इस हाउस में भी कहा था कि शासन की नीति है कि कोई अपराधी ऐंटीसिपेटरी बेल का लाभ उठा कर बच न सके और कोई भी सम्भ्रांत व्यक्ति दुश्मनी के कारण दंडित न होने पाए। इन दोनों चीजों को दृष्टिगत करते हुए केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श शुरू किया गया था। वह इस शासन का जो विचार है, जो पत्रक है, जो आप चाहते हैं, वह केन्द्रीय सरकार के पास है, उस पर अभी कोई कमेन्ट प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उस पर भी निर्णय हम कर पाने में असमर्थ हैं।

इसके साथ ही मान्यवर, जैसा कि हमने बताया कि सी0आर0पी0सी0 को व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से सभी वकीलों की, अधिवक्ताओं की, बार एसोसिएशन की, डिस्ट्रिक्ट जज की राय लेने के बाद ही, 85 धाराओं का ड्राफ्ट उनको भेजा गया है और मैं समझता हूं कि उस संशोधन के हो जाने के बाद यह कानून काफी व्यावहारिक हो जायगा, तभी आकांक्षाएं पूरी होंगी। इस अवसर पर मैं कह देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही आवश्यक बात प्रतीत होती है, समाज को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

आज न्यायालय में जाने वाले लोगों का कुछ दृष्टिकोण अधिकाधिक नियमों का दुरुपयोग करने का होता जा रहा है। कानून में एक्सेप्शनल क्लाज जोड़े जाते हैं कि व्यक्ति को अपवाद परिस्थितियों में भी न्याय मिल सके। लेकिन आज सब जानते हैं कि आज इस समाज की प्रवृत्ति यह हो गयी है कि मामूली सी खरोच को 307 बनाने की कोशिश की जाती है और न्यायालय में उसको पुष्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। समाज में जब नियमों का दुरुपयोग करने की भावना हो, तो उस समय जो कानून भावना, सद्भावना से समाज और व्यक्ति दोनों को देखकर बनाया गया हो, उस पर पुनः विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, अपने देश में, ब्रिटेन में और अमेरिका में भी कानून है, भाषा वहां पर और यहां पर भी अंग्रेजी है। यहां पर ऐसे भी कानून हैं जिसको अंग्रेज बना कर गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि वह कानून लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम है। लेकिन यहां जो कानून है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वह कमजोर हैं और लोगों को उनके अधिकार दिलाने में असमर्थ हैं? कानून के ड्राफ्टिंग में दोष नहीं है, दोष कानून का पालन करने वालों में है, जो सामाजिक भावना है, उसका है। हम जब कानून को आदर से देखते हैं, निष्ठा और विश्वास प्रकट करते हैं तो वह कानून सशक्त दिखाई पड़ता है। लेकिन जब समाज कानून का व्यक्तिगत हित के लिए दुरुपयोग करता है तो वह कमजोर दिखाई देता है। आज यह धारणा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मुक्त करने की आवश्यकता हो तो 10–20 दोषी लोगों को भी मुक्त कर दिया जाय। यह एक फिलासफी आफ ला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कानून की मंशा है, समाज में कानून का दुरुपयोग करने की जो एक भावना बनती जा रही है, स्वभाव बनता जा रहा है उसको देखते हुए उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ज्यूरिसपुडेन्स की जो थ्योरी है जो आइडिया है कि 100 दोषी व्यक्तियों को एक निर्दोष व्यक्ति को बचानें के लिए छोड़ दिया जा सकता है वह ठीक है या नहीं? इसमें गम्भीरता से समाज के हित, शान्ति व्यवस्था और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि इस सिद्धान्त पर पुनः विचार किये जायं। यह मूल प्रश्न हैं। इन शब्दों के साथ जैसा मैंने कहा यह जो संशोधन है अगर इनको स्वीकार कर लूं तो भी सी0आर0पी0सी0 में इसके द्वारा संशोधन नहीं हो पायेगा। पहला जो संशोधन है उस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट मिलते ही आगे की कार्यवाही की जायगी। दूसरा संशोधन जो ऐंटीसिपेटरी बेल का है वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है उसके ऊपर गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन मिलते ही उस पर कार्यवाही की जायगी। बीच का संशोधन जो है वह केवल स्पष्टीकरण संशोधन है। इसलिए यह संशोधन विधेयक इस समय स्वीकार करने के लायक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं और स्वीकार नहीं करता हूं। मैं वरिष्ठ सदस्य माननीय शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जो दोनों कदम उठाए गए हैं उनको देखते हुए वे अपने विधेयक को वापस ले लें, इसकी टेक्निकल्टी को देखते हुए इसको वापस ले लें।

श्री उदित नरायन—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। मान्यवर, जो अन्तिम बात माननीय मन्त्री जी, न्याय मंत्री ने कही है उसके बारे में पहला निवेदन कर दूं कि यह विधेयक माननीय न्याय मन्त्री के सामने न मालूम कितने दिनों से है। हमें क्या एतराज हो सकता है। यदि वास्तव में कोई दूसरा कानून ऐसा बन रहा है जिसमें इसका समावेश होने की सम्भवना हो तब क्यों न इसको वापस ले लूं? लेकिन श्रीमन्, यह तो कोई तरीका नहीं है कि हम लोग 2 घंटे से बहस कर रहे हैं। श्रीमन्, यह अपेक्षा की जाती है कि यदि कोई सदस्य गैर सरकारी बिल लाए और हमारा शासन यह समझता है कि वह खुद इस प्रकार का बिल ला रहा है जिसमें इन प्राविधानों का समावेश होगा तो मुझको बुलाकर सन्तोष कर देना चाहिए था और आज क्यों बिला वजह समय

खराब होगा। वास्तव में इस किस्म की कार्यवाही हो रही हैं, विधेयक बन रहा हो, ऐसा कानून बन रहा हो जिसमें इन सब बातों का समावेश हो जायगा तो निश्चित रूप से हम इसको वापस ले लेंगे। मेरे सामने कोई दूसरा चारा नहीं है कि जो बातें कही गयी हैं, उनका आपके सामने उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस ले रहे हैं ?

श्री उदित नरायन—

मैं अपने उत्तर में यह कहना चाहता हूं कि आरम्भ में कहा गया होता, बात समझाई गई होती, मैंने जरूर वापस ले लिया होता। मैं दो बातें उत्तर में जरूर कहना चाहता हूं। एक तो माननीय न्याय मन्त्री जी ने यह कहा कि इसके पास होने से जिस संशोधन को हम चाहते हैं, जिसका अभिप्राय हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह नहीं होगा। तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता केवल उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित हुई थी। आज भी भारतवर्ष के लिए वह अपने पुराने मूल रूप में मौजूद है और उस में 438 अपनी जगह पर है। उससे दूसरे प्रान्तों के जनसाधारण लाभान्वित हो रहे हैं। जिस कानून के जरिए से वह सुविधा दी गयी थी यदि वह कानून नहीं रहेगा तो वह सुविधा भी वापस हो जायगी।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता श्रीमन्, मैं मजबूर हूं अभी वोटिंग भी होना है पांच बज रहे हैं नहीं तो और व्याख्या करना चाहता। मैंने आरम्भ में कहा था कि जमानत के जो अधिकार हैं लोगों के उनको छीन कर के या. . .

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। दलीलें तो आप दे चुके हैं।

श्री उदित नरायन—

मैं उत्तर दे रहा हूं, श्रीमन्। उन्हें जवाब दे रहा हूं। श्रीमन्, यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि जमानत न देकर के उस कानून को बदल के निरोधक कानून को बना कर के अपने यहां की शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था का सुधार हो सकता है।

मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा जैसा कि उन्होंने कहा था कि वह कृपा करके धारा 438 को पूरा पढ़ें लेकिन, 437 को भी पढ़े 436 को भी पढ़े और उनको स्पष्ट मालूम होगा कि 438 धारा को जब बनाया गया था तो उसमें विशेष रूप से इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया था जिसके रहते हुए निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग न हो सके। मैं उनको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अग्रिम जमानत जो नहीं दी जाती है उनमें एक कारण यह भी होता है कि जब जमानत के लिए उपस्थित होते हैं तो उनको यह सुविधा नहीं दी जाती है। आप देखें। प्रतिबन्ध क्या लगे हुए हैं। उनको थाने में हाजिरी देने के लिए जिस रोज तारीख होगी उस दिन हाजिर होना पड़ेगा। दूसरी जगह यह आप को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है। सारे जन साधारण की यह मांग है। मेरा निवेदन है कि आप इसे देखें। करीब-करीब सारे सदन का मत यही है कि अग्रिम जमानत जो आपातकाल के दौरान कायम हुई उसे समाप्त होना चाहिए और कानून को पुराने रूप में आना चाहिए। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उदित नरायन—
हां की संख्या अधिक है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
मुझे नहीं लगता है। इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। मैंने इस पर निर्णय कर दिया। मैंने अन्दाजा लगा लिया है। हां की संख्या अधिक नहीं है।

(श्री उदित नरायन द्वारा विभाजन करने की बराबर मांग करते रहने पर।)

अब आप बैठें। यह अनावश्यक है। आप मेरे निर्णय पर विरोध कर रहे हैं। आज का विवाद समाप्त हुआ। अब मैं नियम 51 की सूचनाएं लूंगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—
एक मैंने नियम 51 के अन्तर्गत श्री डी0 पी0 बोरा की सूचना को स्वीकार किया है, जो प्रदेश के पांच महानगरपालिका कर्मचारियों द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1978 को हड़ताल किए जाने के कारण, 'जल कल, विकास एवं सफाई के कार्य का ठप्प हो जाना विषय पर है।'

दूसरा श्री फजलुर्रहमान अन्सारी का है "पुलिस स्टेशन, बदलपुर, जिला जौनपुर के थानेदारों और कान्सटेबिल्स द्वारा दिनांक 7 मई, 1978 को हत्या के अभियोग में अबुल हसन और पन्ना देवी की गिरफ्तारी तथा पुलिस की पिटाई से अबुल हसन की मृत्यु के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

प्रदेश के पांच नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—
पांच नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री कब वक्तव्य देंगे ?

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—
मैं वक्तव्य अभी दिए देता हूं। मान्यवर, 5 नगर महापालिकाओं में स्वायत्तशासी कर्मचारियों ने आंशिक हड़ताल कर रखी है। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के तीन संघ हैं। पंच महापालिका कर्मचारी संघ, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ। इन तीनों में से कोई भी संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ पंजीकृत है। शेष दोनों अनरजिस्टर्ड फेडरेशन हैं। 16 मई, 1978 से पंच महानगर कर्मचारी संघ ने 5 महानगरियों लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर तथा वाराणसी में स्थित कर्मचारियों की हड़ताल कराई है और शासन को जो सूचना मिली है उसके अनुसार इन 5 महानगरियों में हड़ताल केवल आंशिक रूप से चल रही है और आवश्यक सेवाओं जैसे सफाई और जल सम्पूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल लिपिक वर्ग के अधिकांश कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लखनऊ महानगरी में लखनऊ महापालिका कर्मचारी यूनियन है जो इस हड़ताल का विरोध कर रही है और उसने यह निश्चय किया है कि वह तथा विकास प्राधिकरण यूनियन हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थानीय निकायों की सेवाएं आवश्यक सेवाएं घोषित की जा चुकी हैं और 1 दिसम्बर, 1977 से इन सेवाओं में 6 महीने के लिए हड़ताल गैर कानूनी घोषित की जा चुकी है। अतः जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम के अनुसार विधिपूर्वक कार्यवाही की जा सकती है। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की 39 मांगे हैं जिनमें 18 मांगों को मान लिया गया है जो निम्न प्रकार हैं—मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, शिक्षा सुविधा, सफर भत्ता, वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी, पर्वतीय भत्ता, सीमान्त भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, महापालिकाओं में सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू करना, भविष्य निधि की सुरक्षा, तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण, सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं, प्रतिनियुक्ति की समाप्ति, आवास व्यवस्था, अनिवार्य बचत योजना की समाप्ति, चुंगी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा, अवकाश नकदीकरण की सुविधा। ये 18 मांगे मान्यवर, मान ली जा चुकी है। इन मांगों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन मांगों को स्वीकार किए जाने से कुल अतिरिक्त वित्तीय भार जो शासन और स्थानीय निकायों पर पड़ेगा, का अनुमान लगभग 16 करोड़ रुपए का है। 7 मांगों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जोर नहीं दिया है और उन्हें समाप्त कर दिया गया है। शेष 14 मांगों के विषय में उप मन्त्री श्री भगौती सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी पहले ही गठित है, विचार कर रही है। इस कमेटी में कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये 14 मांगें ऐसी हैं जिनका आर्थिक व्यय भार लगभग 2 करोड़ रुपए निहित है और उन पर विचार करते समय शासन और स्थानीय निकायों के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेना होगा। ये 14 मांगें इस प्रकार हैं—पेंशन की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को आवास व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन में समानता, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि। इन मांगों पर विचार करने के लिए उक्त कमेटी की बैठकें लगभग हो रही हैं और विचार-विमर्श जारी है।

पंच महानगरियों में हड़ताल आंशिक रूप से चल रही है। सफाई तथा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था ठीक रखने का प्रयत्न हो रहा है। जहां कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, वहां बाहर से कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है और दैनिक मजदूरी पर कार्य लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनता से अपील की जा रही है कि वह सफाई की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे। जल पूर्ति की व्यवस्था अभी तक ठीक ढंग से चल रही है। जिला मजिस्ट्रेटों और प्रशासकों को आदेश दिया गया है कि वह पूर्णतया सतर्क रहें और स्थिति पर बराबर ध्यान रखें और उससे शासन को अवगत कराते रहें।

मान्यवर, मैं उनमें जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रार्थना करूंगा कि वह भी देशभक्त हैं और उनको भी देश के सभी लोगों की सुविधाओं-असुविधाओं का ख्याल है। गर्मी के दिन हैं, जल संकट है। वे कृपा करके कोई जगह सेबोटेज न करें और जो जल संस्थान हैं उनके लिए दुराग्रह न करें। जो लोग हड़ताल पर नहीं जाना चाहते हैं, काम पर आना चाहते हैं, उनको न रोकें, तोड़-फोड़ न करें, हिंसा न करें और हमारी सद्भावनाओं पर विश्वास करें। क्योंकि वर्ग संघर्ष का प्रश्न नहीं है आर्थिक असमर्थता का प्रश्न है और अधिकांश मांगें हम मान चुके हैं।

श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वे अविलम्ब 15 दिसम्बर को जो समझौता हुआ था इन कर्मचारियों के संघ और सरकार के बीच, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती है.....

श्री अध्यक्ष—

आपको जो स्पष्टीकरण मन्त्री जी से मांगना है, वह आप उनसे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या बाधा है जिस की वजह से 15 दिसम्बर का समझौता पूरा करने में विलम्ब हो रहा है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

परेशानी भी एक ही है और बाधा भी एक ही है। हम उसके लिए शासनादेश जारी कर चुके हैं और माननीय सदस्य को मालूम नहीं है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि महापालिका कर्मचारी आंशिक रूप से हड़ताल पर हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर नगर महापालिका में अगर आंशिक हड़ताल है तो कितने प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर रहे हैं ?

दूसरी बात जो 14 मांगें उनकी हैं वह भगौती सिंह कमेटी के विचाराधीन है इनमें एक मांग यह है कि उनका वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाय। तो वह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, कुल 90 हजार कर्मचारी स्वायत्त शासन निकायों में हैं उसमें से लगभग 80 हजार सफाई कर्मचारी हैं। जो इस वक्त हड़ताल में हैं वह लगभग 10 हजार है और जो मुख्यतः लिपिक वर्ग के हैं उन्हीं में से ज्यादातर लोग हैं। जो काम में जाना चाहते हैं उनको जबरदस्ती कुछ लोग धरना देकर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे सामने उल्टी समस्या है। इसलिए मैंने कहा कि अधिकांश कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने पूछा कि भगौती सिंह कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

ऐसी बात है मान्यवर, कि जो यूनियन हड़ताल कर रही है वह अन-रजिस्टर्ड बाडी है लीगल परसन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

भगौती सिंह कमेटी की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

दूसरी बात यह है कि यह गैर-कानूनी हड़ताल है। अगर यह उठ जाय तो हम जल्दी ही उसको प्रकट कर दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

90 हजार में से 80 हजार कर्मचारी सफाई मजदूर है। तो क्या उन सफाई मजदूरों की कुछ मांगें ऐसी हैं जिनमें अधिकांश मान लिया जाय तो वे हड़ताल पर नहीं जायेंगे।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मेरी मजबूरी है। वह हड़ताल पर गए नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि 80 हजार जो सफाई मजदूर हैं उनकी मांगें क्या आप मान रहे हैं जिससे वह हड़ताल पर न जायं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

दूसरे डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सुविधाएं उनको प्रदान कर दी गई हैं। वह उस पर संतुष्ट हैं। वह इस वक्त हड़ताल पर नहीं जाना चाहते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कुछ हड़ताली कर्मचारी काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लोग रोक रहे हैं। माननीय मन्त्री जी मजदूरों के नेता रह चुके हैं तो इस प्रकार के आरोप हड़ताल तोड़ने वाले लोग क्या नहीं लगाया करते हैं? एक्चुअली मजदूर हड़ताल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया कि सिर्फ लिपिक हैं बाकी लोग काम पर जाना चाहते हैं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो हड़ताल चल रही है उसमें वहां के हड़तालियों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो जल्दी ही जलकल विभाग वाले भी हड़ताल पर चले जायेंगे तो उसके लिए वह क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने जा रहे हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं। मगर ऐसी बातें हड़ताल में जाने वाले लोगों द्वारा कही जाती हैं कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो सब लोग शामिल हो जायेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

पंच महानगरियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनकी सहानुभूति में नगरपालिकाओं टाउन एरिया और नोटिफाइट एरिया के कर्मचारी भी हड़ताल में जाने वाले हैं। इस सूचना से क्या माननीय मन्त्री जी अवगत हैं?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दे चुके हैं। बार-बार उसी प्रश्न को ले रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

उसका उत्तर कहां आया। पंच महापालिकाओं के कर्मचारियों की सहानुभूति में क्या नगरपालिकाओं, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय मन्त्री जी मजदूर नेता रह चुके हैं। क्या मन्त्री जी ने जो हड़ताली मजदूरों पर चार्ज लगाया है कि जो जाना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं, क्या इसकी लिखित सूचना आपके कार्यालय में या पुलिस में है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, राइट टु स्ट्राइक इंक्लूड्स राइट नाट टु स्ट्राइक।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि क्या ऐसी सूचना आप को मिली है कि जो लोग काम पर जाना चाहते हैं उनको बलात रोका जा रहा है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, उनकी सूचना के आधार पर कोई चीज सदन के समक्ष रखते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

जो पांच महानगरों में स्वायत्त सेवी संस्थाओं में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उसका बुनियादी कारण यह है कि इन पांच महानगरों में स्वायत्त सेवी संस्थाओं के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं इसलिए असन्तोष उत्पन्न हुआ है, क्या मन्त्री जी निश्चित तारीख की घोषणा करके स्वायत्त सेवी संस्थाओं में पांच महानगरों में चुनाव करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे पैदा नहीं होता ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मन्त्री, माननीय फजलुर्रहमान की सूचना पर आज वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, इसके लिए समय चाहिए ।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में हुए गोली काण्ड में मजदूरों के मारे जाने की आशंका पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, जो सूची माननीय सदस्यों ने अपने नोटिस के साथ शासन को दी है उसमें 180 नाम हैं। इनमें से बहुत से श्रमिक कानपुर के बाहर अन्य जिलों के रहने वाले हैं और कुछ प्रदेश के बाहर के। अब तक के सत्यापन से यह परिणाम निकला है कि 180 श्रमिकों में से 139 ने अपने वेतन का भुगतान ले लिया है। अब केवल 41 श्रमिक ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने अभी तक अपना वेतन नहीं लिया है। इनमें से 3 श्रमिकों के प्रार्थना-पत्र वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके हैं। अतएव केवल 38 व्यक्तियों का सत्यापन अवशेष है। 20 मई, 1978 वेतन भुगतान की तिथि निश्चित है। इस अवसर पर पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि 38 अवशेष श्रमिकों में से कितने श्रमिक वेतन का भुगतान लेने आते हैं। इसके पश्चात जो श्रमिक अवशेष रह जाते हैं उनका सत्यापन उनके घर के पते के अनुसार कराया जायगा ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि इस सूची के अधिकांश श्रमिक जीवित हैं और उन्होंने अपना वेतन भी ले लिया है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो मैंने 167 व्यक्तियों की लिस्ट दी है, इसकी एफ0 आई0आर0 दर्ज हो चुकी थी और पिछले महीने में वेतन लेने नहीं आए उस लिस्ट में से कितने लोग वेतन ले जा चुके हैं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो सूची 180 व्यक्तियों की दी गयी उसमें से केवल अब 38 व्यक्ति ऐसे बचे हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

सेहरा जी ने जो सूची दी है उसमें से वेतन ले रहे हैं ?

श्री राम सिंह—

जो भी सूची प्राप्त हुई है, सब को इकट्ठा करके यह सूचना मिली है कि 180 लोगों का पता नहीं मिला था ।

श्री अध्यक्ष—

सूची और भी हो सकती है। श्री सेहरा ने जो 167 नामों की सूची दी है क्या उसके बारे में रिपोर्ट मिली है कि केवल 38 ने वेतन नहीं लिया, बाकी लोगों ने लिया, बाकी लोग जो हैं वह सब जिन्दा हैं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, एक सूची सेहरा साहब ने दी है और कुछ अन्य सूचियां अन्य माननीय सदस्यों ने दी हैं तो कुल मिलाकर 110 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वेतन लिया है केवल 38 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वेतन नहीं लिया है तो शेष व्यक्ति उपलब्ध हैं ही।

श्री गुलाब सेहरा—

167 श्रमिकों की लिस्ट मैंने दी है। एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद और तफतीश हो जाने के बाद वह लिस्ट दी थी, इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को है या नहीं ?

श्री राम सिंह—

एफ0आई0आर0 की सूचना मेरे पास नहीं है।

कलेक्टरगंज, कानपुर में छोटे लाल योगेश चन्द्र फर्म में डकैती तथा मालिक को घायल किए जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार 10 मई, 1978 को करीब 7 बजे शाम को अचानक पांच सशस्त्र बदमाश फर्म छोटे लाल योगेश चन्द्र गल्ला मन्डी, कलक्टरगंज, (कानपुर) की दूकान के अन्दर घुस आए और उन्होंने लोगों के ऊपर तमंचा तान लिया तथा मालिक योगेश चन्द्र से तिजोरी की चाबी मांगी एवं चाबी देने में हीला हवाला करने पर बदमाशों ने उनके सिर पर तमंचा की मूठ मार दी जिससे घबरा कर उन्होंने चाबी दे दी और चोट लगने के कारण गिर गए। बदमाश तिजोरी खोल कर 15,000 रु0 निकाल कर भागे। श्री योगेश चन्द्र ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए शोर मचाया व उनका पीछा किया तथा अमुक परमानन्द की दूकान पर पहुंचे तो एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी जिससे वह चोट खाकर वहीं गिर गए। बदमाश रुपया लेकर भाग गए।

इस सूचना पर थाने पर पाँच अभियुक्त नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा धारा 395/397 भा0दं0वि0 कायम करके तुरन्त विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से उक्त घटना में एक लाख रुपए लूटे जाने की बात असत्य पाई गई तथा जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है केवल 15,000 रु0 का लूटा जाना पाया गया।

उपरोक्त फर्म थाना कलक्टरगंज से लगभग ढाई फर्लांग की दूरी पर है। घटना के दिन तेल वाली गली में मौजूद गश्त पुलिस पार्टी और शोर गुल सुनकर घटनास्थल पर अवश्य पहुंची किन्तु अभियुक्त भाग चुके थे। इनकी तलाश हेतु हर सम्भव प्रयास जारी है। उपरोक्त घटना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। जनता में कोई आतंक या भय नहीं है। उक्त क्षेत्र में पुलिस तथा पी0ए0सी0 पिकेट में लगा दी गयी है। घटनास्थल पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक पहुंच गए थे। स्वयं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा भी दिनांक 12 मई, 1978 को कानपुर जाकर नगर में शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिए गए।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा है कि पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 12 मई, 1978 को कानपुर जाकर नगर में शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु स्थानीय अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

[श्री बाबू राम शुक्ल]

वह पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ा देंगे या पुलिस फोर्स बढ़ा देंगे। दूसरे घटना से सम्बन्धित कोई भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि कौन-कौन से अभियुक्त हैं और वह कब तक पकड़ लिए जायेंगे ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और किसी भी अभियुक्त को पकड़ पाने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस गश्त में थी और वह घटना के बाद पहुंची। घटना स्थल से थाने की दूरी ढाई फर्लांग है तो पुलिस घटना स्थल पर कितने समय पर पहुंची और उसको पहुंचने में कितनी देरी लगी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह बता पाना सम्भव नहीं है कि पुलिस कितनी देर में पहुंची। लेकिन जब गश्त वालों को पता लगा तो वह वहां पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर थाने की भी पुलिस वहां पर पहुंच गयी और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस को क्या अभियुक्तों का नाम पता चल गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वे दे चुके हैं कि वे अभी तक अज्ञात हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

जिस वक्त वे बदमाश माल लेकर गए तो फर्म के मालिक योगेश चन्द्र जिनकी तिजोरी से रुपया निकाला गया, उनका पीछा किया। जब वे परमानन्द की दुकान से गुजरे वहां पर कुछ सिपाही खड़े थे तो उन्होंने उन बदमाशों को नहीं पकड़ा और 1 1/2 घंटे बाद में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह—

मैं माननीय सदस्य की सूचना को सही मान कर इस प्वाइंट पर भी जांच करा लूंगा।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शासन को इत्तिला है कि वहां के कारबारी लोगों ने एक मीटिंग करके यह फैसला किया कि यदि उनकी सुरक्षा कि व्यवस्था न की गयी तो वे सेल्सटैक्स और इनकम टैक्स देना बन्द कर देंगे ?

श्री राम सिंह—

इसकी तो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन जब यह बात मुझे मालूम हुई कि कानपुर में इस घटना के पश्चात बड़ा आतंक और असन्तोष है तो मैंने आई0जी0 से कहा कि वे स्वयं घटना-स्थल पर जायं और लोगों को आश्वासन दें जिससे उनको अपने जन-जीवन से सम्बन्धित आश्वासन हो।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, इस क्षेत्र में 6 डकैतियां पड़ी हैं लेकिन एक भी डकैती के अभियुक्त नहीं पकड़े गए हैं। कानपुर के एक समाचार पत्र में यह भी छपा है कि इस क्षेत्र में इन घटनाओं के होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि एक पुलिस क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र में आना चाहता है और वहां के मौजूदा क्षेत्राधिकारी को वहां से हटवाना चाहता है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हुई है कि श्री लाल सिंह वर्मा, आई0जी0 पुलिस जब कानपुर गए थे तो पुलिस

क्षेत्राधिकारी को उस क्षेत्राधिकारी ने जो कलक्टरगंज का था, अलग से बुला कर बातचीत की। तो क्या गृह मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि क्या पुलिस में भी कोई आपस की राजनीति है कि जो क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र में आना चाहता है उसके कारण वहां पर ये घटनाएं घट रही हैं ?

श्री राम सिंह—

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई वहां आना चाहता है तो उनके वहां आने के लिए उनको सफल नहीं होने दिया जायगा।

मैनपुरी–भोगांव मार्ग में रेलवे क्रासिंग की गुमटी पर यात्रियों को लूटे जाने के सम्बन्ध म नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1/2 मई, 1978 की रात्रि 1 बजे फायर ब्रिगेड, मैनपुरी के फायरमैन चन्द्र पाल सिंह ने थाना कोतवाली, मैनपुरी पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उस रात्रि वह अपने अन्य साथियों सहित फर्रुखाबाद से आग बुझाकर फायर ब्रिगेड की जीप पर मैनपुरी वापस आ रहा था कि जब जीप रात्रि करीब 11 बजे भोगांव रेलवे क्रासिंग, मैनपुरी रोड पर पहुंची तो आगे रेलवे फाटक बन्द था और 3–4 गाड़ियां आगे खड़ी थीं और उसने जैसे ही अपनी जीप रोकी कि एकदम से करीब 15–16 बदमाश असलहों सहित आ गए और जीप को घेर लिया तथा सबको गाड़ी से उतार कर सामान लूटने लगे। फायर मैन रमेश चन्द्र गौड़ जीप से नहीं उतरा जिसे एक बदमाश ने गोली मार दी जो वहीं पर गिर कर बेहोश हो गया। उक्त सूचना में वादी ने अपनी जीप तथा एक रोडवेज बस, दो ट्रकों, दो कारों और एक अन्य जीप के यात्रियों को बदमाशों द्वारा करीब 10–30 बजे रात्रि से 11–30 बजे रात्रि तक डरा धमका कर लूट मार करने तथा मुबलिग 7406.15 पैसे नकद और 20 घड़ियां, एक एक नली बन्दूक व 85 कारतूस 12 बोर, 1 टेप रिकार्डर, जेवर, कपड़ा तथा बर्तन आदि कीमती लगभग 34,000 रुपए का माल लूट कर ले जाना अंकित किया था। वादी ने बदमाशों में से चार को नामांकित किया और बाकी बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकना अंकित कराया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली मैनपुरी पर धारा 395/397 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया जो फायर मैन रमेश चन्द्र गौड़ की मृत्यु सदर अस्पताल में हो जाने पर धारा 396 भा0द0वि0 में परिवर्तित किया गया। घटना थाना भोगांव से सम्बन्धित होने के कारण उक्त प्रथम सूचना एवं सम्बन्धित कागजात के आधार पर थाना भोगांव पर अपराध संख्या 167, धारा 396 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक स्कूटर पर सवार दो व्यक्तियों को भी लूटे जाने की बात विवेचना से प्रकाश में आई है।

जब उक्त घटना के सम्बन्ध में लोगों ने उप निरीक्षक से सम्पर्क स्थापति किया और पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन करना चाहा तो उस समय टेलीफोन खराब था। पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा इसमें सहयोग न देने की बात नहीं पाई गयी। जब टेलीफोन एक्सचेंज से पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर सम्पर्क स्थापति किया गया उस समय पुलिस अधीक्षक अपने निवास स्थान पर मौजूद नहीं थे। वे गश्त चेकिंग में बाहर गए हुए थे। माननीय वीरेन्द्रपति यादव, सदस्य, विधान सभा व कुछ अन्य व्यक्तियों के पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर पहुंचने से कुछ ही समय पहले पुलिस अधीक्षक निवास स्थान पर आए थे और उक्त लोगों से मिले थे और वे घटना की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त मय फोर्स के घटनास्थल के लिए रवाना हुए। यह सत्य नहीं है कि थाना इंचार्ज कोतवाली सिनेमा देख रहे थे और

श्री राम सिंह—

डेढ़ दो घंटे कोतवाली पर रुकने के बावजूद भी थाने पर वापस नहीं बुलाए जा सके। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार थानाध्यक्ष गश्त में थे और गश्त से वापस आने पर उनकी मुलाकात माननीय वीरेन्द्र पति यादव से हुई।

माननीय सदस्यों द्वारा उक्त सूचना में दी गयी कतिपय अन्य घटनाओं की स्थिति निम्न प्रकार ज्ञात हुई है :—

(क) उक्त घटना से 2 दिन पूर्व मैनपुरी–भोगांव रोड पर ही मेटाडोर टैक्सी में बैठे 3 व्यक्तियों को लूटे जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट अंकित कराई गयी थी। परन्तु क्षेत्राधिकारी की जांच से यह घटना बढ़ा चढ़ाकर लिखायी गयी पाई गई, अतः कोई अग्रिम कार्यवाही इसके सम्बन्ध में नहीं की गयी।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम फतेहपुर नसीरपुर, थाना नगला खंगर, में दिनांक 28/29 अप्रैल, 1978 को 10-12 डकैतों द्वारा रंजिशन दो भाइयों की हत्या किए जाने तथा दो अन्य व्यक्तियों को घायल करने के आशय की रिपोर्ट अंकित कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसी गांव का श्रीनाम कहार नामजद किया गया था। श्रीनाथ कहार के गिरोह का सरगना डकैत रामतीरथ पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

(ग) मैनपुरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 बजे शाम साइकिलों पर आते हुए 60 व्यक्तियों को लूटे जाने की घटना के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घटना दिनांक 21/22 मार्च, 1978 की रात्रि में हुई जिसमें केवल 11–20 आदमियों को लूटे जाने की बात जाँच से पाई गयी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा डकैतों का पीछा किया और डकैतों द्वारा पकड़े गए दो व्यक्तियों को छुड़ाया। सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास जारी हैं।

(घ) 16 व्यक्तियों को लूटे जाने और उन्हें प्रदर्शित मैदान में पास पेड़ों से बांधने की कोई घटना घटित होने की सूचना जनपद मैनपुरी में प्राप्त नहीं हुई है।

यह कहना सत्य नहीं है कि जनता में भय आतंक और निराशा व्याप्त है और रात्रि का यातायात खतरे से खाली नहीं है तथा पुलिस की उदासीनता व अकर्मण्यता का कुप्रभाव दूसरे पड़ोसी जिलों पर पड़ रहा है। जनपद मैनपुरी में शान्ति व्यवस्था नियन्त्रण में है और दस्यु उन्मूलन अभियान के फलस्वरूप जनता में राहत है।

दिनांक 1/2 मई, 1978 की रात्रि में कारों, जीपों, ट्रकों तथा रोडवेज बस के यात्रियों को लूटे जाने के उपरोक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी भोगांव अन्य पुलिस दल के साथ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे और अभियुक्तों के सम्भवित स्थानों पर दबिशें दी गयीं। उक्त घटना से सम्बन्धित अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी के लिए प्रयास जारी हैं। विवेचना जारी है।

उपरोक्त प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भरसक प्रयत्न जारी है। रात्रि में सड़क गश्त व चेकिंग सतर्कता से की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाय और दबिशें दी जायं। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सड़कों पर रात्रि में पैट्रोलिंग व कौंबाम प्रथा लागू कर दी गयी है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या मन्त्री जी ध्यान में रखते हुए कि मैं इन सब तथ्यों का डायरेक्ट विटनेस हूं, सीधा साक्षी हूं, तीन बातों की जाँच करने की कृपा करेंगे—नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3।

नम्बर 1.....

श्री अध्यक्ष—

क्या वीरेन्द्रपति जी, आपकी भी घड़ी गायब हुई थी ?

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

जी हाँ, साहब।

तीन बातों की जाँच कराई जाय :—

(1) जब 50–60 आदमी हम कोतवाली पहुंचे तो दरोगा जी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि टेलीफोन खराब है, टेलीफोन नहीं करने दिया। हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज गए, उसी वक्त एक आदमी ने सूचना हमें दी कि उसी टेलीफोन पर दरोगा जी बात कर रहे हैं, टेलीफोन [तो ठीक है।]

(2) मुन्शी से जब हमने कहा कि हम एस0 पी0 से सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उसने कहा कि अभी जगाता हूं, अभी जगाता हूं, लेकिन 20 मिनट तक वे नहीं जागे। फिर एक्सचेंज वालों ने बताया कि वह कहीं बाहर गए हुए हैं।

(3) तीसरे नम्बर के दरोगा ने यह बताया कि नम्बर 1 व 2 घर पर ही हैं, जब हमने उनसे उनको बुलाने के लिए कहा। फिर कहा कि सिनेमा गए हैं। उसके पौन घंटे के बाद देखा कि वे जो इंचार्ज थे, दरोगा जी, सादी वर्दी में, कुर्ता और धोती पहने चले आ रहे हैं। अगर वे गश्त करने गए थे तो वे ड्रेस में जाते।

इन सबकी क्या जाँच करायेंगे ?

श्री राम सिंह—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक सूचना तो वह है जो शासन की तरफ से मैंने दी है। दूसरी सूचना माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी ने दी है। चूंकि वे स्वयं इस घटना को जानते हैं, उनकी स्वयं जानकारी है जिसे वे दे रहे हैं, मैं इसे बहुत गम्भीर ही मानता हूं। क्राइम्स वगैरह जो रजिस्टर हुए हैं, उसकी जाँच तो होगी ही, पर टेलीफोन आदि प्रयोग न करने आदि की जो बात बताई है, उसकी जाँच, अगर माननीय वीरेन्द्रपति जी सन्तुष्ट हो जायं तो मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी से करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

जाँच तो आपको करानी ही है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि 12–13 की रात को भोगांव के पास 11 ट्रकें भी लूटी गयीं। जिसमें एक आदमी वहीं मर गया और दो के मरने के और समाचार प्राप्त हुए हैं ? जबकि पुलिस का यह कहना है कि कोई वहाँ डर या आतंक नहीं है।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैं, अगर माननीय सदस्य संतुष्ट हों तो इसकी जाँच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने को तैयार हूं। मैं माननीय वीरेन्द्रपति जी की सूचना को सही मान कर जाँच कराने को तैयार हूं, आप चाहें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करा लूं या कहें तो सी0आई0डी0 से करा लूं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--

विशेष वरिष्ठ अधिकारी की कोई परिभाषा भी होनी चाहिए। डी0आई0जी0 आदि को हम उचित नहीं मानते। इसकी जाँच सी0आई0डी0 या सी0बी0आई0 द्वारा या किसी जज के द्वारा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

जाँच माकूल होना चाहिए ताकि सारे तथ्यों का पता चल सके। यह तो मन्त्री जी, आप निर्णय कीजिए कि जाँच किसके द्वारा कराई जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इतनी गम्भीर घटनाएं हुयीं, जिसमें बन्दूक, कारतूस, लुटाई आदि की घटनाएं हुईं। जैसा कि वीरेन्द्रपति जी ने कहा यह भी घटना हो गयी। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मन्त्री जी ने उस जगह की पुलिस या उन लोगों को सजग करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इस तरह की जब घटनाएं सामने आयीं, तो एक आदेश प्रसारित हुआ शासन की तरफ से जिसमें इस बात की व्यवस्था की गयी कि जहाँ इस तरह के हीनियस क्राइम्स की घटनाएं हों,उन घटनाओं के सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर इस बात की व्यवस्था हो जाय कि इस बात की सूचना मिल जाय कि कैसे घटी और जो कार्यवाही हुई है, उसका भी वर्णन आ जाय, क्योंकि यह बहुत गम्भीर बात है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं और बहुत दिनों तक कार्यवाही नहीं होती है तो बहुत सतर्कता से इस बात का आदेश दिया गया है कि अधिकारी कड़ाई से कार्यवाही करें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा तो इस घटना से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--

1 मई को यह घटना हुई, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य भी शिकार हुए, तो कोई विशेष आदेश आपकी तरफ से गया कि आज 17 तारीख हो गयी कुछ पता लगा पाई, कौन अभियुक्त है, किसने किया, यह आपको मालूम है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, उस सम्बन्ध में तो विवेचना हो रही है। जाँच हो रही है। उसके बाद जो तथ्य सामने आवेंगे, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जिस जगह पर इतनी संगीन घटना हुई है और वीरेन्द्र पति जी पर भी घटी है, क्या उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए शासन की तरफ से कोई आदेश दे दिए गए हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जाँच कराई जा रही है कि क्या बात है कि इस स्थान पर ही इतनी घटनाएं हो रही हैं। उस पर भी कार्यवाही हो रही है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, माननीय यादव जी ने जो सूचना दी थी, उस सूचना को असत्य बताया, जो सरकारी रिपोर्ट आई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अधीक्षक को टेलीफोन करना चाहा तो उस समय टेलीफोन खराब था और यह कहा कि यह सत्य नहीं है कि थाना इंचार्ज कोतवाली गए थे। एक प्रशासन की सूचना है और एक माननीय सदस्य की सूचना है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि और सारी जाँच तो करें कि कोतवाली का

टेलीफोन उस समय खराब था कि नहीं था, इस बात की भी जाँच करा ली जाय कि एस0पी0 साहब सो रहे थे, कोतवाली का टेलीफोन खराब था कि नहीं, सिपाही ने टेलीफोन करने को मना किया कि नहीं ? तो मान्यवर, उस एस0 पी0 को तुरन्त स्थानान्तरित कर दीजिए, उस एस0पी0 को तुरन्त पनिशमेंट देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए माननीय मन्त्री जी ने पहले ही आश्वासन दिया है इसकी जाँच करा लेंगे कि टेलीफोन खराब था कि नहीं, एस0पी0 कितनी देर में उठे, अधिकारियों ने इतनी देर क्यों लगाई ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस तरह की हत्याएं, लूट, डकैती आदि की सनसनीखेज घटनाएं आए दिन प्रदेश में हो रही हैं, जिससे सूबे के हर कोने में रहने वाले आदमियों का दिल दहल गया हैं और मन्त्री जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आतंक भय नहीं है, तो क्या वहाँ पर खुशी की लहर व्याप्त है मान्यवर। मान्यवर, पडरौना में ऐसी बात हो रही है, तो वहाँ पर आतंक नहीं है, तो क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जब रोज घटनाएं होती हैं, तो लोग निडर हो जाते हैं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर।)

क्या आप भी इसमें शामिल हैं ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर पहली घटना 21–4 को हुई। दूसरी घटना 1–2 को हुई और फिर 12–5 को घटना हुई है तो क्या वहां पर सड़क गश्त की व्यवस्था की गयी है ? अगर हां, तो किस तरह की व्यवस्था की गयी ?

श्री राम सिंह—

सड़क गश्त की व्यवस्था इसके तुरन्त बाद ही कर दी गयी है जिससे ऐसी घटनाएं न घटित हों।

एक सदस्य—

मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

आपके क्षेत्र से बहुत से लोगों को दिलचस्पी है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से वर्तमान अधीक्षक महोदय मैनपुरी में पहुंचे हैं तबसे कितने डकैत मारे गए हैं और पहले की व्यवस्था से अब व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इससे उत्पन्न नहीं होता है।

श्री हरी राम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक नली बन्दूक कौन व्यक्ति लिए जा रहा था, वह उसको कहां से प्राप्त हुई थी ? क्या उसको कोई परमीशन थी ?

श्री अध्यक्ष—

समझ में नहीं आया कि आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री हरी राम शाक्य—

जो आदमी बन्दूक लिए जा रहा था वह बन्दूक किसकी थी? और किसकी परमीशन से लिए जा रहा था?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने बताया कि एकनली बन्दूक और 85 कारतूस लूटे गए। यह जानकारी नहीं है कि वह बन्दूक किसकी थी। अभियुक्त पकड़े जायेंगे तब पता चलेगा कि किसकी थी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आज 17 तारीख तक वहां सुरक्षा के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री राम सिंह—

यह व्यवस्था की गयी है कि रात में ट्रैफिक जो चलेगा उसमें कौनवाय प्रथा लागू की गई है और बसें जो चलेंगी उनमें सिपाही चलेंगे ताकि सुरक्षा हो।

श्री हरी राम शाक्य—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भोगांव क्षेत्र में ऐसा स्थान है जहां पर पुलिस, दलाल और बदमाश तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और जलपान करते हैं? क्या इसकी जानकारी है? यदि नहीं है, तो क्या इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपने खुद ही पूरी जानकारी दी कि कौन-कौन दलाल हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि शासन की ओर से कई वर्षों से एक बात तय हो चुकी है कि जो राजकीय बसें हैं रात्रि सेवा की, उसमें पहले गारद चलती रही है? यह जो राजकीय बसें लूटी गयी हैं उनमें गारद थी कि नहीं थी, क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री राम सिंह—

इसकी जांच करा लूंगा।

ललितपुर में पुलिस अधिकारियों की कथित साजिश से श्रीमती पारवती कौशिक की हत्या एवं डाकुओं के आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, श्रीमती पारवती कौशिक की 2–3 मई, 1978 की रात्रि में हत्या तथा उनके आभूषण चोरी किए जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कौशिक ने 3 मई, 1978 को धारा 460 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की और निकटवर्ती जनपद सागर से 'डॉग स्क्वायड' भी मंगवाया जो विलम्ब से आ पाया। इस बीच में मृतक महिला के शव के सन्दर्भ में पंचायतनामा भरा गया। "डॉग स्क्वायड" के आने पर उसकी सहायता ली गयी परन्तु उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। मामले की विवेचना गहराई से की जा रही है परन्तु इस घटना में पुलिस अधीक्षक के पुत्र तथा किसी पुलिस कर्मचारी के सम्बद्ध होने का कोई आधार प्रतीत नहीं हुआ।

थानाध्यक्ष कोतवाली के विरुद्ध डाकू को बन्दूक बेचे जाने के आरोप भी चरित्र पंजिका के अवलोकन से सही नहीं प्रतीत होते।

श्री कोमल चन्द्र जैन का अपहरण 25 अप्रैल, 1978 को खाकरान के जंगल से हुआ था। इस सन्दर्भ में अपराध पंजीकृत हुआ और अपराधियों को पकड़ने की चेष्टा भी की

गयी परन्तु अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ में श्री जैन हताहत हुए। इस घटना में भी किसी अधिकारी के पुत्र के सम्बन्ध में विदित नहीं है।

श्री दुर्जन चपरासी, सी0बी0गुप्त हायर सेकेन्डरी स्कूल, महरोनी की गिरफ्तारी थाना टीकमगढ़ की तहरीर के आधार पर 3 मई, 1978 को हुई थी।

वर्तमान पुलिस अधीक्षक, ललितपुर 6 मार्च, 1976 से नियुक्त हैं उनका कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है। सब इन्सपेक्टर गंगा सिंह जनवरी, 1978 से, सब इन्सपेक्टर मोहम्मद असलम अक्तूबर, 1976 से तथा श्री जय राम सिंह चन्देल 1975 से नियुक्त हैं। तीनों उप निरीक्षकों में से कोई भी ललितपुर जनपद में 6–7 वर्षों से तैनात नहीं है।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में डाग-स्क्वायड आने से पूर्व उनकी लाश सील की गयी जबकि पोस्ट मार्टम दूसरे दिन हुआ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

यह कहा कि कुत्ते मंगाए और उन कुत्तों के आने से पहले लाश को सील कर दिया गया और पोस्ट मार्टम को भेज दिया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसीलिए कि डाग स्क्वायड बहुत देर से आया और बहुत सम्भव था कि लाश सड़ जाती।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, पोस्ट मार्टम दूसरे दिन हुआ। डाग स्क्वायड का पूरा खर्चा मृतक के पुत्र को उठाना पड़ा उसकी जीप पर इसको मंगाया गया। दूसरे दिन लगभग दो बजे एस0पी0 साहब के साथ दरोगा जी आए। एस0पी0 साहब बाहर गए थे दूसरे दिन आए तो दरोगा जी भी आए। दरोगा का पुत्र वहां पर बार-बार चक्कर लगा रहा था। पुलिस सात घंटे देर से पहुंची। यह सब किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह—

इसकी विवेचना हो रही है, विवेचना में सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, मेरे तीन प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न यह है कि कोमल चन्द्र जैन का अपहरण 25 अप्रैल, 1978 को हुआ, साथ ही साथ 11 मई, 1978 को पुनः मगन लाल का अपहरण हुआ। एस0पी0 महोदय का सुपुत्र फरार हो गया था। जहां इनकाउन्टर हुआ था वह उस थाने की पुलिस नहीं थी। 60 किलोमीटर दूर की पुलिस से इनकाउन्टर हुआ। यह सब किन परिस्थितियों में हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो इससे सम्बन्धित नहीं है। इसका जिक्र आपने अपनी सूचना में नहीं किया है।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, मेरा एक सवाल और है। स्वयं मुझे 4 जुलाई, 1975 को भड़काया। ये सब सूचनाएं झूठी हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस सब की पुनः सी0आई0डी0 द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह —

सबकी जांच कराई जायगी। उसकी आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

इसमें जो अपहरण श्री जैन का 25 अप्रैल, 1978 को हुआ और फिर मुठभेड़ होती है तो अपराधी पकड़े जाने तथा मुठभेड़ में कितने रोज का अन्तर है और कोई पुलिस और अपहरणकर्ता में कोई मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ या नहीं या केवल श्री जैन ही....

श्री राम सिंह—

मेरी सूचना यह है कि 25 अप्रैल, 1978 को श्री जैन का अपहरण हुआ। फिर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद अपराधियों को पकड़े जाने की कोशिश की गयी लेकिन मुठभेड़ में श्री जैन हताहत हुए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जब एक सिपाही की तैनाती की तारीख के बारे में यह सूचना दी कि यह निजी जानकारी है कि वह पहले से वहां पर है तो इस सूचना के बाद भी माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट मना करते हैं कि वह इसकी जांच नहीं करायेंगे, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी को मैं बाध्य नहीं कर सकता। आप खुद अन्दाजा लगाइए कि ठीक है या नहीं ?

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में हुए गोली काण्ड में मजदूरों के मारे जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

32 नम्बर पर जो आइटम है उसमें नियम 51 के अन्तर्गत मेरा प्रश्न स्वीकार किया गया वक्तव्य के लिए लेकिन मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें मेरी लिस्ट के अलावा अन्य लिस्टों का भी उत्तर दिया। केवल तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसा किया गया और दूसरी लिस्टों के आधार पर उत्तर दे दिया गया। इसलिए आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरी ही लिस्ट का वह उत्तर देंगे या अन्य लिस्टों का भी उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कुल सूची 180 की थी। 167 आपकी थी और 13 अन्य की। 180 में से 38 को वेतन नहीं मिला। मन्त्री महोदय ने आप से भी अधिक लिस्ट का उत्तर दे दिया तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है ?

श्री गुलाब सेहरा—

दूसरी लिस्ट जो है वह 180 की है जिसमें जाली लोगों के भी नाम हैं। मेरी लिस्ट का उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। दुबारा जो लिस्ट मैंने दी है लोगों के घरों की तलाशी लेने तथा एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद जिन्होंने पिछले महीने तक तनख्वाह नहीं ली, उनकी लिस्ट मैंने दी है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। माननीय सेहरा अपनी सूची मुझे दे दें और मैं गृह मन्त्री के पास उसे भेज दूंगा और उसके सम्बन्ध में मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि 167 की जो आपकी सूची है उसको टैली करें कि उसमें से कितने लोगों को वेतन मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। इसकी सूचना आपको भेज दी जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जब एस0पी0 का लड़का हत्या में इंवाल्व है तो क्या जाँच होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, आप बैठिए।

एल्गिन मिल, कानपुर में आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

मान्यवर, एल्गिन मिल नं 02, कानपुर में 11–12 मई, 1978 की रात को 10.45 पर वहाँ के चौकीदार ने सर्वप्रथम आग लगी देखी। यह आग मिल के अन्दर खुले प्रांगण में लगी, जहाँ रूई की 2700 गाठें जो सभी इन्श्योर्ड थीं, रखी हुई थीं। मिल अधिकारियों ने आग की सूचना 11.07 बज रात्रि में फायर स्टेशन लाटूश रोड, कानपुर को दी। इस सूचना पर फायर स्टेशन अफसर अपनी यूनिट सहित तत्काल घटना-स्थल पर पहुंचे। जिस समय मिल के अन्दर रूई की गाँठों में आग लगी थी, उस समय भयंकर तूफान चल रहा था, जिससे पूरी मिल को खतरा हो गया था, परन्तु अग्निशमन दल ने स्थानीय पुलिस एवं मिल कर्मचारियों के सहयोग से लगभग 1 1/2 घंटे के अन्दर इस भीषण अग्नि के ऊपर काबू पा लिया।

2—इस अग्नि काण्ड में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। रूई की 2,700 गाँठों में से 685 गाँठों को क्षति पहुंची। मिल अधिकारियों के अनुसार यह 685 गाँठें पूर्ण रूप से जल गयीं और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ।

3—मिल का पूरा खुला प्रांगण 60 लाख रुपए में इंश्योर्ड बताया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि मिल द्वारा इस घटना की कोई रिपोर्ट जिला प्रशासन या पुलिस अधिकारियों को नहीं दी गयी। एक रिपोर्ट दिनाँक 14 मई, 1978 फायर आफिसर लाटूश रोड फायर स्टेशन, कानपुर को दी गयी थी जिसमें आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। पुलिस जाँच से भी आग लगने का कोई निश्चित कारण विदित नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में पुलिस जाँच जारी है।

5—ओरिएन्टल फायर एण्ड इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा 15 मई, 1978 से जाँच पड़ताल प्रारम्भ की गयी है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उन्होंने इस घटना को उल्लेखनीय माना है। मिल की ओर से इस आगजनी की कोई सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को नहीं दी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो जाँच हुई है क्या उसके अनुसार इस आगजनी के पीछे मिल के अधिकारियों का भी हाथ होने की शंका पाई गई है ?

श्री राम प्रकाश—

जो जाँच हुई है उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया है। जाँच पुलिस कर रही है। जब तथ्य सामने आयेंगे उस समय इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रवीन्द्र सिंह—

यह आगजनी अत्यन्त संदिग्ध है, इसलिए क्या मन्त्री जी इसकी जाँच पुलिस से हटाकर किसी दूसरी इकाई से करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, यह जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी इन्श्योरेंस कम्पनी पर है और वह जब वह पूरी तरह से छानबीन कर लेंगे तब इस पर रिपोर्ट उनकी आने के बाद विचार कर लिया जायगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह एक साधारण नियम है कि जब आग लगती है और खासतौर से इतनी बड़ी आग जब लगती है तो रिपोर्ट थाने में की जाती है और इस-

[श्री श्यामधर मिश्र]

लिए की जाती है कि जो इंश्योर्ड है तब तो इंश्योरेंस क्लेम में थाने की रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। इस घटना की थाने में रिपोर्ट नहीं की गयी तो क्या यह सही नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओरियेंटल फायर इंश्योरेन्स कम्पनी के अफसर से ये एल्गिन मिल के लोग मिले हुए हैं और मिलकर ये लोग रुपया बाँटना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि क्या इसकी जाँच आप करायेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

जो फैक्ट्री है वह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है शासन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी का सम्बन्ध है वह अखिल भारतीय स्तर की महत्व पूर्ण संस्था है। वह अपने हित को स्वयं देखेगी। यदि शासन से शिकायत करेंगे तो हम उसकी जाँच करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

इस घटना के बारे में जो पुलिस में रिपोर्ट हुई. . . .

श्री अध्यक्ष—

पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जैसा कि श्री रवीन्द्र सिंह जी ने कहा कोई दूसरे तरीके से उसकी जाँच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कहा कि दोनों प्राईवेट कम्पनियाँ हैं, दोनों अपने क्लेम के सवाल में सक्षम हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या वह इस बात की जाँच करायेंगे कि इसकी थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए मन्त्री जी कैसे जिम्मेदार हैं, अगर वह नहीं कराते हैं तो। अगर आपकी टोपी घर से खो जाय और रिपोर्ट न करायें तो दूसरा व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है ?

श्री रियासत हुसैन—

इसमें 14 लाख रुपये का मामला है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कम्पनी का सवाल है। इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना घटी और इसकी रिपोर्ट नहीं हुई तो इसके पीछे कोई साजिश लगती है। तो क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त आग लगी, उस वक्त फायर ब्रिगेड को बुलाया गया अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड. . . .

श्री गुलाब सेहरा—

एफ0आई0आर0 दर्ज न हो, लेकिन फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है तो वह रिपोर्ट लिख लेता है।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है कि फायर ब्रिगेड ढाई घंटे तक युद्ध करता रहा।

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा की समाप्ति

श्री अध्यक्ष—

अब आरक्षण पर पहले चार घंटे का विवाद हो चुका था और फिर निश्चय किया गया था कि दो घंटे आज होगा, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझ से इच्छा व्यक्त की कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाय।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिल बहराइच)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, राजधानी से अधिकाँश लोग घर जाने चाहते हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 58 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 मई, 1978।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

[देखिए नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 688 पर।]

वर्ष 1977–78 में खुले राजकीय हाई स्कूलों/इन्टर कालेजों की सूची

(क) पर्वतीय क्षेत्र

जिला	हाई स्कूल		इण्टर कालेज	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5
1—देहरादून	1—किशनपुर 2—थानो 3—दुथली 4—माजरी ग्रारुट 5—कालसी		1—लोंघा	
2—पौडी गढ़वाल ..	1—सुमाडी ..	..	1—थलीसैण ..	..
	2—कमलसेत बन्दप ..		2—सवधारखाल ..	
	3—शंकरपुर			
	4—कालो			
3—टिहरी गढ़वाल ..	1—पौगरखाल ..	1—नन्द प्रयाग ..	1—किलकिलेश्वर ..	..
			2—तौलीसैण	
			3—चमिखाला	
4—नैनीताल ..	1—राथपुर ..		1—गदरपुर ..	.. ..
	2—प्रतापपुर		2—कालाडूंगी	
	3—लोहाली		3—ढोकाने	
	4—वरा			
5—पिथौरागढ़ ..	1—सूखीडंग ..	1—डीडीहाट ..	1—मदकोट ..	..
	2—खेला		2—देवीधुरा	
	3—जाखपुराण		3—पौगू	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6—चमोली	..	1—माणा 2—कोटमा	..	.. 1—घाट 2—बछुआवाण	.. ..
7—उत्तरकाशी	..	1—मनेरी	..	.. 1—कडकोट 2—डुन्डा	.. ..
8—अल्मोड़ा	..	1—दयूनाथल 2—बिनौली स्टेट 3—ग्राम छैना 4—ग्राम वदियाकोट 5—सरट (देवाथल)	..	.. 1—मिद्यासैण 2—दन्या	.. ..
योग		25		2	18

(ख) मैदानी क्षेत्र							
1—पीलीभीत	..	1—अगरिया 2—पोटा—कला	..		..	..	..
2—बांदा	..	1—कूलंजर 2—पैखानी	..	1—मानिकपुर	..	1—मटौंध ..	..
3—रायबरेली	..	1—फुमंतगंज 2—राजाफतेहपुर	..		..	..	..
4—वाराणसी	..	1—नौगढ़	..	..	..	..	..
5—फैजाबाद	..		..	1—जलालपुर 2—गोसाईगंज	..	..	..
6—उन्नाव	..		..	1—नवाबगंज	..	..	..
7—आजमगढ़	..		..	1—अजमतगढ़ 2—अम्बारी	..	..	..

अनुविधान सभा

जिला	हाई स्कूल		इण्टर कालेज	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5
8—गाजीपुर	..	.. 1—नारापचदेवरा 2—सादात	..	.. ..
9—बिजनौर	.. 1—बेगम पुरशादी उर्फ रामपुर।		..	.. ..
10—हमीरपुर	.. 1—श्रीनगर	..	..	.. ..
11—रामपुर	.. 1—अशोकनगर कालोनी		..	.. ..
12—मुजफ्फरनगर	..	.. 1—मैंसी	..	.. ..
13—बलिया	..	.. 1—चितबड़ा गांव	..	.. ..
14—सीतापुर	..	.. 1—लहरपुर	..	.. ..
15—मेरठ	..	..	..	.. 1—हस्तिनापुर
16—गोरखपुर	..	..	..	.. 2—आनन्द नगर
17—ललितपुर	..	..	..	.. ..
18—सहारनपुर	.. 1—भेलरानीपुर (हरिद्वार)	..	..	.. 1—तालबेहट
योग		11	11	1 3
महायोग		36	13	19 3

कुल हाई स्कूल
बालक/बालिका—49

कुल इण्टर कालेज
बालक/बालिका—22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ख

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 697 पर।]

डा0 रामनारायण वर्मा, सदस्य विधान सभा, महमूदाबाद के शिकायती पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 1977 को जांच आख्या।

डा0 राम नारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा, महमूदाबाद के शिकायती-पत्र दिनाँक 21 नवम्बर, 1977 के सन्दर्भ में कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद के लेखा सम्बन्धी अभिलेखों का स्थलीय निरीक्षण दिनाँक 5 अप्रैल, 1978 को किया। निम्नाँकित तथ्य प्रकाश में आए :—

1—विद्यालय के उत्तर पूर्व में स्थित भवन जो विद्यालय प्रांगण में ही है, को यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, महमूदाबाद को अंकन 400रु0प्रति माह किराए पर प्रबन्ध समिति के निश्चय पर माह जनवरी, 1970 से दिया गया। बैंक से किराए की धनराशि की चेक एकाउन्ट पेड प्राप्त होती ह जो विद्यालय के मेंटीनेंस खाते में जमा कर दी जाती है।

2—विद्यालय में अटेस्टेशन शुल्क नहीं लिया जाता है और न कोई अभिलेख ही प्राप्त हुए।

3—विद्यालय के प्राभूत के रूप में 14–79 बीघा भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि लागन पर अंकन 1531.50 पैसे प्रतिवर्ष की दर पर 11 किसानों को दी गयी है। किसानों से प्राप्त धनराशि विद्यालय के कैपिटल फंड सं0 1645 में जो कामर्शियल बैंक, महमूदाबाद में संचालित में जमा किया जाता है। शिकायती-पत्र में कथित मदों में से डोनेशन व अन्य चन्दे को छोड़कर संचायिका तथा रेडक्रास के पोस्ट आफिस महमूदाबाद तथा अन्य समस्त मदों के प्रति यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, महमूदाबाद में संचालित हैं।

वर्ष 1973–74 में संचायिका योजना लागू की गयी। वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 में छात्रों संचायिका में धन जमा करने का वहिष्कार किया जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में संचायिका में धन नहीं जमा किया गया।

वर्ष 1973–74 में अंकन 800 रु0 का प्रथम पुरस्कार विद्यालय को प्राप्त हुआ था। उक्त प्राप्त धनराशि को प्रधानाचार्य, सम्बन्धित अध्यापक जो खाता संचालित करते हैं तथा लेखा लिपिक को क्रमशः 300 रु0, 300 रु0 तथा 200 रु0 वितरित दिखाया गया।

3—(क) वर्ष 1974–75 में माह अप्रैल, 1974 से सितम्बर, 1974 तक (पाँच माह) लिपिक को मेंटीनेंस फण्ड से अंकन 347.83 पैसे यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान किया गया। एम0 एस0 टी0 से केवल एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है। भिन्न-भिन्न कार्य हेतु सम्बन्धित व्यक्ति भेजने पड़ते हैं अतः एम0एस0टी0 लागू करना सम्भव नहीं है।

4—शिकायती-पत्र में कथित मेंटीनेंस एकाउन्ट 2175 विद्यालय में संचालित नहीं है। विद्यालय का मेंटीनेंस चालू खाता सं0 54 यूनाईटेड कामर्शियल बैंक, महमूदाबाद में संचालित है। बोर्ड परीक्षा निकट होने के कारण मेज कुर्सियों की रिपेयरिंग कराई गयी। जिसका भुगतान अंकन 45 रु0 वाउचर सं0 83, दिनाँक 4 फरवरी, 1975 द्वारा किया गया।

5—रद्दी की बिक्री दिनाँक 4 फरवरी, 1975 को अंकन 467.86 पैसा की गयी। वाचनालय शुल्क लेखा सं0 738 में रद्दी की बिक्री से प्राप्त धनराशि को दिनाँक 4 फरवरी, 1975 को जमा किया गया है।

6—वर्ष 1966 से 1972 तक साईकिल स्टैंड हेतु प्राप्त किए गए शुल्क का अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ। वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में जिन छात्रों ने साईकिल स्टैंड में जमा की उनसे ही 50 पैसे प्रति छात्र की दर से शुल्क वसूल किया गया। वर्ष 1975–76 में साईकिल स्टैंड हेतु शुल्क नहीं लिया गया। वर्ष 1976–77 में पुनः साईकिल स्टैंड चालू किया गया। साईकिल स्टैंड से प्राप्त शुल्क खाता सं0 4129 यूनाइटेड

कामर्शियल बैंक, महमूदाबाद में जमा किया गया। वर्ष 1977–78 में साईकिल स्टैंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

7—जनवरी, 1974 में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों तथा शिक्षकों की सहमति से अंकन 2 रु0 प्रति छात्र की दर से चन्दा प्राप्त किया गया। प्राप्ति धन की अलग से रोकड़ पंजिका बनाई गयी और कुल धनराशि का उपभोग उक्त समारोह के आयोजन में किया गया। उक्त फण्ड में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

8—वर्ष 1973–74 में छात्रों से क्रीड़ा शुल्क प्राप्त कर क्रीड़ा निधि में जमा किया गया। शिकायती-पत्र में कथित अंकन 4000 रु0 के गबन की पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सकी।

9—बोर्ड परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क वर्ष 1972–73 से 1976 से 77 तक वसूल किया गया जिसे रजिस्ट्रेशन शुल्क खाता संख्या 733 तथा अंक शुल्क खाता सं0 740 में जमा दर्शाया गया है।

10—शासन द्वारा निर्धारित योजना से टेलीविजन सेट प्राप्त करने हेतु 3 जनवरी, 1977 को अंकन 1,000रु0 की धनराशि खजाने में जमा की गयी। उक्त आधार पर टेलीविजन से प्राप्त किया गया जिसका लाईसेन्स जिला सूचना अधिकारी के नाम से है। लाईसेन्स फीस 50 रु0 की दर से अदा की जाती है। भारत रेडियो कम्पनी, महमूदाबाद से दिनांक 3 जनवरी, 1977 को एक रेडियो सेट 3 बैंड अंकन 810 रु0 का क्रय किया गया। 31 मार्च, 1978 को श्रव्य दृश्य में केवल 19.11 पैसे शेष है।

11—वर्ष 1976–77 में कक्षा 9 से 12 तक 2 रु0 प्रति छात्र तथा 6 से 8 तक 1.50 रु0 प्रति छात्र की दर से परीक्षा शुल्क लिया गया। विद्यालय में गृह परीक्षा सम्पन्न की गयी तथा प्राप्त शुल्क इसी मद में व्यय किया गया।

12—विद्यालय में वाचनालय शुल्क 12 पैसा प्रति माह की दर से लिया जाता है। उक्त शुल्क से लगभग प्रतिवर्ष 1,000 रु0 की आय होती है। उक्त मद से पत्रिकाएं, समाचार पत्र-टोस्टबुल का क्रय दर्शाया गया है।

13—शिकायत बेबुनियाद है वर्ष 1973–74 तक विद्यालय में इंक शुल्क ली गयी जो अनुपालन खाते में यथावत जमा होती रही है। विगत चार वर्षों से कोई इंक शुल्क नहीं ली जाती है।

14—विद्यालय में वर्ष 1973–74 के बाद कोई पंखा शुल्क छात्रों से नहीं लिया गया। 1973–74 तक लिया गया पंखा शुल्क अनुपालन कोष में जमा किया गया। इस प्रकार शिकायत तथ्यहीन है।

15—संचायिका का लेखा पोस्ट आफिस, महमूदाबाद में खाता नं0 296092 में विद्यालय द्वारा खोला गया है। यह योजना विद्यालय में वर्ष 1973–74 से चलाई गई है। परन्तु कुल कारणवश योजना 1974–75 में नहीं चली एवं पुनः 1976 में उसका संचालन संयुक्त खाता द्वारा किया जा रहा है। जिसका संचालन प्राचार्य तथा ज्येष्ठ प्रवक्ता द्वारा हो रहा है। निरीक्षण के समय विद्यालय का लेखा ठीक पाया गया। वर्ष 1973–74 में विद्यालय को उक्त योजना से 800 रु0 का पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसका वितरण निम्नवत है :—

(1) प्राचार्य को 300 रु0 पारिश्रमिक के रूप में,
(2) सम्बन्धित लेखा लिपिक को 200 रु0 पारिश्रमिक के रूप में,
(3) ज्येष्ठ प्रवक्ता को 300 रु0 पारिश्रमिक के रूप में।

उक्त योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ब्याज की प्रविष्टियाँ लेखा में यथावत हैं।

16—वर्तमान में विद्यालय के पास 7 क्वाटर्स हैं जिसमें 2 क्वाटर्स में विद्यालय के चौकीदार रहते हैं जिनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है। शेष पाँच क्वाटर्स में से 1 से

3 रु0 प्रति माह तथा 4 से 7 रु0 प्रति माह की दर से किराए की आय विद्यालय को होती है। उक्त किराये से प्राप्त आय विद्यालय को होती है। उक्त किराए से प्राप्त आय विद्यालय के कैपिटल खाता सं0 1645 में जमा की जाती है जबकि इस आय की व्यवस्था निधि में जमा होना चाहिए। संस्था के प्रधानाचार्य ने बताया कि एक चौकीदार विद्यालय की सुरक्षा करता है तथा एक आवासीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत छात्रावास की देख-रेख हेतु नियुक्त है।

17—विद्यालय के पास 14 बीघा पोखता जमीन है जो गाँजरी क्षेत्र में है, विद्यालय से अधिक दूर होने के कारण कोई व्यवस्था न होने की स्थिति में स्थानीय काश्तकारों को 69रु0 बीघा वार्षिक की दर से लगान पर दी गयी। इस प्रकार विद्यालय को जो कृषि भूमि से आय होती है वह कैपिटल एकाउन्ट 1645 में जमा होती है।

18—कक्षा 6, 7, 8 से प्रति छात्र की दर से 25 पैसा विज्ञान शुल्क प्रति माह लिया जाता है जो विद्यालय के अलग खोले गए विज्ञान खाते में जमा होता है। विद्यालय इसका लेखा-जोखा अलग रखता है विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं है फिर भी हाई स्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला से समय-समय पर उक्त कक्षा के छात्रों को लाभान्वित किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्वतः स्पष्ट है कि शिकायत निराधार है।

(ह0) मोहम्मद बसी खां,
जिला विद्यालय निरीक्षक;
सीतापुर।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 715 पर)

मिलम गाँव में चैक-पोस्ट भवन का कार्य 'ए' 'बी' 'सी' तीन ब्लाकों में (न कि केवल ब्लाक 'सी' में) रेस्ट हाउस का निर्माण एक ब्लाक में (न कि 'ए' 'बी' 'सी' तीन ब्लाकों में) एवं निरीक्षण भवन का निर्माण दो ब्लाकों (मुख्य भवन व आउट हाऊस) में हुआ है।

उक्त निर्माण निम्न अवधि में व निम्न ब्लाकों में व ब्लाकों के खण्डों में कराया गया है।

क्रम सं0	भवन का नाम	ब्लाकों का नाम	अनुबन्ध संख्या	ठेकेदार का नाम	निर्माण की अवधि	ठेका या वर्क-आर्डर
1	2	3	4	5	6	7
1	चेक-पोस्ट भवन मिलम (एस्टीमेटेट कास्ट 2.45 लाख)	'ए'	1—वर्क आर्डर संख्या 7/ए ई एम, दिनाँक 16-8-65	सर्वश्री धाम सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	16-8-65 से 30-8-65	वर्क आर्डर से
			2—वर्क आर्डर संख्या 16/ए ई एम दिनाँक 25-9-65	तदेव	25-4-65 से 3-11-65	तदेव
			3—वर्क आर्डर सं0 11/ए ई एम दिनाँक 16-8-65	,, दीवान राम पुत्र हरी राम	16-8-65 से 26-9-65	तदेव
			4—ठेका संख्या 10/एस डी ओ, दिनाँक 29-5-66	,, कुंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह	29-5-67 से 4-9-66	ठेका
			5—वर्क आर्डर संख्या 36/ए ई एम, दिनाँक 10-6-66	,, मनोहर सिंह पुत्र शेर सिंह	10-6-66 से 20-9-66	वर्क अर्डर
		"बी"	1—वर्क आर्डर संख्या 9/ए ई एम दिनाँक 16-8-65	,, पुरमल सिंह पुत्र जीवन सिंह	16-8-65 से 4-9-65	तदेव
			2—वर्क आर्डर सं0 12/ए ई एम, दिनाँक 30-8-65	,, धाम सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	16-8-65 से 23-9-65	तदेव

			3—अनुबन्ध सं0 10/एस डी ओ, दिनाँक 29-5-66	,, कुंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह	29-5-65 से 4-9-66	ठेका
			4—वर्क आर्डर सं0 36/ए ई एम, दिनाँक 10-6-66	,, मनोहर सिंह पुत्र शेर सिंह	10-6-66 से 20-9-66	वर्क आर्डर
		"सी"	1—वर्क आर्डर सं0 8/ए ई एम, दिनाँक 16-8-65	,, मोहन सिंह पुत्र जसमल सिंह	16-8-65 से 30-8-65	तदेव
			2—वर्क आर्डर सं0 13/ए ई एम, दिनाँक 30-8-65	तदेव	30-8-65 से 29-9-65	तदेव
			3—अनुबन्ध सं0 40/ई ई, दिनाँक 30-3-67	,, महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।	29-5-66 से 30-11-66	अनुबन्ध
2	रेस्ट हाउस (एस्टीमेटेड कास्ट 0.185 लाख)	(एक ब्लाक)	1— ..	विभागीय मजदूरों से बनवाया गया।	4/66 से 3/68	विभागीय मजदूरों से बनवाया गया
3	निरीक्षण भवन (एस्टीमेटेड कास्ट .85 लाख)	(एक ब्लाक) मुख्य भवन	1—वर्क आर्डर सं0 30/ए ई एम, दिनाँक 9-8-66	सर्वश्री महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।	9-8-66 से 15-9-66	वर्क आर्डर
			2—वर्क आर्डर सं0 31/ए ई एम, दिनाँक 15-9-66	,, महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।	15-9-66 से 14-10-66	तदेव
			3—वर्क आर्डर सं0 32/ए ई एम, दिनाँक 16-9-66	तदेव	16-9-66 से 30-9-66	वर्क आर्डर
			4—वर्क आर्डर सं0 34/ए ई एम, दिनाँक 5-10-66	तदेव	5-10-66 से 19-11-66	तदेव
			5—वर्क आर्डर सं0 29/ए ई एम, दिनाँक 18-6-66	तदेव	18-6-66 से 1-8-66	तदेव
			6—वर्क आर्डर सं0 25/ए ई एम, दिनाँक 8-6-66	श्री धाम सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	8-6-66 से 8-7-66	तदेव
		(दो आउट हाउस)	1—अनुबन्ध सं0 1/ई ई, दिनाँक 2-4-67	श्री हीरा सिंह	2-4-67 से 30-6-67	अनुबन्ध
			2—वर्क आर्डर सं0 25/ए ई एम, दिनाँक 4-7-68	श्री मनोहर सिंह पुत्र शेर सिंह	4-7-68 से 4-8-68	वर्क आर्डर

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 719 पर ।)

निर्माणाधीन मार्गों की सूची

	स्वीकृत लम्बाई किलोमीटर में
आयोजनागत नव निर्माण न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत	
1—अकबरपुर—इल्तफातगंज मार्ग	12.45
2—इल्तफातगंज—टोंडा मार्ग	10.52
3—गोसाईगंज टिकरी—तारुन मार्ग	13.70
4—कुमारगंज—जोरियम मार्ग	3.60
5—मिल्कीपुर—अमानीगंज मार्ग	10.00
6—रोनाही ड्योढ़ी मार्ग	8.00
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त नव-निर्माण	
1—जहांगीरगंज—राजेसुल्तानपुर मार्ग	16.4
2—रनीवा—मीटी मार्ग	6.90
त्वरित योजना के अन्तर्गत	
1—सुचितागंज—दौलतपुर मार्ग	1.60
2—मुबारक—पिलखावा मार्ग	2.28
3—तारुन—हैदरगंज—कुंडेभार मार्ग	11.00
4—बाला पकोली—सराय बीर सिंह पुर मार्ग	6.50
5—माया बाजार—महबूबगंज मार्ग	12.825
6—बसखारी—टांडा मार्ग	7.10
7—नहरुवा—मयघानी मार्ग	7.10
8—टांडा—बसखारी मार्ग	7.10
9—कुमार गंज—खंडासा मार्ग	10.10
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत	
1—इल्तफातगंज—महबूबगंज मार्ग .. .	3.00
2—मालीपुर—धौरुवा मार्ग	3.00
3—गोसाईगंज—शेरवा घाट मार्ग	3.00
4—हसवर—टांडा मार्ग	3.00
5—रफीगंज—दुलाहपुर—योरी मार्ग	3.00
6—खंडवरियां—अहरन सुवंश मार्ग	3.00
7—चोरा—हैदरगंज—भीटी मार्ग (दूसरी ओर से) ..	5.00
8—दर्शन नगर—भरतकुंड मार्ग	2.00
9—सुचेतागंज—दौलतपुर मार्ग	4.00
10—तारुन—हैदरगंज—कुड़ेभार मार्ग	4.00
मन्त्रि परिषद् की उप समितियों द्वारा स्वीकृत मार्ग	
1—बसखारी—हंसवर मार्ग	7.80
लिंक मार्ग योजना के अन्तर्गत	
1—मालीपुर—धौरुआ—नेमपुर घाट मार्ग	3.00
2—धोरुवा बाजार—लिंक मार्ग	1.50
3—महबूबगंज—इल्तफातगंज मार्ग . ..	1.50

	स्वीकृत लम्बाई किलोमीटर में
खाद्यान्न योजना नम्बर–2 के अन्तर्गत	
1—पिलखावांड्योढ़ी मार्ग	5.00
2—इल्तफातगंज—महबूबगंज मार्ग	4.50
खाद्यान्न योजना नं0–3 के अन्तर्गत	
1—अमानीगंज—खंडासा मार्ग	10.00
2—बीकापुर—बछरामपुर—कोछा सराय खरपी मार्ग ..	1.00
3—चौरा—हैदरगंज मार्ग (छूटा हुआ भाग)	5.00
4—इनायत नगर—अ.स्किर्न मार्ग	1.00
5—गोसाईंगंज—शेरवा घाट मार्ग	7.00
आयोजनेतर नव निर्माण	
1—अकबरपुर महरुवा मार्ग	16.50
2—अकबरपुर—सिकन्दरपुर—जलालपुर मार्ग	26.325

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 721 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत मार्गों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृति वर्ष	कुल लम्बाई कि0मी0	गड़वारा क्षेत्र में पड़ने वाली लम्बाई कि0मी0	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	आयोजनागत मार्ग					
1	अन्तू–सांगीपुर मार्ग	1970–71	27.50	22.00	प्रथम तह लेपन पूर्ण	मार्ग की कुल लम्बाई 27.50कि0मी0 है, जिसमें से लगभग 22.00 कि0मी0 गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में आता है। इस 22.00 कि0मी0 लम्बाई में प्रथम तह लेपन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम 9.40 कि0मी0 लम्बाई में द्वितीय लेपन भी किया जा चुका है।
2	प्रतापगढ़–अन्तू मार्ग	1970–71	19.60	16.50	प्रथम तह लेपन पूर्ण	मार्ग की कुल लम्बाई 19.60 कि0मी0 है जिसमें से लगभग 16.50 कि0मी0 गडवारा विधान सभा क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग को प्रथम तह लेपन तक पूर्ण किया जा चुका है तथा 12.20 कि0 मी0 लम्बाई में द्वितीय तह लेपन भी पूर्ण हो चुका है।
3	प्रतापगढ़–जेठवारा मार्ग	1970–71	15.00	15.00	कार्य समाप्त हो चुका है।	इस मार्ग पर द्वितीय तह लेपन तक का कार्य वर्ष 1974–75 में ही पूरा किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4	जेठवारा–काल गोपालगंज	1970–71	28.40	2.00	कार्य समाप्त हो चुका है।	इस मार्ग पर द्वितीय सतह लेपन तक का कार्य वर्ष 1973–74 में ही पूरा किया जा चुका है। यह मार्ग अब रख-रखाव के मार्गों की श्रेणी में आता है।
5	सगरा–सुन्दरपुर–डेरवा	1970–71	13.50	10.00	प्रथम तह लेपन पूर्ण	इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.50 कि0 मी0 है जिसमें से लगभग 10.00 कि0मी0 गड़वारा वि0सभा क्षत्र में आता है। पूरे मार्ग पर प्रथम तह लेपन पूर्ण है तथा 5.6 कि0 मी0 लम्बाई में द्वितीय तह लेपन भी पूर्ण किया जा चुका है। इस मार्ग को लोनी नदी के बीच में काटती है। सेतु निर्माण तथा पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति में है।
6	जेठवारा–कटरा–गुलाब सिंह मार्ग।	1970–71	8.225	2.50	प्रथम तह लेपन पूर्ण	इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.225 कि0मी0 है जिसमें से लगभग 2.50 कि0मी0 लम्बाई गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में आता है। पूरा मार्ग प्रथम तह लेपन तक पूर्ण है।
7	बड़नी–बलीपुर मार्ग (बेरोजगार योजना के कार्य)।	1973–74	5.00	5.00	कार्य समाप्त हो चुका है।	यह मार्ग बेरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। इस मार्ग पर द्वितीय तह लेपन तक का कार्य वर्ष 1973–74 में ही पूरा किया जा चुका है। यह मार्ग रख-रखाव के मार्गों की श्रेणी में आता है।
8	बुड़सर नाथ में सई नदी सेतु का पहुंच मार्ग।	1971–72	1.765	0.75	प्रथम लेपन पूर्ण	इस पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 1.765 कि0मी0 जिसमें से 0.750 कि0मी0 गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। पूरे मार्ग पर प्रथम तह लेपन पूर्ण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	स्वीकृत वर्ष	कुल लम्बाई कि0मी0	गढ़वारा क्षेत्र में पड़नेवाली लम्बाई कि0मी0 में	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
9	जेठवारा–कुण्डा मार्ग]	1976–77	30.60	3.00	निर्माणाधीन	इस मार्ग की कुल लम्बाई 30.16 कि0मी0 है। जिसमें से लगभग 3.00 कि0मी0 गढवारा विधान सभा क्षेत्र में आता है। इस 3.00 कि0 मी0 लम्बाई में प्रथम तह लेपन 3/78 तक पूर्ण किया गया। शेष मार्ग पर टाप कोट स्टोन वेलास्ट की कुटाई एवं पेंटिंग का कार्य प्रगति में है।
10	सण्डवाचंद्रिका गाय–घाट मार्ग (संसदीय क्षेत्र का मार्ग)।	1976–77	4.00	4.00	निर्माणाधीन	सण्डवा चंद्रिका––गायघाट मार्ग की कुल लम्बाई 14.00 कि0मी0 है, जिसमें प्रथम 4.0 कि0मी0 "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मार्ग निर्माण की योजना में स्वीकृत है। इस 4.0 कि0मी0 में से प्रथम 1.8 कि0मी0 में प्रथम तह लेपन पूर्ण हो चुका है तथा 1.2 कि0मी0 में टाप-कोट स्टोन वेलास्ट की कुटाई पूरी हो चुकी है तथा शेष 1.0 कि0मी0 में इण्टर कोठ की कुटाई पूरी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	सण्डवा चंद्रिका—गायघाट मार्ग (संसदीय क्षेत्र का मार्ग)।	1976—77	10.00	8.50	निर्माणाधीन	सण्डवा चंद्रिका—गायघाट मार्ग (त्वरित मार्ग योजना के अन्तर्गत) की लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। जिसमें से लगभग 8.50 कि0मी0 मार्ग गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। मार्ग निर्माणाधीन है। 2 कि0मी0 लम्बाई में टाप कोट स्टोन बेलास्ट की कुटाई पूरी हो चुकी है।
12	जेठवारा—माधाता मार्ग (त्वरित योजना मार्ग)	1976—77	12.00	4.00	निर्माणाधीन	यह मार्ग त्वरित योजना के मार्गों में स्वीकृत हुआ है। मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 है जिसमें से 4.0 कि0मी0 लम्बाई गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में आती है। इस 4.0 कि0मी0 में से 2 कि0मी0 तक टाप कोट स्टोन बेलास्ट की कुटाई पूरी हो चुकी है तथा प्रथम तह लेपन का कार्य प्रगति पर है।
	योग		175.59	93.25		
	आयोजनेत्तर मार्ग					
13	लखनऊ—वाराणसी मार्ग	..	71.0	25.0		.. यह मार्ग प्रान्तीय मार्ग सं0 36 के नाम से जाना जाता है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखावके मार्गों की श्रेणी में आता है।
	1977—78 इस वर्ष कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ।					
	मार्गों का कुल योग	..	246.59 कि0मी0	118.25 कि0मी0		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिए पीछे पृष्ठ 743 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या जनपद वाराणसी में 10 अप्रैल, 1978 को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में रक्षा मन्त्री, श्री जगजीवन राम जी का पुतला जलाया गया ? अगर हाँ, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?	2—जी हां । इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जा रही है, 1—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, (2) थाना चेतगंज, वाराणसी में अपराध संख्या 220/78 अन्तर्गत धारा 153-ए/505 (2) भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है । 2—सिविल राइट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवही करना भी विचाराधीन है ।

राम सिंह,
गृह मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 743 पर ।)

सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र (1978) के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री मन्ना लाल के द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 तथा 4 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
3—क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं अल्प सिंचाई विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों के आरक्षण का प्रतिशत पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	3—ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं है । कारण यह है कि प्रथम श्रेणी के सभी पदों पर विभिन्न अभियन्त्रण विभागों के सहायक अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लेकर नियुक्त किया गया है जो तदर्थ रूप में है । द्वितीय श्रेणी में सहायक अभियन्ताओं पर भी विभिन्न अभियन्त्रण विभागों के अवर अभियन्ताओं तथा सहायक विकास अधिकारी/ज्येष्ठ यांत्रिक निरीक्षक तथा सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है । सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियन्ताओं के पदों को नियमित करने के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिशत आरक्षित कर दिया गया है । लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी लघु सिंचाई विभाग में उपलब्ध नहीं हैं ।
4—क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा अल्प सिंचाई में इस समय प्रथम श्रेणी के अभियन्नाओं के कितने पद रिक्त हैं ? और उनकी पूर्ति में कितने-कितने स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के द्वारा पदोन्नति से भरे जाने हेतु विचाराधीन हैं ?	4—ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा लघु सिंचाई विभाग में इस समय प्रथम श्रेणी के अभियन्ताओं के कोई भी पद रिक्त नहीं है ? अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जमुना प्रसाद बोस,
ग्राम्य विकास मन्त्री ।

पी0एस0यू0पी0—एल0 212 वि0 सभा (365)—21-6-1978—835 ।